राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

श्रंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का १५वाँ दिवस [संख्या १२

शुक्रवार, ७ नवम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री जी० एल० तिवारी, लेक्चरार, लोहिया कॉलेज, चूरू की नियुक्ति

४५९. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Education Minister be pleased to state :

(a) On what date was the appointment order of Shri G. L. Tiwari, Lecturer in Political Science, Lohia College, Churu passed and issued by the Government ?

(b) Is it correct that he did not appear before the Rajasthan Public Service Commission for interview and was not selected ?

(c) Is it also correct that Shri G. L. Tiwari passed his M. A. in April, 1956 and secured only 53% marks ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई :

(अ) नियुक्ति का आदेश ता० १२-१२-५७ को पास हुआ और ता० १७-१२-५७ को जारी किया गया।

(ब) जी नहीं।

(सी) जी हां! उन्होंने ५३.४ प्रति शत अंक प्राप्त किये।

श्री पी० के० चौधरी : Was Mr. Tiwari informed of his appointment before the order was issued ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No.

श्री पी० के० चौधरी : Then how did he came to know before 17-12-57 that he has been appointed ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No official information was given to him prior to 17-12-57.

श्री पी० के० चौधरी : Then how it happened that he came to know of it ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : He might have known it through some other source of method.

Page No.2

प्रश्न संख्या ४६०

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित)

पानरवा जंगल का ठेका

४६१. श्री पी० के० चौधरी : Will the Forest Minister be pleased to state :—

(a) Is it correct that the forest contractor, Shri Imdad Hussain Akbar Ali had submitted to the Government another cheque no. 680916 dated 15-4-58 for Rs. 37,000/- as the time limit of the original cheque No. 680902 dated 16-10-57 for Rs. 37,000/- which was an earnest money for their offer of Rs. 1,50,000/- for the Panrawa Forest contract had expired ?

(b) Is it also correct that inspite of the stay order the Government has now permitted M/s. Gulam Abbas, the previous contarctor to remove forest goods of Panarwa and if so, it is calculated to affect the open bid of Rs. 1,50,000/- made by M/s. Imdad Hussain Akbar Ali for the forest ?

उपवन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):
(a) Yes.

(b) Yes, No.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the previous contractors were allowed to remove the trees on the verbal instructions of the Hon'ble Minister ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It was during the contract of the former contractor and as such permission was given.

श्री पी० के० चौधरी : Is it also correct that inspite of an Stay order, the Government has allowed to remove the forest goods of Panrawa and so whether this order was based on the verbal instructions of the Hon. Minister ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : is not with me but this must have been a Government order.

श्री पी० के० चौधरी : On what date it was issued ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It was before the rainy season.

श्री पी० के० चौधरी : Sir, the question was quite specific, is it correct that the Government has permitted the previous contractor to remove the goods, of the Panrawa forest ? If the Government has issued some orders, he should tell by whom the order has been issued and on what date ?

श्री अध्यक्ष : Government orders were issued.

श्री पी० के० चौधरी : I wanted to know if such a supplementary is allowed. Otherwise I know it......

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Mr Speaker He is not seeking any infor-

Page No.3

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

mation from me. When he knows, the question should not have been put.

श्री पी० के० चौधरी I know it but the question is to bring, it to your notice whether......

श्री अध्यक्ष : There is no question of bringing to the notice of......

श्री पी०के० चौधरी : Sir the question comes, on what date and by whom the order was issued ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It was the Government and before the rainy season it was issued.

श्री पी० के० चौधरी : Mr. Speaker, Sir, he said that it was done on the verbal order of the Minister but in the Govtment there can be no verbal orders.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Verbal or her means that the Minister......

श्री श्रीभानसिंह : Under what orders the verbal orders are valid ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The Minister while on tour issues certain orders to their subordinates and they are communicated in writing afterwards.

श्री श्रीभानसिंह : Were these verbal orders passed on the spot, confirmed from the Secretariat.

श्री पनमचन्द बिश्नोई : I have said that the verbal orders can be passed but they must be reduced in writing.

श्री श्रीभानसिंह : What orders wers passed ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I denied the knowledge. I have simply said that in the emergences, we can pass verbal orders.

श्री श्रीभानसिंह : Whether such verbal orders have been passed in this case ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I have no knowlege.

श्री श्री भानसिंह : I would like to know whether the Government confirmed this srder...

श्री अध्यक्ष : He has said that he has no information.

श्री पी० के० चौधरी : When the Minister has said in this House that the matter is pending for decision before the Cabinet now whether the Minister can pass an order when the matter is pending.

श्री अध्यक्ष : The order passed by a Minister is deemed to have been done by the Cabinet.

श्री पी० के० चौधरी : I would like to know, Sir, whether the Cabinet has taken any decision on it or not ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : That matter might have been referred. There is a joint responsibility and each member of the Cabinet can pass order on it,

श्री पी० के० चौधरी : The Question is whether this particular ques-

Page No.4

(श्री पी० के० चौधरी)

tion was referred to the Cainet or not ?

श्री अध्यक्ष : A Minister is not separate from the Cabinet.

श्री पी० के० चौधरी : I am not challenging the competency of the Hon. Minister. I am simply asking Minister said that the when the matter is pending before the Cabinet then...

श्री अध्यक्ष : I will again inform the Hon'ble member that to make a distinction between the Cabinet and the Minister is not correct.

श्री पी० के० चौधरी But it is a fact, Sir, that......

श्री पूनमचंद बिश्नोई : That is entirely the arrangemennt about conduct of business that some orders are passed by the MInister and somo by the Sccretaries.

श्री पी० के०चौधरी : I am not challenging its competency but I wanted to know whether the Cabinet took a decision on it or not.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : There is nothing like that. That should satisfy.

श्री श्रीभानसिंह : Under the circuStances when the officer has pointed out that this was done under the verbal instructions of the Minister. Therefore, it is justified to know whether these verbal orders were passed on his own initiative or what because the stay order was pending.

श्री पी० के० चौधरी : I have got a copy of that order.

श्री अध्यक्ष : The Dy. Minister has said that the Government has passed such order.

श्री श्रीभानसिंह : What was the necessity of passing such order on the spot ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It was during the time of the previous contractor and it was not in dispute.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon. Minister has said that it is not a fact but I have got a copy of letter which was sent on 26. 5. 58 that the Government issued orders to take the forest goods of Panrawa. He says-... It has affected my open bids. Kindly stop export immediately......

श्री अध्यक्ष : Well that is question of information......

श्री पी० के० चौधरी : He has replied that...

श्री अध्यक्ष : That is question of information and that does not matter at all.

श्री श्रीभानसिंह : The party made an offer of about one lac and that was set aside by the Minister...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I may submit to the Chair, Sir, that...

श्री अध्यक्ष : Let him make a submission.

Page No.5

श्री श्रीभानसिंह : The point in dispute is that an offer of about 1½ lac was set aside through the verbal orders of the Minister and why the low offer was accepted when there was a party offering a higher bid.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The orders were only for the removal of the wood as regards the future.

श्री अर्जुनदास : Has the Minister issued that in writing or confirmed that order ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I have n such information.

श्री पी० के० चौधरी : When does the Government propose to take a final decision regarding M/s Imdad Hussain ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : This matter is still under consideration.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the Chief Secretary has given a strong note that no extension should be given to Akbar Ali ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : May be. It is a different question.

श्री श्रीभानसिंह : Are there no such orders or a note ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : If the Chief Secretary has submitted a note to the Government, It is, for the Minister to take it to the Cabinet. and they will do it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केबिनेट ने क्या निर्णय लिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं कह रहा हूं कि चीफ सेक्रेटरी का किसी भी प्रकार का नोट हो सकता है। पर यह मामला तो गवर्नमेंट का तय करने का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चीफ सेक्रेटरी का इस तरह का नोट होने के बावजूद भी और ३७॥ हजार का वन फोर्थ डिपोजिट कराने के बाद भी गुलाम अब्बास को एक्सटेन्शन कर दिया जावे, क्या यह निर्णय लिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी सूचना मुझे इस वक्त नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon. Minister in a position to say that the note of the Chief Secretary was set aside by the Hon'ble Minister.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगर प्रश्न से सम्बन्धित ही सप्लीमेन्ट्री पूछें तो मैं जवाब दे सकता हूं। रिलेवेन्ट पूछें तो जवाब दे सकता हूं, इर्रिलेवेन्ट का जवाब क्या जवाब दूं ?

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Speaker, Sir, I would request that a seperate day may be fixed for this. इनके जवाब से ही सप्लीमेन्ट्री निकलते हैं। इसके लिए एक रोज अलग डिबेट के लिये रख दिया जावे फिर।

श्री अध्यक्ष : That can not be guaranteed, We have given ample opportunity to discuss it. Let us take the next question.

श्री श्रीभानसिंह : No, Sir, my supplementary still remains to be re-

Page No.6

(श्री श्रीमानसिंह)

plied whether the Chief Secetory ordered......

श्री अध्यक्ष : This is not a valid supplementary.

श्री श्रीमानसिंह : This is a very valid supplementary.

श्री अध्यक्ष : I have Called the next question. You have taken enough time.

नॉन गजेटेड पुलिस कर्मचारी संघ के कॉन्स्टेबिल द्वारा भूख हड़ताल

४६२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि नॉन गजेटेड पुलिस कर्मचारी संघ के मानसिंह नामक हैड कॉन्स्टेबल ने ता० १०–६–५८ से भूख हड़ताल की थी ?

(२) अगर हां, तो किन कारणों से और सरकार ने उसकी भूख हड़ताल खुलाने के बारे में क्या प्रयत्न किया ?

(३) क्या उस हैड कॉन्स्टेबल की हालत चिन्ताजनक हो गई थी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां। नौकरी से बर्खास्त हुए एवं अपने आपको तथाकथित राजस्थान पुलिस कर्मचारी संघ से सम्मिलित प्रदर्शित करके भूतपूर्व हैड कॉन्स्टेबल श्री मानसिंह ने दिनांक १०–६–५८ से भूख हड़ताल आरम्भ की।

(२) उसने सरकार द्वारा तथाकथित राजस्थान पुलिस कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करने की मांग पूरी कराने को भूख हड़ताल की, उसे जाब्ता फौजदारी की धारा १४४ के अन्तर्गत भूख हड़ताल तोड़ने की आज्ञा देते हुए एक नोटिस दिया गया उसकी अवज्ञा करने पर दण्ड दिया गया एवं दिनांक २०–६–५८ को जेल भेज दिया गया जहां उसने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी।

(३) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस संघ को मान्यता क्यों नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं दी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइन्ट से यह ठीक नहीं था। इसका बहुत पहले भी जवाब दिया जा चुका था।

पशु मेला, सांचोर

४६३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सांचोर पशुमेला सन् १९५८ में माइक के टेण्डर मांगे गये थे ? यदि हां, तो कहां कहां से मांगे गये और किन किन के टेण्डर आये ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त टेंडरों में से किसी को स्वीकार नहीं किया गया तथा दूसरी जगह से बिना टेंडर या कोटेशन के ही माइक मंगा लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सत्य है कि जोधपुर से जो माइक किराये से आया था, उस को बैटरी चार्ज के लिए दो गैलन पेट्रोल दिया गया और रजिस्टर में दर्ज किया गया ?

Page No.7

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) हां, जालोर से मांगे गये थे और निम्नलिखित व्यक्तियों ने टेण्डर दिए।

(२) (अ) श्री सोनी शंकरलाल जालोर, (ब) श्री हस्तीमल पूसाराम जालोर, (स) श्री मंगलसिंह जालोर। (द) जी हां, क्योंकि जो माइक अन्य स्थान से मंगाया गया वह उपरोक्त टेंडरों से हर हालत में सस्ता था।

(३) नहीं।

श्री लक्ष्मीचंद : यह जो जालोर से मंगाये गये उसकी रेट क्या रक्खी गई ?

श्री दौलतराम : १५ रु० रोज, आने जाने का खर्चा और खाना। इसमें बैटरी चार्ज सरकारी। बैटरी चार्ज उनका होने पर २५ रु० रोज, आने-जाने का व खाने का खर्चा।

श्री लक्ष्मीचंद : जोधपुर से माइक मंगाया गया उसके कोटेशन मंगाये गये या नहीं ?

श्री दौलतराम : जी नहीं। पर उससे सस्ता मिला, इसलिये वहां से ले लिया गया। और फिर इमर्जेन्सी भी थी इसलिए कोटेशन मांगने का वहां कोई समय नहीं था।

श्री लक्ष्मीचंद : अगर जोधपुर से कोटेशन मंगाते तो इससे भी कम १० रु० रोज पर मिल सकता था।

श्री दौलतराम सारण : जालोर से मांगे थे, जोधपुर से तो नहीं मांगे, समय इतना नहीं था, पर जो जालोर से मांगे उससे कम में जोधपुर में मिल गया इसलिए वहां से ले लिया।

श्री लक्ष्मीचन्द : उसको भी आने जाने का किराया दिया या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : जोधपुर क्लर्क दूसरे काम से गया था। उसे वहां भी ट्राई करने के लिए कह दिया गया था। उसने वहां ट्राई किया और एक जगह सस्ता मिल गया तो वह ले लिया। उसे आने जाने का खर्चा दिया गया। पर इसके बावजूद भी वह जालोर से सस्ता रहा।

श्री लक्ष्मीचंद : उसको बैटरी चार्ज के लिए पेट्रोल दिया गया या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : जो ऑडिट कमेटी बैठी थी उसने मार्क किया था कि बैटरी चार्ज के लिए पेट्रोल दिया गया। पेट्रोल के रजिस्टर में इस तरह से दर्ज है। क्या यह सही नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं। वह तो ब्लॉक की बैटरी थी। उसके चार्ज के लिए दिया गया दिलाया गया था।

श्री लक्ष्मीचंद : ब्लॉकवालों का अपना अलग बजट था।

श्री दौलतराम सारण : मेले में ही वह काम में ली गई थी, इसलिए मेले के ही खर्च से दिया गया था।

श्री लक्ष्मीचंद : ऑडिटिंग कमेटी ने जो जांच की उसने बताया कि पेट्रोल दिया गया है और वह जोधपुर से आनेवाले माइक के लिए दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : ऐसा नहीं है।

श्री अर्जुनदास : जोधपुर क्लर्क कौनसे काम से गया था ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास यहां इस वक्त इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

हिन्दुस्तान सॉल्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, सांभर लेक

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Commrece and Industries be pleased to state:—

(a) Is it correct that the Government of India has floated a company by the name of the Hindustan Salt (Private) Ltd., in the Public Sector with a share capital of Rs. one crore to exploit the salt resources and the brine at Sambhar Lake ?

(b) Is it correct that the State Government is putting up hitches in settling terms and conditions on which the company can take over the salt resources ?

(c) Is it also correct that the Board of Directors of the company have passed a resolution resenting the intransigent attitude of the Rajasthan Government and showed its inability to function unless the Rajasthan Government modifies its stand ?

उप उद्योग व वाणिज्य मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Not known.

श्री पी० के० चौधरी : Whether the Company has taken up the plan ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : No, Sir.

श्री पी० के० चौधरी : Why ? What was the reason ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The reason is that the Rajasthan Government has not been approached by the Company as yet.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the Board of Directors of the Company have strongly resented.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is no such information.

श्री पी० के० चौधरी : Has the Rajasthan Government received a note from the Central Government in this connection ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: No.

श्री पी० के० चौधरी : Has the Rajasthan Government any knowledge that the Board of Directors have passed such resolutions about it ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have already replied that they have not yet brought any plan to us.

श्री पी० के० चौधरी : His the representative of the Rajasthan Government any talks with the members of the Board in this connection ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : You mean Central Government ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes. The Central Government and the Board of Directors.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The Central Government did write to us

Page No.9

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

regarding leasing out of the area for a longer period and we have replied that it is not possible to lease out the salt area of Sambhar and other areas for such a long time. The terms and conditions are still under consideration.

श्री पी० के० चौधरी : What are your terms and conditions ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : They have not still been settled. They are still under negotiations.

श्री पी० के० चौधरी : What terms you have offered ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : We have nothing to offer. We are in fact lessers and they are the lessees.

श्री पी० के० चौधरी : If you have not offered the terms, have you refused to lease out ?

आपने लीज़ आउट करने के लिए इन्कार कर दिया, तो टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स तो दी होंगी ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have already replied to the Hon.ble Member that in fact they wanted a long term of the lease of the Sambhar Salt area as well as Deedwana area for which we have sent an interim reply to the Central Government that we are not in a position to lease out for such a long time. The terms and conditions have not being settled. So they are still under negotiation and nothing final has been arrived at.

श्री पी० के० चौधरी : What is Your......

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

जालोर जिले में पुलिस द्वारा चालान

४६५. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जालोर जिले में पिछले दो वर्षों में ऐसे कितने केसेज़ फैसल हुए हैं जिनमें पुलिस ने चालान किया है और मुलजिमान की तरफ से बरीयत में भी पुलिस ऑफिसर ही पेश हुए हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, गृह मंत्री की ओर से) : सिर्फ एक ।

श्री लक्ष्मीचन्द : वह कौन सा केस है साहब ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह केस सीताराम कॉन्स्टेबल के खिलाफ है । वहां के सब-इन्सपेक्टर सुखदेव ने एक केस मुसम्मात थरिया बेजर के मकान में घुसकर मारपीट करने के सिलसिले में रजिस्टर करके चालान किया ।

श्री लक्ष्मीचन्द : सी० आई० के बरियत में आने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सी० आई० को तलब किया गया तो वे शहादत देने गये ।

श्री लक्ष्मीचन्द : बरियत में दे रहे है और प्रोसीक्यूशन के खिलाफ दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां ।

Page No.10

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह पुलिस के नियम के खिलाफ नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस के नियमों में कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी को अदालत में सच्ची शहादत देने के लिए रोका जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द : जब सब-इन्सपेक्टर ने चालान किया तब सी० आई०, जो कि उसका इमीजियेट ऑफिसर था, क्या वह उसको आदेश नहीं दे सकता था कि चालान करने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस केस का इन्वेस्टीगेशन डी० एस० पी० ने किया है।

उदयपुर-कांकरोली रूट पर मोटर चलाने के परमिट

४६६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) उदयपुर कांकरोली रूट पर मोटर चलाने के लिए इस वर्ष कितने व्यक्तियों ने परमिट के लिए प्रार्थना पत्र दिये थे ?

(२) क्या यह सही है कि परमिट प्राप्त व्यक्तियों में दो मोटर व्यवसायी नहीं हैं और न अभी तक मोटर की व्यवस्था कर पाये हैं ?

उपमंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) इस वर्ष में इस मार्ग के लिये कोई प्रार्थना पत्र नहीं मांगे गये।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचन्द : इस वर्ष को कौन सी तारीख से मानते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : १ जनवरी सन् १९५८।

कोटा बैरेज

४६७. **श्री पी. के चौधरी** (फुलेरा): Will the Irrigation Minister be pleased to state :

(1) Is it correct that work on Kota Barrage was originally scheduled to be completed by 1959, but due to changed circumstances it is expected to take about two years more ?

(2) Is it correct that the sheet pilings at Kota Barrage has failed to serve the purpose for which they were originally designed ?

(3) Is it correct that the key-wall across the river is now being constructed by creating a new cut-off in addition to the sheet piles ?

(4) Is it correct that additional amounts than what was originally estimated are now being expanded for creating a new cut-off as well as the grouting work ?

(5) What is the total amount expanded for sheet piling work at Kota Barrage so far ?

(6) What is the total expenditure estimated for constructing the new cut off for building the key-wall across the river

(7) Is it correct that the work in the new cut-off has virtually stopped now at the point in the mid river where the work on the sheet piles meet with failure ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : सिंचाई मन्त्री की अनुपस्थित में :

(1) It is correct that the Kota Barrage is scheduled to be completed by 1959. No change in the schedule is expected.

(2) No Sir.

(3) Yes.

(4) Yes.

(5) Rs. 5.82 lacs.

(6) Rs. 1.25 lacs.

(7) This is not correct.

श्री पी. के. चौधरी : But the situation is not correct as he replied. In reply to part 2 of the Question he says, 'no', then why there is a necessity for constructing a new cut off as you have admitted in your part (4).

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not followed.

पी० के० चौधरी : आपने २ नम्बर में 'नहीं' कहा और ४ नम्बर के जवाब में कहा है, 'हां', तो २ नम्बर में लिखा है कि शीट पाइलिंग्ज़ फेल हो गये हैं तो 'ना' कहा है और ३ नम्बर में पूछा है कि नये कट ओफ वहां पर बन रहे हैं तो 'हां' कहा कि नये कट ओफ बनाये जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के कॉंट्राडिक्टरी हैं। जब शीट पाइल फेल नहीं हुए हैं तो नये कट आफ की जरूरत नहीं रहती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : The position is......

श्री पी. के. चौधरी : आप जवाब दें, फिर से उसको वापिस सुना दें। आपने दो नम्बर में 'नहीं' कहा और नं० (३) में हां कहा।

श्री अध्यक्ष : It cannot be contradictory.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is why I am just explaining it. When the piles were actually driven. it was found that they penetrated through the strata to a depth of one half to two third only and did not go down deeper owing to existence of being bolders stiff cley. Central Water Power Commission reconsidered in the matter and made certainchange in the down stream filters to take care of seepage even if the sheet piles did not prove fully effective. That the design of the barrage was later discussed by the eminent engineers of the Gadgil Committee with the Central Water and Power Commission and engineers at Delhi in September 1957. It was felt that the design of Central Water Power Commission was adequate,but it was recommended that the positive cut-off going to bed rock should be allowed and taken as far as possible in the working season available. Action was taking accordingly and positive cut off has been provided in about two third of the length. In the remaining portion the provision of a grout curtain is proposed and necessary action is being taken by the central Water and Power Commission.

श्री पी. के. चौधरी : If there is a proof that sheet piling has failed, you should have accepted it gracefully.

श्री. दामोदरलाल व्यास : It is more than clear.

श्री पी. के. चौधरी : Now it is more than clear but you should have accepted it gracefully in the beginning.

किशनगंज रेन्ज के जंगल से चोरी

४६८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि दिनांक ४-२-५७ को श्री गणपतलाल यादव ने सम्भलपुर के पटेल भंवरलाल धाकड़ तथा श्री चम्पालाल धाकड़ के यहां से रेन्ज किशनगंज के जंगल से चोरी से कटे हुए सागवान के २००० डांडे ग्राम पंचायत फतहपुर (जिला कोटा) तथा श्री शिवदयाल फोरेस्टर को पकड़वाये थे ?

(२) क्या यह सही है कि श्री गणपतलाल वन विभाग को गत ३ वर्षों से निरन्तर यह सूचित करते रहे हैं कि उक्त जंगलों से चोरी से डांडे काटे जाते हैं तथा उनको पकड़वाने को तैयार हैं ?

(३) क्या यह सही है कि डी० एफ० ओ० बारां इसकी जांच नहीं करवाना चाहते ?

उप मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी नहीं।

(२) जी हां। उन्होंने सूचना दी, किन्तु मौके पर पकड़वाने को नहीं पहुँचे।

(३) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह बराबर आपको तीन साल से सूचना देते चले आ रहे थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, उन्होंने सूचना दी थी कि लोगबाग जंगल से लकड़ी काट रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही नहीं है कि इस तरह की सूचना देकर उन्होंने दो हजार डांडे पकड़वाये थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

प्रश्न संख्या ४६९

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

सांचोर प्राइमरी स्कूल में अध्यापक व छात्रों की संख्या

४७०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जालोर के सांचोर प्राइमरी स्कूल में अध्यापक व छात्रों की संख्या क्या है ?

(२) क्या यह सही है कि छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापक कम हैं ? यदि हां, तो यह संख्या कब तक बढ़ा देने का सरकार विचार रखती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (१) अध्यापक ६ और छात्र १६६।

(२) जी नहीं। अध्यापकों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचन्द : वहां पर दो टाइम क्लॉसेज़ चलती हैं, सुबह और शाम।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह चलती होंगी, मुझे मालूम नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : आप यह कैसे कह सकते हैं कि अध्यापकों की कमी नहीं है ?

(श्री लक्ष्मीचन्द)

जब दो टाइम स्कूल चलती हैं तो अध्यापकों की कमी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : १६६ छात्र बताये थे। जब तक एक अध्यापक ४० छात्रों को पढ़ाता है तब तक काफी है। अध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या के अनुसार करनी पड़ती है, इसलिए काफी संख्या है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कितनी क्लासेज़ हैं, सैक्शन कितने हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : क्लासेज़ ज्यादा भी हों तो क्या। अगर एक क्लास में २–३ बच्चे हों तो दोनों को शामिल कर लिया जाता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : हो सकता है या नहीं। उसके अनुसार कैसे कह सकते हैं कि कम नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लड़कों की संख्या मैंने बताई है। तीन क्लासेज़ में लड़के कम हैं तो तीनों को साथ लिया जायगा। लेकिन इतने कम लड़कों पर ज्यादा अध्यापक नहीं रख सकते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि वहां पर ४०० छात्र हैं न कि १६६।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

स्यालू फसल को क्षति

४७१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् १९५८ की फसल स्यालू में कातरा जानवर ने कई तहसीलों में बाजरा, मोठ, चुलाई इत्यादि के पौधों को नष्ट किया था और खेत के खेत खाली कर दिए थे ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील सांगानेर व सांभर के गांवों में काफी नुकसान हुआ ? अगर हां, तो किस किस ग्राम में और सरकार ने उसकी रोक के लिए क्या क्या कार्यवाही की ?

उप-कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) हां, नुकसान हुआ था, किन्तु पूर्ण रूप से खेत के खेत नष्ट नहीं हुए।

(२) तहसील सांगानेर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। हां, यद्यपि सांभर तहसील के ग्राम जोबनेर, मेरू की ढाणी, फुलेरा और आसपास की ढाणियों में भारी प्रकोप था। सूचना प्राप्त होते ही लगभग २०० एकड़ खेतों में कीटाणुनाशक औषधियां छिड़की गईं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिनकी खेती खराब हुई उनको रेमिशन दिया गया था क्या ?

श्री दौलतराम सारण : इसका इस प्रश्न से संबंध नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : क्या बाजरा का पौधा होता है और उसको कातरा खाता है या नहीं, क्या उपमंत्रीजी को इस बात की जानकारी है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां, होता है, आप से ज्यादा मालूम है। कातरा इसको कम खाता है।

जिला जालोर में ऑफिसर्स द्वारा चपरासियों से घरू कार्य करवाना

४७२. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.14

(श्री लक्ष्मीचन्द)

क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में ऑफिसर्स चपरासियों व सवारों से अपने घर का काम ऑफिस के समय भी करवाते हैं जिसके कारण राज्य के कार्य में बाधा पहुँचती है।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : सरकार के पास ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यूनियन ने ऐसी शिकायत भेजी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने इन्कार किया है कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पशु-चिकित्सा विभाग के डॉ० रामचन्द्र की सेवा से मुक्ति

४७३. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Animal Husbandry please state :

(1.) Why were the services of Veterinary Doctor, Shri Ramchandra Rao terminated ? For how many years did he serve in Rajasthan and how many times was he interviewed by the Rajasthan Public Service Commission ?Date. year and different Gazatte Notifications may please be given.

(2.) Was he interviewed at any time and selected by the Rajasthan Public Service Commission for a permanent and pensionable post ?

(3.) Did the Government through Notification confirm this selection along with others ?

(4) Did the Director, Animal Husbandry make any amendments to the Gazeattee Notification of the Rajasthan Public Service Commission ? If yes, under which Service or Government Rules is the Director authorised to make amendments ?

(5.) What was the number of Dr. Ramchandra Rao in the Selection List and also confirmation order ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम) : The services of Shri A. Ramchandra Rao. Veterinary Assistant Surgeon Classes II. was terminated on account of his conduct against the public interest and the administration. He served for one year and four months. He was interviewed once by the Rajasthan Public Service Commission. The candidates are called for interview by the R.P.S.C. directly.

(2.) He was interviewed by the Rajasthan Public Service Commission once and selected for the Quasi permanent post-

(3.) No.

(4.) No, Question does not arise.

(5.) The name of Ramchandra Rao appeared at serial No. 6 of the selection list. He was not confirmed.

श्री श्रीभानसिंह : Then after having been interviewed by the P.S.C. should this House take that no Officer should be confirmed ?

श्री दौलतराम सारण : वह एक साल के प्रोबेशन पीरियड के लिये लिया गया था और पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हिदायत की गई थी कि जो सिलेक्शन हुआ है वह एक साल के लिये है।

श्री श्रीभानसिंह : पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या हिदायत दी थी ?

श्री दौलतराम सारण : पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उनको सिलेक्ट किया गया था। जो लिस्ट थी २० आदमियों की उसमें वे भी थे और उनको एक साल के प्रोबेशन पीरियड के लिये लिया गया गया था। उन्होंने काम ठीक नहीं किया, इसलिये उनको कन्फर्म नहीं किया गया।

श्री श्रीभानसिंह : क्या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोबेशन पीरियड के लिये सिलेक्शन करता है ?

श्री दौलतराम सारण : प्रोबेशन पीरियड पर अपोइन्टमेन्ट गवर्नमेन्ट द्वारा किया जाता है।

श्री श्रीभानसिंह : पब्लिक सर्विस कमीशन ने गजट में जो नोटिफिकेशन निकाला था वह पर्मानेन्ट पेन्शनेबिल पोस्ट के लिये था या टेम्प्रेरी पोस्ट के लिये ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : गजट नोटिफिकेशन पर्मानेन्ट पोस्ट के लिये था, लेकिन इनको अपोइन्ट प्रोबेशन पीरियड के लिये किया गया था।

श्री श्रीभानसिंह : आपने प्रोबेशन पीरियड पर अपोइन्टमेन्ट किस आधार पर किया, जब कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा गजट नोटिफिकेशन निकाला था पर्मानेन्ट और पेन्शनेबुल पोस्ट के लिये और उसी के लिये सिलेक्शन हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेन्ट अपोइन्ट करती है प्रोबेशन पीरियड के लिये, इसलिये सिलेक्शन के बाद प्रोबेशन पीरियड पर अपोइन्ट करने का सवाल आता है कि जिस आदमी को सिलेक्ट किया गया है वह काम ठीक तरह से करता है या नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : कितने दिन में प्रोबेशन पीरियड कम्पलीट होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : साल भर में।

श्री पी० के० चौधरी : और कितने दिन बाद उसको नौकरी से अलग किया जाता है ?

श्री दौलतराम सारण : एक साल से भी कम समय में।

श्री श्रीभानसिंह : जब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पर्मानेन्ट पोस्ट के लिये नोटिफिकेशन निकाला तो फिर प्रोबेशन पीरियड के लिये लेने का क्या प्रश्न आया ?

श्री दौलतराम सारण : सिलेक्शन पी० एस० सी० द्वारा किया जाता है, लेकिन अपोइन्टमेन्ट प्रोबेशन पर की जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सारी अपोइन्टमेन्ट्स प्रोबेशन पर की जाती है ?

श्री अध्यक्ष : Quite common.

श्री श्रीभानसिंह : उनको कब हटाया गया और कब रखा गया ?

श्री दौलतराम सारण : ३-१-५७ को रखा गया और २५-५-५८ को हटाया गया।

Page No.16

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह अर्सा एक साल से कम हुआ या ज्यादा ?

श्री अध्यक्ष : Probationary period. can be extended.

श्री श्रीभानसिंह : Under what orders it was extended ?

श्री दामोदरलाल व्यास : साल भर के बाद ही तो उसको हटाया जायगा।

श्री पी० के० चौधरी : Then it takes some time to remove of course. The appointmant is strictly on a probationery period and if there is no report against him during this period, automatically his services will be terminated, but why he remaind for six months more ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : Have you got any order for that ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नाकाबिल साबित हुआ, इसलिये उसको हटाया गया।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : When his services were terminated ? Was it referred to the Public Service Commission for the removal ?

श्री दामोदर लाल व्यास : It is not necessary.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : When once the appointment is made with the consent of the Public Service Commission, it should be referred to the PublicService Commission again.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that it is not necessary.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Minister said that he was removed due to his misconduct. Was any show cause notice served on him ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Pardon.

श्री श्रीभानसिंह : Was any warning or a notice served on him ?

श्री दौलतराम सारण : उसकी अयोग्यता थी विभागीय काम में, इसलिये उसको नोटिस दिया गया था हटाने के लिये। कई बार एक्सप्लेनेशन कॉल हुए, वार्निंग दी गई, इस पर भी जब काम ठीक नहीं रहा तो ऐसी सूरत में उनको हटाया गया।

श्री श्रीभानसिंह : आपके डिपार्टमेन्ट से उनको कितनी बार वार्निंग मिली ?

श्री अध्यक्ष ; He has said that notices were given.

श्री श्रीभानसिंह : पहले उनकी अपोइन्टमेन्ट हुई जोधपुर में...

श्री अध्यक्ष : नोटिस कब दिया वह बता दीजिये।

श्री श्रीभानसिंह : पहले उनको प्रोबेशन पर टेम्प्रेरी सर्विस में लिया गया। फिर गवर्नमेन्ट ने एडवर्टाइजमेन्ट निकाला पर्मानेन्ट पोस्ट के लिये। पी० एस० सी० ने इन्टर्व्यू किया और उनको सिलेक्ट किया। पर्मानेन्टली उनकी अपोइन्टमेन्ट होने के बाद डाइरेक्टर अमेन्डमेन्ट निकालता है for which he is not authorised without the concurrence of the P. S. C. when

Page No.17

(श्री श्रीभानसिंह)

the appointment was on probationry period. और तब उनकी सर्विसेज़ टर्मिनेट होती है विदाउट नोटिस ।

श्री अध्यक्ष : Notice has been given.

श्री श्रीभानसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि शुरू से आखिर तक कितनी सर्विस रही, कब पी. एस. सी. में गया, किसने अमेन्डमेन्ट किया आदि ।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया था कि पी. एस. सी. के ऑर्डर का कोई संशोधन नहीं किया गया है और आप कहते हैं कि संशोधन किया गया है ।

श्री श्रीभानसिंह : Whether the Director is authorised to make an amendment ?

श्री अध्यक्ष : It is very clear so far as the facts are concerned...

श्री श्रीभानसिंह : It is not clear. Sir. He says that there was no amendment. For this I am bringing separately a privilege motion against the Hon ' Minister before the House. But here is a question of removal of an officer. A certain man was selected by the P. S. C., the Government appointed him for a period of one year and then removed him without notice.

श्री अध्यक्ष : Notices were served that his work was not to a standard and he was not confirmed and then his services were terminated.

श्री श्रीभानसिंह : I wanted to know,Sir, what was the nature of the notice.

श्री अर्जुनदास : May I know, Sir, what was the nature of the notice.

श्री अर्जुनदास : May I know. Sir, whether before this removal the officer was given a chance for appeal ?

श्री अध्यक्ष : It was open for the Officer concerned to appeal.

श्री श्रीभानसिंह : He has appealed, but the Government has turned a deaf ear. I wanted to know when was the notice given ? He has said notices were issued,but on what date and when, e replied ?

श्री अध्यक्ष : We have taken much time on it and there are still so many questions ?

श्री पी० के० चौधरी : When the removal was taken place, did the person submitted an appeal ? In such cases always an opinion is taken from the P. S. C. Whether the opinion was taken in this case ?

श्री अध्यक्ष : Next Question please

श्री श्रीभानसिंह : What is the nature of the notice and the date of the notice......

श्री अध्यक्ष : Notice was given, but how it is material to it.

श्री श्रीभानसिंह : That is material whether the notice was given or not.

Page No.18

(श्री श्रीभानसिंह)

If given, what was its language. What were the charges ?

श्री अध्यक्ष : It does not matter. He says it was given, you say it was not given.

श्री श्रीभानसिंह : I wanted to know the nature of the notice.

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी प्रकाश डाल दिया गया है।

श्री श्रीभानसिंह : इस तरह बहुत दिक्कत हो जायगी, अगर एक आदमी के केस में एम. एल. एज. की अपनी ओपीनियन दें, चाहे जस्टिस हो या इन्जस्टिस !

श्री अध्यक्ष : We have taken too much time in it. Next Question. काफी मौका दिया गया है सोलिटरी ऑफिसर के केस को प्लीड करने का।

श्री श्रीभानसिंह : मैं प्लीड नहीं कर रहा हूँ। तारीख पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : That is why I have allowed such a long discussion.

श्री श्रीभानसिंह : I just wanted to know the date of the notice, Sir.

श्री अध्यक्ष : Be brief. He asks far a date, you give it.

श्री दामोदरलाल व्यास : The officer was transfered to Veterinary Hospital Udaipur vide order No. F. 1 (2) DAH/57/13/54 ... dated 27-9-57. He was also issued a warning on 22-11-57.

श्री पी० के० चौधरी : There is a difference between a charge sheet and a warning.

श्री अध्यक्ष : What is that ? Notice is a warning.

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Speaker, Sir, there is a contradictory reply...

श्री अध्यक्ष : There is a large number of members who want their questions to be attended. The Hon'ble members should realise it.

श्री श्रीभानसिंह: The Hon'ble members will asosciate with me and here they are not to support injustice.

श्री अध्यक्ष : They have also got some important matters. They also want that they should be taken.

श्री श्रीभानसिंह : Here is also a question of public importance.

श्री अध्यक्ष : Next question please. Shri Daya Krishna Vijay.

आमागढ़ झालाना की खानों की रायल्टी

४७४. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार आमागढ़ झालाना की खानों की रायल्टी कलेक्शन का ठेका फिर उसी व्यक्ति को दे रही है जिसे पहले दिया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार के पास इस ठेके को लेने के लिए पहिले की राशि से १०,००० रु० अधिक पर भी ठेका लेने के आफर्स आए हैं ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) पिछले ठेके की मियाद १-४-५८ से ३१-३-५९ तक के लिए बढ़ा दी गई है।

(ख) जी हां, आई थी, लेकिन नीलाम की कार्यवाही खत्म होने के बाद।

श्री दयाकृष्ण विजय : तारीख क्यों बढ़ाई गई ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : ऐसा था कि इनको ठेका दिया गया। उसके अन्दर कुछ आदमियों के रिप्रजेन्टेशन आये, उसकी वजह से जो मियाद उनको पहले दी गई थी, उस अर्से में वे काम नहीं कर सके, इसलिए एक साल भर के लिए मियाद बढ़ाए जाने की दरख्वास्त दी। उनको जो ठेका दिया गया था वह ५६ में दिया गया था, और वह दो साल के लिए दिया गया था। चुनाचे इस दरम्यान में एक साल काम नहीं कर सके। इसलिए एक साल की मियाद और बढ़ाई गई थी। जो ऑफर ज्यादा रकम की आई थी, वह १९५८-५९ के अन्दर मियाद बढ़ाई गई, इसके दरम्यान में नहीं आई। इससे पहले नीलाम की कार्यवाही खत्म हो चुकी थी। ऑफर बाद में आई, इसलिए उस पर विचार नहीं किया जा सकता था।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने रिप्रजेन्टेशन की बात कही, रिप्रजेन्टेशन हुए इस कारण मियाद बढ़ाई। ऑफर आने के बाद में जिस आदमी को आपने चुना था उसको ठेका नहीं दिया गया ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : १९५६ में ठेका दिया गया था, वह दो साल के लिए दिया गया था, वह ठेका १-४-५८ तक था। इन दो सालों के दरम्यान में ठेकेदार एक साल तक काम नहीं कर सका, इसलिए दरख्वास्त पेश की कि रिन्युअल दिया जाय क्योंकि एक साल काम नहीं कर सका। यह फैक्ट है कि दूसरे आदमियों के रिप्रजेन्टेशन्स आये, लेकिन उसका नहीं था जिसने ऑफर दिया।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : दो साल तक काम नहीं कर सका। जिसको ठेका दिया गया, उसका नाम क्या था, कब ठेका दिया गया व कितने का दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : १९५६ में, १६ हजार ६ सौ का।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : उस आदमी का नाम क्या था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आदमी के नाम का पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

ट्रान्सपोर्ट सर्विस की कम्पलेन्ट बुक्स

४७५. श्री मोहरसिंह (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थित में) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ट्रान्सपोर्ट सर्विस की कम्पलेन्ट बुक्स में आम तौर पर क्या शिकायतें दर्ज की जाती हैं।

(२) ये कम्पलेन्ट बुक्स अधिकारीगण कब कब चैक करते हैं ?

(३) इन शिकायतों के निवारण के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये ?

उप मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) आम तौर पर निम्नलिखित शिकायतें दर्ज की जाती है :

(अ) सवारियां ज्यादा हैं।

Page No.20

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ब) किराया ज्यादा चार्ज किया गया।

(स) कन्डक्टर या ड्राइवर का बर्ताव ठीक नहीं, इत्यादि।

(२) सब इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर ट्रान्सपोर्ट प्रति मास इनका निरीक्षण करते हैं तथा आर. टी. ओ. और अन्य उच्चाधिकारी भी अपने दौरों के समय चैक करते हैं।

(३) जो शिकायतें पाई जाती हैं, उनके लिए मोटर ऑपरेटर्स के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

मुख्य मन्त्री के ऑफिस में टेलीप्रिंटर मशीन

४७६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री के ऑफिस में टेलिप्रिंटर मशीन लगी हुई है ?

(२) अगर हां, तो उसका माहवारी क्या खर्च होता है और उस मशीन को क्यों रखना जरूरी है ?

(३) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में यह मशीन कोई महत्व नहीं रखती है।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी हां। दो टेलिप्रिंटर मशीन, एक पी. टी. आई. की और दूसरी यू. पी. आई. की लगी हुई हैं। यू. पी. आई. की मशीन हाल में (इस प्रश्न की सूचना आने से पहले) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में लगाने का आदेश हो गया है।

(२) पी. टी. आई. की मशीन का माहवारी खर्च १५०० रु० और यू. पी. आई. का माहवारी खर्च १,१२५ रु० दिया जाता है। इन मशीनों को रखना इसलिए जरूरी है कि देश विदेश की महत्व की घटनाओं की सरकार को अविलम्ब जानकारी मिल जाय। राजस्थान के जो समाचार इन समाचार समितियों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं इनकी भी जानकारी सरकार को इन मशीनों से तुरन्त प्राप्त होती रहती है।

(३) यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

पब्लिक प्रोसीक्युटर की नियुक्ति

४७७. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): क्या विधि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि तेजसिंह मेहता जिन्हें पब्लिक प्रोसीक्यूटर नियुक्त किया गया है कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य हैं और उक्त पार्टी की तरफ से वे वाइस प्रेसीडेन्ट के पद पर म्युनिसिपल बोर्ड, उदयपुर में आसीन थे ?

(२) सरकार पब्लिक प्रोसीक्युटर की नियुक्ति के समय किन आधारों को दृष्टिकोण में रखती है ? क्या क्रिमिनल प्रेक्टिस भी उन आधारों में से एक है ?

(३) क्या यह सत्य है कि श्री मेहता ने अब तक कोई फौजदारी मुकदमा नही लिया और केवल उनकी प्रेक्टिस सिविल साइड की थी ?

(४) क्या यह सत्य है कि श्री मेहता के साथ साथ अन्य तीन वकीलों को जिलाधीश उदयपुर ने इस पद के उपयुक्त पाकर उनकी

(श्री पी० के० चौधरी)

सिफारिश की थी और इन वकीलों का अनुभव फौजदारी में बमुकाबले श्री तेजसिंह से अधिक था ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, विधि मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) पब्लिक प्रोसीक्यूटर के पद की नियुक्ति होने से पहले श्री तेजसिंह मेहता कांग्रेस के सदस्य थे और म्युनिसिपल बोर्ड उदयपुर के वाइस प्रेसीडेन्ट भी थे। पब्लिक प्रोसीक्युटर के पद की नियुक्ति होने पर श्री तेजसिंह मेहता ने नियमानुसार लिखित रूप में आश्वासन दिया है कि वे इस पद के दौरान में राजनैतिक क्षेत्र से सम्बन्ध नहीं रखेंगे।

(२) अब किसी वकील की पब्लिक प्रोसीक्यूटर के पद पर नियुक्ति की जाती है तो उनकी सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार की प्रेक्टिस की योग्यता पर ध्यान दिया जाता है।

(३) सरकार को जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्री मेहता की प्रेक्टिस फौजदारी मुकदमों की भी थी।

(४) जो ४ नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज के परामर्श से पब्लिक प्रोसीक्यूटर के पद के लिये प्रेषित किये थे, उनमें श्री तेजसिंह मेहता का ही नाम सबसे पहले था और प्रेक्टिस की योग्यता और प्रेक्टिस के अर्से को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने श्री तेजसिंह मेहता को ही सबसे उपयुक्त समझा और इसलिए उनकी नियुक्ति की गई।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सही है कि उनका रिलेशन है चीफ सेक्रेटरी राजस्थान से।

श्री दामोदरलाल व्यास : Not to my knowledge.

श्री अर्जनदास : Whether the Government will enquire and let the House know.

श्री दामोरलाल व्यास : Put a separate question for this.

सरदार शहर, बीदासर सर्विस

४७८. **श्री मोहरसिंह** (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या दिनांक २७ फरवरी, ५८ को दिन में दस बजे सरदार शहर से चलने वाली सरदार शहर बीदासर सर्विस में रास्ते में यात्रियों ने कम्पलेन्ट बुक मांगी थी और उस समय नहीं दी गई ?

(२) यह कम्पलेन्ट बुक किस कारण उस समय नहीं दी गई ?

(३) इस बस में कौन कौन पुलिस कर्मचारी यात्रा कर रहे थे ?

(४) क्या इनके पास टिकिट थे ? यदि हां, तो किस नम्बर के ?

(५) क्या पुलिस कर्मचारियों के होते हुए भी ड्राइवर के दाहिनी ओर दो महिला यात्री बिठाये गये थे, छत पर यात्री चढ़े हुए थे, फाटक रास्ते भर खुला था और लोग पीछे लटके हुए थे ?

(६) यह बस कितने यात्रियों के लिए पास की हुई थी ?

(श्री मोहरसिंह)

(७) इसमें उस वक्त अधिक से अधिक कितने यात्री सवारी कर रहे थे ?

(८) क्या इस विषय की कोई शिकायत दर्ज हुई है ? यदि हां, तो उसका मजमून क्या है ?

उप-मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) हां।

(२) कम्पलेन्ट बुक टूल बॉक्स से निकाल कर देने में गाड़ी को रोकना पड़ता है, जिससे रतनगढ़ ट्रेन पकड़ने में देर हो सकती थी। इसलिये कम्पलेन्ट बुक रतनगढ़ पहुंच कर दे दी गई।

(३) ऐसा कोई रेकॉर्ड नहीं रखा जाता।

(४) बस में बैठी सभी सवारियों के पास टिकिट का होना जरूरी है।

(५) नहीं।

(६) ३५ यात्रियों के लिये।

(७) पूरी संख्या की तो जानकारी नहीं, किन्तु ३५ से कुछ अधिक सवारियां रास्ते में हो गई थीं।

(८) शिकायत कम्पलेन्ट बुक के पृष्ठ ७ और ८ पर दर्ज हुई है। मजमून के लिये कृपया संलग्न सूची देखें।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकन्द।

डूंगरपुर जिले के शहीद परिवारों की सरकार द्वारा सहायता

४७६. **श्री बालमुकन्द** (डूंगरपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डूंगरपुर जिले में आजादी प्राप्त करने के सिलसिले में रास्ता पाल के नानाभाई भील और काली बाई भील शहीद हुए थे ? यदि हां, तो उक्त शहीद परिवार के लोगों को क्या क्या सहायता दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) तथा अंग भंग कितनी भील औरतें हैं व इनकी जीविका के लिये सरकार क्या मदद दे रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) हां। नानाभाई और कालीबाई के उत्तराधिकारियों को निम्नलिखित सहायता दी गई।

(१) नानाभाई की बेवा को ४०० रु० की सहायता।

(२) नानाभाई के पुत्र को १५ रु० मासिक की छात्रवृत्ति जब तक वह अपनी शिक्षा जारी रखे।

(३) काली बाई की माता नवलबाई को ४०० रु० की सहायता।

(ख) दो स्त्रियों का अंग भंग हुआ। इनमें से एक को १०० रु० की सहायता प्रदान की गई तथा १० रु० मासिक आजीवन पेन्शन दी गई। दूसरी को १०० रु० की सहायता व ७ रु० मासिक आजीवन पेन्शन दी गई।

जिला सीकर में अपहरण और बलात्कार के केसेज

४८०. **श्री नारायणलाल** (नीम का थाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.23

(श्री नारायणलाल)

(क) इस वर्ष १६५८ में जिला सीकर में अपहरण व बलात्कार के कितने मामले पुलिस में दर्ज हुए ?

(ख थाना रामगढ़ सेठोंका में कितने बलात्कार के केस दर्ज किये गये ?

(ग) उक्त केस में से हरिजन युवतियों के कितने हैं ? और उन पर अब तक क्या क्या कार्यवाही हुई ?

(घ) क्या सरकार के ध्यान में है कि इस प्रकार की घृणित घटनायें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

राजस्व-मन्त्री : (श्री दामोदरलाल व्यास गृह मंत्री की अनुपस्थिति में . :

(क) सितम्बर ५८ तक सीकर जिले में १२ मामले अपहरण के और ३ बलात्कार के अंकित कराये गये।

(ख) थाना रामगढ़ सेठान में दो बलात्कार के प्रकरण अंकित किये गये और दोनों हरिजन स्त्रियों से सम्बन्धित थे।

(ग. एक केस का अदालत में चालान कर दिया गया और दूसरा जेर तफतीश है।

(घ) बलात्कार और अपहरण के प्रकरण बढ़ नहीं रहे हैं, पुलिस सचेत रहती है। पुलिस, बताये जाने पर, दुश्चरित्र लोगों के खिलाफ कार्यवाही करती है।

श्री नारायणलाल : तफतीश होते कितना अर्सा हो गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मुकदमा इसी वर्ष का है।

श्री नारायणलाल : आज तक मुकदमे की तफतीश पूरी नहीं हो सकी, इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुल्जिम नहीं मिल रहे हैं, मुस्तगीस के गवाहान भी नहीं आये हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि पुलिस ने मुल्जिम फरार कर दिये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस मुल्जिमों को फरार नहीं करती, गिरफ्तार करती है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

रूरल एरिया को लोहे के कोटे का वितरण

४८१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उणियारा) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कृषि कार्य के लिए रूरल एरिया को डिस्ट्रिक्ट और तहसीलवार लोहे का कोटा दिया जाता है ?

(ख) क्या टोंक डिस्ट्रिक्ट में भी कृषि कार्य के लिये उक्त कोटा निर्धारित है ? अगर हां, तो कितना तथा सन् १६५६, ५७ और ५८ में कितना तहसीलवार कोटा दिया गया ?

(ग) क्या उपरोक्त कोटे के वितरण आदि के लिए कोई कमेटी मुकुर्रर है ? अगर हां, तो उसके सदस्य कौन कौन हैं ? क्या उपरोक्त कोटे में से म्युनिसिपल एरिया को भी लोहा दिया जाता है ?

कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) इस विभाग द्वारा जिलेवार कोटा निर्धारित किया जाता है। जिला अधिकारी जिलेवार वितरण करते हैं।

(ख) कोटा जो निर्धारित होता है वह जिले की जन-संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। टोंक में तहसीलवार कोटा वितरित किया गया।

(ग) लक्ष्य अधिकारी, सरपंच, तहसील आदि में से किसी एक की सिफारिश पर काश्तकारों को परमिट दिये जाते हैं। यदि काश्तकार म्युनिसिपल एरिया में रहते हैं तो उन्हें भी दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

राजस्थान नहर के उद्घाटन पर खर्चा

४८२. **श्री गिरधारीलाल** (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान नहर के उद्घाटन में कितना रुपया सरकार का खर्च हुआ ?

(२) क्या सरकार की ओर से कोई स्पेशल ट्रेन वहां गई ? यदि हां, तो कितने आदमी उसमें गये ?

(३) क्या यह सत्य है कि इसमें एम० एल० एज० के अतिरिक्त बिना किराये कुछ लोग वहां गये और वापिस आये ?

(४) कुल सफर किराया सरकार को कितना देना पड़ा ?

(५) क्या उक्त अवसर पर बाहर के पत्रकार भी आये तथा क्या उनके आने जाने का खर्च सरकार ने दिया ?

(६) क्या इस अवसर पर सरकार ने बाहर से आने वाले पत्रकारों के दौरे एवं विशेष भ्रमण का भी कार्यक्रम रखा ? यदि हां, तो उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) ३२००० रु०

(२) १४५।

(३) जी नहीं। एम० एल० ए० के अलावा जिन सज्जनों ने उसमें यात्रा की उनसे रेल किराया सरकार ने वसूल किया।

(४) १३३०७ रु० इसमें से २६५६.७८ रु० उन सरकारी अधिकारियों से वसूल किया गया जिन्होंने इस स्पेशल में यात्रा की थी।

(५) जी नहीं।

(६) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह रुपया यात्रा करने से पहले वसूल किया गया या बाद में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले या बाद में वसूल किया गया यह मालूम नहीं, किन्तु वसूल जरूर कर लिया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

तहसील रायपुर के तालाबों व बांधों की मरम्मत

४८३. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री शंकरलाल)

(१) तहसील रायपुर, जिला पाली में ऐसे कितने बांध व तालाब हैं जो टूटे पड़े हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(२) क्या सरकार द्वारा इन टूटे बांधों व तालाबों की मरम्मत के लिए खर्चे के अनुमान की सर्वे की गई है? यदि नहीं, तो कब तक सर्वे कर दी जायगी?

(३) सरकार द्वारा इनकी मरम्मत कब तक किये जाने का अनुमान है?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, सिचाई मन्त्री की अनुपस्थिति में : (१)रायपुर तहसील में ऐसे तालाबों की संख्या ३३ है, वह सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इन तालाबों की मरम्मत के लिये प्रिलिमिनेरी सर्वे खर्चे के अनुमान की कराई जा रही है।

(३) सर्वे पूर्ण होने पर ही मरम्मत के विषय में अनुमान किया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री शंकरलाल : ये कब से टूटे पड़े हुए हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : करीब तेतीस तालाब हैं, अलग अलग तालाबों की अलग अलग सूचना कि कब से टूटे हैं मेरे पास नहीं है। हां, यह कह सकता हूं कि रिपेयर्स की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

मेड़ता पुष्कर रोड की मरम्मत

४८४. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि मेड़ता से पुष्कर वाया बांडी घाटी की सड़क पर डामर डालने की स्वीकृति सरकार द्वारा की गई थी?

(२) यदि हां, तो कब और इसमें से कितना कितना रुपया खर्च हो चुका है तथा कहां तक डामर डाल दिया गया है?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां।

(२) मार्च सन् १९५७ में। परन्तु कार्य योजना के अनुसार सन् १९५९-६० में आरम्भ होगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : स्वीकृत पहले हो गई और कार्य इतना बाद में शुरू किया जायगा, यह कैसे?

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचवर्षीय योजना में शुरू होने वाला है। अन्त के दो साल में शुरू किया जायगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : शुरू तो कर दिया जायगा न!

श्री दामोदरलाल व्यास : उत्तर दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंहजी।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के कैश में शार्टेज

४८५. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.26

(श्री भैरोंसिंह)

(१) क्या यह सही है कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में सन् १९५६-५७ व १९५७-५८ में विभागीय कैश चैक करने पर कुछ शॉर्टेज पाई गई ? यदि हां, तो कितनी तथा किस कारण से ?

(२) क्या यह भी सही है कि इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भी मिल चुकी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास, गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) गलतियां पाई गई । उन गलतियों का सम्बन्ध १५०० रुपयों से था । शॉर्टेज का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(२) हिसाब की गलतियां थीं, जिनके लिये विभाग को लिख दिया गया है कि ऐसी गलतियां न करें ।

श्री भैरोंसिंह : जिस दिन शॉर्टेज ट्रेस आउट हुई थीं तो उस रेकॉर्ड को जब्त किया गया कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शॉर्टेज़ नहीं, हिसाब-किताब रखने का सम्बन्ध था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कैश बुक्स में १७-८-५८ को शॉर्टेज़ पाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एड्वान्सेज़ दे रखी थीं, उन लोगों का हिसाब दर्ज नहीं किया था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ए. ओ. फाइनेन्स (इन्स्पैक्शन) ने अपने इन्स्पेक्शन नोट में इस बात का उल्लेख किया है कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के कैश में शॉर्टेजेज़ हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शॉर्टेजेज नहीं थीं, गवर्नमेंट के काम में खर्च करने के लिये एडवान्सेज़ दे रखीं थीं ।

श्री भैरोंसिंह : इस बात का रिपोर्ट में उल्लेख है कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिपोर्ट का तो पता नहीं, पर जो वाक्य है उसका उल्लेख कर रहा हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : क्या ऑडिट करने वाले ए. ओ. इन्स्पैक्शन (फाइनेन्स) थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, फाइनेन्स के अधिकारी थे ।

श्री पी० के० चौधरी : जो एड्वान्सेज दिये गये थे वह कैश बुक में दर्ज नहीं थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कैश बुक में दर्ज नहीं था, अलग हिसाब रख रखा था, सरकारी काम में खर्च करने के लिये दे रखा था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन्स्पैक्शन हुआ तो दूसरे रेकॉर्ड से साबित नहीं कराया जा सका कि अमुक अमुक लोगों को ये एडवान्सेज दे रखे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास: जयपुर डाइरेक्टोरेट के ध्यान में यह बात आई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एडवान्सेज लेने वालों में डाईरेक्टर खुद भी शामिल हैं ?

Page No.27

श्री दामोदरलाल व्यास : लिस्ट मेरे पास नहीं है।

श्री अर्जुनदास : एडवान्सेज के लिए सरकारी किताब दी जाती है। उस सरकारी किताब में एन्ट्रीज होती हैं या प्राइवेट बुक में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया न कि कैश बुक में तो खर्च होता है तभी दर्ज किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : He says that some amounts were not entered in the cash book.

श्री पी०के०चौधरी : No, Sir, that is a wrong reply. Not keeping of entries in the cash book is irregular.

श्री अध्यक्ष : It may be irregular, but he says that it is a fact and he has found out.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही कि सार्वजनिक संपर्क विभाग में ऐसा रजिस्टर रखा जाता है जिसमें एडवान्सेज लिखे जाते हैं ?

श्री पी०के०चौधरी : Even the advances are entered.

श्री दामोदरलाल व्यास : रजिस्टर रखा जाता है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, पर इसका हिसाब जरूर अलग रखा जाता है।

श्री भैरोंसिंह : कोई ऐसा रजिस्टर रखा जाता है जिसमें रेगुलरली इस तरह की एन्ट्रीज की जाती हों ?

श्री दामोदरलाल व्यास: रजिस्टर की नहीं कह सकता, पर वह हिसाब दर्ज जरूर हुआ था।

श्री पी०के०चौधरी : This is a very strange reply.

श्री अध्यक्ष : He is not withholding anything from the House. It may be strange, but that is a fact, and he has already admitted it.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that it was irregular, but there was nothing malafide.

श्री अर्जुनदास : Whether he (the Hon.'Minister) has been supplied the information by the Government or unofficially ?

श्री पी० के० चौधरी : Actually the Director of Public Relations was out on tour, so on that day they cannot give any cash and on his return he says, "I have advanced the amount" Actually there is no rule.

श्री अध्यक्ष : No speeches please

ग्राम फूंसरा का स्कूल भवन.

४८६. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम फूंसर की जनता से इस आश्वासन पर स्कूल का भवन बनवाया गया था कि ग्राम ठूंसरा का का स्कूल फूंसरा में स्थानान्तरित कर दिया जावेगा।

(२) क्या यह सही है कि इस आशय का एक पत्र शिक्षा विभाग, बीकानेर से नम्बर ई. ओ. बी. । पी. एल। (१)। २१०।१ ।।।

Page No.28

(श्री दयाकृष्ण विजय)

१५२ (५७) दिनांक २३-११-५७ शिक्षा विभाग कोटा को भेजा गया है ?

(३) क्या सही है कि कक्षा १ ही फूंसरा में खोलने से तथा फूंसरा की पाठशाला स्थानान्तरित नहीं करने से दोनों स्थानों पर विद्यार्थियों की संख्या अत्यल्प है ?

(४) क्या सरकार इन दोनों स्थानों के लिए इस प्रकार की योजना बनाने की सोच रही है जिससे कि दोनों जगह स्कूल चलते रहें ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) दोनों स्थानों पर स्कूलें चल रही हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय: जब यह आश्वासन नहीं दिया गया था तो डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा यह पत्र कैसे दिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह आश्वासन नहीं बल्कि ऑर्डर पास किया गया था।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या प्राइमरी स्कूल को भी बदल दिया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : फूंसरा में दूसरी स्कूल खोल दी गई है।

श्री दयाकृष्ण विजय : कौन सी कक्षा तक पढ़ाई होती है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पहले तो हम दो क्लॉसेज़ ही खोलते हैं। जब ज्यादा लड़के होते हैं पढ़ने वाले दूसरी कक्षा में तो उस पर विचार करते हैं। पहले तो सिंगल टीचर स्कूल ही खोलते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : वहां पर दूसरी और तीसरी कक्षा अभी तक नहीं खोली गई है इसलिये वहां पर जो लड़के तीसरी कक्षा में पढते थे वे बरबाद हो रहे हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह फासला फूंसरा से ६ फर्लांग का है कोई ज्यादा दूर नहीं है। बच्चे वहां पर जा सकते हैं समय पर मकान दिया नहीं। कोई गलती नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : गलती तो यह है कि प्राइमरी स्कूल पहले भी बिल्डिंग बनाना वहां से आपने स्कूल बदल दिया। जहां प्राइमरी स्कूल चलता था वहां आपने सेकिन्ड क्लास खोला। इसलिये सेकिन्ड और थर्ड के बच्चे बेकार हो रहे हैं। यदि इसको तेलीवाड़े में बदल दिया जावे तो उचित होगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं। ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : शोर्ट नोटिस क्वेश्चन।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत से इम्पोर्टेन्ट प्रश्न रह गये हैं जिनका हाउस में पूछा जाना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : कौन से प्रश्नों का आप कह रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्री महोदय, यों तो बताते नहीं। हाउस में कभी अवसर आता है और इस प्रकार से क्वेश्चन लेप्स होगा तो हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी। प्रश्न संख्या ४८६ और ४६६ मुझे पूछने की अनुमति दे दी जावे या इन्हें किसी दूसरे दिन पर रखा जावे।

Page No.29

श्री अध्यक्ष : यदि इनको किसी दूसरे दिन पर रखेंगे तो आगे आने वाले दिन के प्रश्न रह जावेंगे। यदि आप क्वेश्चन के लिये सप्लीमेन्ट्री में करने का समय न लें तो ज्यादा प्रश्न पूछ सकते हैं।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

शोर्ट नोटिस क्वेश्चन।

१२. १६ म. प.

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

राजस्थान वित्त जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Finance Minister be pleased to state :

(a) Is it correct that Rajasthan Finance Enquiry Committee headed by Shri N. Madhav Rao has submitted its report ?

(b) Is it correct that the Committee has recommended a drastic cut in the expenditure on administrative units ?

(c) Is it correct that nearly 50% of the State's revenue budget consists of salaries to its officers ?

(d) Is it correct that the Committee has urged for a reduction in the number of superfluous official staff in the Revenue Department ?

(e) Is it correct that according to the Committee, the Industries Department has a preponderance of administrative staff as compared to technical and expert personnel ?

(f) Is it correct that the Committee has recommended the establishment of a Central Stores Purchase Organisation to check the "astonishing state of financial indiscipline" in purchase of stores ?

(g) When does the Government propose to implement the recommendations of the Committee ?

(h) Will the Minister place a copy of the report on the Table of the House ?

In this short notice question, Sir, we have received a reply in affirmative for (a) to (f). I would not like to know the Hon. Minister's reply regarding (g), when does the Government propose to implement the recommendations of the Committee ?

उप-उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : The Government has considered the report and also taken some decisions. Regarding (h) a copy has already been placed before the House.

श्री पी० के० चौधरी : I wanted your decision.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : As regards decision of the Government after the receipt of the report, the matter was sent to the Cabinet. Some of the recommendations of the Committee have been accepted by the Government and with respect to some they have been sent to different departments for further examination; some have not been accepted by the Government. Therefore, it would be very difficult for me to place any

Page No.30

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

particular decision before the House which has been taken by the Government, unless and until a final decision is taken on all rocommendations, I cannot poesibly place before you any decisions ?

श्री पी० के० चौधरी : Will the Hon. Minister tell us some of the important decision which they have Taken on these recommendations.

श्री अध्यक्ष : Would you place a statement of the decisions on the table of the House for the information of Hon. Members ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It woutd be very difficult, Sir, to lay a statement.

श्री पी० के० चौधरी : I would suggest, Sir, that a day be fixed for discussion of this report.

श्री अध्यक्ष : It is too early yet for that. The Government is taking certain decisions and when those decisions are taken, I am asking him to inform the House about them, and then.........

श्री पी० के० चौधरी : This is a very important matter, Sir, and many of the Members like to go through this report and as the report deals with the entire financial structure of the State, the House may like to express its opinion about some matters raised by the Committee. So I request the Hon. Minister that a day may be fixed for having a debate on this report,

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There are some recommendations which have been accepted by the Government, but there are others which are still to be considered and they have been sent to different departments for further examination. Therefore, unless and untill they are examined by the department and their opinion received by the Government and decisions taken, I think it would be premature to have a debate as suggested by the Hon. Members. So let the final decision be taken by the Government and then alone it would be better that the House may discuss.

श्री पी० के० चौधरी : But it will help the Government to take proper decisions, if it is debated in the House first.

श्री अध्यक्ष : The Hon. Member means that the House may help, by its debating the report, the Government in taking decisions. You (Hon. Shri Dhariwal) may consider this request and take a decision.

१२.२४ म. प.

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष : राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन विधेयक, १९५८ क्लॉज २, पर वाद-विवाद चल रहा है। श्री पी० के० चौधरी अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

Page No.31

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, before I move my amendment to part (2) of Clause (2) I would like to speak on the amendment in part (1) of clause 2 moved by Hon. Shri Brij Mohan Lal.

श्री अध्यक्ष : On the previous amendment ?

श्री पी० के० चौधरी : (जारी) Yes Sir, Shri B. M. Lal has moved to delete the words "and includes any holder......of this Act "from clause 2, part (1) which reads:—

" (1) 'Biswedar' has the meaning assigned to it by clause (5) of section 5 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and includes any holder of land, not being a tenant, who may be declared by the State Government, by notification, to be a Biswedar for the purposes of this Act."

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) Sir, I would accept the amendment move by Shri Brijmohan Lal. So I don't think there is any need for further discussion.

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, (to Hon. Shri Damodarlal) You accept it ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes.

१२·२५ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री पी० के० चौधरी : I move the amendment that the words 'or interest in land' be deleted from clause 2 (2).

मैं समझता हूं कि "or interestin land" को डिलीट करने के लिये मैंने प्रस्ताव रखा है। क्योंकि 'estate' means land or interest in land जो पार्ट ३ में आगे आता है वह "land' means every class or category of land forming part of an estate and includes (a) benefits to arise out of such land,

(b) things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth,"

मैं समझता हूँ कि यह जो लैण्ड है वही सफीशियेन्ट कॉम्प्रिहेन्सिव है। ''estate' means land held by a Biswedar or a Zamindar.

उसमें इन्टरेस्ट इन लैण्ड (interest in land)जोड़ने की जरूरत नहीं रहती है जैसा पहले पार्ट वन में जो डेफीनिशन एक्सैप्ट किया है, अमेन्डमेन्ट ऑनरेबल मिनिस्टर ने मूव किया था उसके बाद में मैं समझता हूँ, 'Or interest in land' को रखने की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि जब तक वह डेफीनिशन थी उसमें अख्तियार था कि कौन बिस्वेदार है और कौन बिस्वेदार नहीं है, तो वह डिक्लेयर कर सकते थे। तो इन्टरेस्ट बताकर कि किसी फलां का इन्टरेस्ट है लेकिन जो वहां डेफीनिशन एक्सैप्ट किया है यह और भी ज्यादा मौजूद होता है, इसलिए यहां इन्टरेस्ट इन लैण्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि इसको मंजूर किया जायेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पार्ट वन का जैसा अमेन्डमेन्ट मैंने अर्ज किया कि मैं उसको तो स्वीकार करता हूं जो कि ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है और दूसरा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अमेन्डमेन्ट जो अभी मूव किया है "for deletion of the words 'or interest in land" मैं समझता हूँ कि यह बिलकुल गलत होगा क्योंकि बहरहाल बिस्वेदार और जमींदार के लिए सिर्फ लैण्ड का लिख देना और जो कुछ इन्टरेस्ट है उसको एबोलिश कर रहे हैं। इस एक्ट के जरिये यह कहना कि क्योंकि मैंने उस डेफीनिशन को मन्जूर कर लिया है तो गवर्नमेन्ट को कोई पॉवर्स नहीं होगी यह डिक्लेयर करने की कि कौन जमींदार है और कौन बिस्वेदार है। इसका मतलब यह नहीं है कि हाउस को भी पॉवर्स नहीं होंगी। मान लीजिए कल को गवर्नमेन्ट के ध्यान में आई कि ऐसी और भी चीजें हैं जो बिस्वेदार में आती हैं तो we will bring further amendents of this Bill in the House and the House will declare that particular type of tenancy or zamindari इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेन्ट के पास पॉवर्स नहीं रहेंगी, इसलिए इन्टरेस्ट को उड़ा दिया जाय। मैंने अर्ज किया कि जहां हम बिस्वेदारी और जमींदारी एबोलिश कर रहे हैं वहां हम जमींदारी और लैण्ड के अन्दर हर जमींदार के इन्टरेस्ट को भी एबोलिश कर रहे हैं।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : I rise on a point of order, Sir, this Bill, the Rajasthan Zamindari and Biswedari Abolition Bill provides that it extends to the whole of Rajasthan and intends to abolish Biswedars. Now, Sir, under the Ajmer Abolition of Intermediaries and Land Reforms Act, 1955, Biswedars and Khatedars have been excluded from the definition of 'estate' and they cannot be abolished.

Section 119 of the States Reorganisation Act, 1956, provides that all laws which were in force in a particular territory shall remain in force unless they are amended by.........

(विराम)

Because, Sir, some officers were noting in the 'Official Gallery'......

श्री उपाध्यक्ष : You should not look to the official gallery nor to any other gallery.

श्री बृजमोहनलाल : But we have to take their view in consideration.

श्री उपाध्यक्ष : No. They are in the gallery and you should not look to them.

श्री ब्रजमोहनलाल : The definition of 'estate' in the Ajmer Abolition of Intermediaries and Land Reforms Act, 1955 provid "estate' has the same meaning as is assigned to that expression in the Ajmer Land and Revenue Regulation, 1877 and includes a share in or a part of an estate and all rights in an estate, but does not include land held by a Biswedar or a Khewatdar". It clearly means, Sir, that this Act does not intend to abolish Biswedars and Khewatdars. This Act is still in force in the territory of Ajmer, by virtue of Section 119 of the S. R. Act which says:-

"119. Territorial extent of laws- The provisions of Part II shall not be deemed to have effected any Change

(श्री ब्रजमोहनलाल)

in the territories to which any law in force immediately before the appointed day extends or applies, and territorial references in any such law to an existing State shall, until otherwise provided by a competent Legislature or other competent authority, be construed as meaning the territories within the State immediately before the appointed day."

Then Section 120 provides for making certain adaptations or modifications or ever repeals, and that power has been given to the State Government Under Section 120:

"120. Power to adapt laws-For the purposes of facilitating the application of any law in relation to any of the States formed or territorially altered by the provisions of Part II, the appropriate Government may, before the expiration of one year from the appointed day......"

That is very important, Sir,

"......before the expiration of one year from the appointed day, by order make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and thereupon every such law shall have effect subject to the adaptations and modifications so made until altered, repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority."

My submission is that within the period of one year, the state Government has not made any changes, modifications or repealed any of the provisions of the Ajmer Abolition of I. & L. R. Act. 1955, which means that the definition of 'estate' given in that Act still stands good. As such, my submission is that this Rajasthan Zarmindari and Biswedari Abolition Bill, 1958 which intends to abolish Biswedars in the territory of Ajmer also is not regular. There already exists a law in the territory of Ajmer, in the former Ajmer State, which holds good by virtue of Section 119 of the S. R. Act, and unless the competent Legislature, i. e. the Rajasthan Legislative Assembly makes a proper amendment in that Ajmer Act, this Zamindari and Biswedari Abolition Bill cannot be passed. The present Bill seeks to abolish Biswedars, while they are protected by another law already in force in the former Ajmer State territory and as such unless we change the Ajmer Act, my submission is that the provisions of the present Bill cannot extend to the territory of Ajmer State.

राजस्व-मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): माननीय उपाध्यक्ष, ब्यावर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है उसके लिए मैं आपका ध्यान दफा १२० और ११६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय सदस्य का कहना यह है कि जब तक अजमेर के कानून में संशोधन नहीं कर दिया जाता, तब तक राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे कानून के जरिये किसी प्रकार का संशोधन लाये। यह दफा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

११६ का मिस इन्टरप्रिटेशन है। एक साल बाद राजस्थान गवर्नमेन्ट को पॉवर है अजमेर के हर मामले में वह कानून बना सके, वह के लॉज़ को रिपील कर सकती है ये सब कुछ अधिकार हैं। रॉग इन्टरप्रिटेशन जो रूल का किया है वह मान्य नहीं होना चाहिए। जहां तक खेवटदार का प्रश्न है वह हमने बिस्वेदार की परिभाषा में इन्क्ल्यूड कर लिया है। इस तरह से राजस्थान सरकार को और हाउस को पूरा अधिकार है कि अजमेर से संबंधित जो भी कानून हो उसको अमेंड कर सकते हैं। इसलिए माननीय सदस्य ने जो इन्टरप्रिटेशन किया है, मेरे ख्याल से गलत है।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल असन्तोषपूर्ण है। आपने कहा कि राजस्थान टिनेन्सी कानून में बिस्वेदार की परिभाषा में संशोधन कर दिया है और खेवटदार को बिस्वेदार की परिभाषा में सम्मिलित कर दिया है। लेकिन जिस दफा ११६ की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था उसका मतलब यह है कि जब तक आप अजमेर का जमींदारी एक्ट है उसमें जो परिभाषा दी गई है उसमें परिवर्तन नहीं कर देते, उस परिभाषा के अन्दर जब तक बिस्वेदार के साथ साथ खेवटदार को शामिल नहीं करते, जो कि अब तक शामिल नहीं किया गया है, तब तक स्टेट रीऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट की धारा ११६ के तहत आप दूसरा कानून वहां के लिए लागू नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो एक्ट वहां प्रभावित है उसके लिये स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कि धारा १२० के तहत वह चाहती तो एक साल के भीतर भीतर किसी प्रकार का परिवर्तन-परिवर्धन इस एक्ट में कर सकती थी। दफा १२० के मुताबिक परिवर्तन नहीं किया गया है, इसलिए दफा ११६ के अनुसार यह आवश्यक है कि अजमेर के एक्ट में परिवर्तन कर दें। राजस्थान का जमींदारी बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट है उसके लागू होने से पहले ही वहां पर इस प्रकार का एक्ट लागू है। अजमेर क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए यह आवश्यक है कि अजमेर का जो एक्ट है उसमें संशोधन करें। धारा १२० के मुताबिक साल भर के अन्दर अन्दर स्टेट गवर्नमेंट उसमें परिवर्तन कर सकती थी, इसके बाद में जब कि वहां पहला मौजूद है स्टेट लेजिस्लेचर को राइट है कि वह उसमें परिवर्तन करे, लेकिन जब कि स्टेट गवर्नमेंट ने वहां के बिस्वेदार की परिभाषा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया, खेवटदार और बिस्वेदार को नहीं निकाला, अगर आप यह कहते हैं कि दो कानून हो जाएंगे तो अजमेर कानून के मुताबिक जमींदारी प्रथा एबोलिश नहीं हो सकती। ऐसी हालत में इस एक्ट के लागू करने में इल्लीगल पोजीशन होगी। श्रीमान्, यह कानूनी चीज है, आप देख लीजिये। अगर हम कानून में किसी प्रकार की त्रुटियां रखते हैं तो वह हमारे लिये अच्छा नहीं होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, धारा १२० क्लिअर है कि 'Within one year it was by an order of the Government that the Government could modify any law, but after one year, this Legislature can enact any law. As I just submitted इसके बाद में लेजिस्लेचर सब कुछ कर सकती है। "Biswedar' shall mean a person recorded as such or as an owner in the

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Record of Rights and shall include a person on whom a village or part of a village is settled by the State Government or a Jagirdar on the Biswedari system."

So 'Biswedar' will be, that who is recorded as Biswedar in the Record of Rights and shall also include a Khewatdar in Ajmer, also We have definitely said that it shall include Khewatdar in Ajmer area.

इसलिए कोई सवाल नहीं रहता जब कि बिस्वेदार की डेफिनिशन में ले लिया है। धारा १२० के अन्दर एक साल के अन्दर गवर्नमेंट बाइ-ऑर्डर एडोप्ट कर सकती है। After passing of one year our Legislature is sovereign body for the whole of Rajasthan and it can enact any law and there should be no constitutional hitch in it.

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा, उसमें इस चीज से इत्तफाक करता हूं कि स्टेट लेजिस्लेचर को हक है कि उसमें परिवर्तन कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर, अजमेर में जो एक्ट लागू है उसके अन्दर परिवर्तन करे। दफा ११६ के मुताबिक जब तक अजमेर के एक्ट में परिवर्तन नहीं कर देती, एग्ज़िस्टिंग जो परिभाषा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। "and shall not include land held by a Biswedar or Khewatdar".

बिस्वेदार की परिभाषा टिनेन्सी एक्ट के मुताबिक परिवर्तन करना है, and it is as good as any law. इसके अन्दर कोई परिवर्तन नहीं रहे और टिनेन्सी एक्ट में बिस्वेदार की जो परिभाषा है उसमें परिवर्तन हो गया तो ११६ के मुताबिक या तो अजमेर का एक्ट रिपील करेंगे। अजमेर के एक्ट में जो एग्ज़िस्टिंग परिभाषा है उसमें संशोधन कर सकते हैं "and shall not include land held by a Biswedar or a Khewatdar" अमेंडिंग बिल लाइये तो यह लागू हो सकता है। जब तक ११६ के मुताबिक परिवर्तन नहीं करते वहीं कानून वहां लागू रहेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : एक पॉइन्ट और रेज़ करना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिये मान भी लें कि बिस्वेदारी को एक्सक्लूड कर दिया गया from the definition of 'estate' in the Ajmer Abolition of Intermediaries and Land Reforms' Act, 1955, तो does it mean that this Legislature is not competent to include him as intermediary in any other Act? वहां यह मतलब नहीं कि इन्टरमीजियरी न मानें, there is no legal bar. आज बिस्वेदारी की डेफीनेशन रक्खी है we shall bring in an Amending Bill and would see that he also may be declared as Biswedar, इसलिये उस समय अगर यह समझा जावे कि इन्टरमीजियरी नहीं है और एक्सक्लूड कर दिया गया है, that does not mean that this House has no power to legislate.

श्री ब्रजमोहनलाल : आप ठीक कह रहे हैं। मेरा जो कहना है उसका डिस्टिंक्शन समझने की कृपा करें। आपको राइट है। पर सवाल यह है कि हमारे यहां अजमेर मेरवाड़ा में आज जो एक्ट इन-फोर्स है उसमें परिवर्तन करें। तो जब तक आप उसमें परिवर्तन नहीं करते तब तक वह लागू

(श्री ब्रजमोहनलाल)

रहेगा इसलिये उसमें अमेन्डमेंट करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order ! I have heard enough on the issue, and I am not rightly enlightened. The point of order so raised by Shri Brij Mohan Lal is not well taken. I will give my reasons later on about the point of order. Please proceed on.

श्री दामोदरलाल व्यास : The amendment should be put to vote, Sir.

श्री पी० के० चौधरी : I will withdraw my amendment, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ के पार्ट (१) के अन्तर्गत जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसको वापिस लेने की उनको अनुमति दी जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ के पार्ट (१) के अन्तर्गत जो संशोधन श्री बृजमोहनलाल शर्मा ने प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाय ।

श्री ब्रजमोहनलाल : क्लॉज २ का पार्ट (१) चल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ का पार्ट (१) एज़ अमेंडडेड स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ का पार्ट १, एज़ अमेंडेड, स्वीकार किया गया ।

(विराम)

श्री ब्रजमोहनलाल : जो अमेंडमेंट मैंने दिया है उसमें टाइप करने में गलती हो गई मालूम होती है । मेरा तो अमेंडमेंट यह था जैसा कि मैंने सदन में भेजा था : "Estate' means land or interest inland held by a Beswedar or a Zamindar." My amendment is, Sir, that the words 'right, title' be inserted between the words 'or' and 'interest.' The full definition as amended would be:

" 'Estate' means land or right, title, interest in land held by a Biswedar or a Zamindar.

श्रीमान्, यह मेरे ख्याल से ड्राफ्टिंग सम्बन्ध रखता है क्योंकि राइट, टाइटिल और इन्टरेस्ट ये तीनों चीजें एक नहीं हैं और आगे आप देखेंगे बिल के इन्ट्रोडेक्शन में लिखा है : "To provide for the abolition of, and the acquisition of the right, title and interest in the estates,"

यहां भी आपने कहा है कि क्लॉज़ ४ के पार्ट (२) के सब क्लॉज़ (डी) के अन्दर "every right, title or interest created in or over such estate by the Zamindar or Biswedar.

(श्री ब्रजमोहनलाल)

इसलिये आपने सिर्फ इसमें राइट, टाइ-टल इन्टरेस्ट अलग अलग दिये हैं। एक काश्तकार को राइट हो सकता है, टाइटल उसको नहीं है, इन्टरेस्ट नहीं है। एक को हो सकता है, राइट और इन्टरेस्ट नहीं हो सकता। इन्टरेस्ट हो सकता है तो राइट और टाइटल नहीं हो सकता। So there is a distinction in legal phraseology between right, title and interest and these 3 words can note different intentions. My submission is that you have also used these three different words throughout the body of the Bill and so far as defintion is concerned, it has been omitted. That must be a draftman's mistake or any other printing mistake. Otherwise, it is very necessray. If you do not accept this amendment, it will complicate the matters later on when the matter goes before a court of law. So my submission is that my amendment should be accepted.

श्री दामोदरलाल व्यास : I would accept this amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज दो के अन्तर्गत पार्ट (२) में जो संशोधन श्री ब्रजमोहनलाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ के अन्तर्गत पार्ट (२) को एज़, अमेन्डेड, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लाज २ पार्ट (२), एज़ अमेन्डेड, स्वीकार किया गया।

(विराम)

पार्ट (३), श्री पी०के० चौधरी

श्री पी० के० चौधरी : I do'nt want to move it.

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : There is one more amendment more in part (2)

इसमें मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं दूसरा अमेंडमेंट यह है : "Add at the end "and includes a share in or part of an estate and rights in an estate."

Admitted ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes...

[regarding part (3)]

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chowdhri does not want...

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : जो मैंने अमेंडमेंट पेश किया है: "Add at the end "and includes a share in or part of an estate and rights in an estate". "Estate" means land or right, title, or interest in land held by a Biswedar or aZamindar" और इसके बाद वर्ड हैं : "and includes a share in or part of an estate and rights in an estate." यह मैंने किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not necessary, Sir, because when we as that the whole land is comprised in

(श्री दामोदरलाल व्यास)

an estate, then part or share is included in it. It is not necessary to accept this amendment.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : in order to make it more explicit, it is necessary that share part and should also be included. Even in Jagirdari Abolition Bill it is there It is very necessary.

श्री उपाध्यक्ष : Is it also accepted by you ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : " Add at the end 'and includes a share in or part of an estate and rights in an estate" Is this your amendment ?

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

पार्ट (२) के सम्बन्ध में पुन: प्रश्न यह है कि क्लॉज २ का पार्ट (२) स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ का पार्ट(२)स्वीकार किया गया।

(विराम)

पार्ट (३)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ के अन्तर्गत पार्ट (३)के सब पार्ट्स (ए),(बी),(सी),(डी),(ई) स्वीकार किये जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ के पार्ट (३) के सब पार्ट्स (ए),(बी),(सी),(डी),(बी),(ई) स्वीकार किए गये ।

(विराम)

पार्ट (४)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ के अन्तर्गत पार्ट (४) को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

पार्ट (४) स्वीकार किया गया ।

(विराम)

पार्ट (५) श्री बृजमोहनलाल शर्मा ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री): I Will accept this amendment also, in part (५). It is consequential.

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : Definition of Beswedar and Zamindar, amendment on it is consequential. The definition is, "The words' and any other holder........ .... this Act."

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ के अन्तर्गत पार्ट (५) में प्रस्तुत किया हुआ संशोधन स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

Page No.39

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि पार्ट (५), एज़ एमेन्डेड स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

पार्ट (५) एज़ एमेन्डेड, स्वीकार किया गया।

(विराम)

पार्टस (६) व (७)

(विराम)

प्रश्न यह है कि पार्टस (६) व (७) स्वीकार किये जायें ।

(स्वीकृत)

पार्टस (६) और (७) स्वीकार किये गये।

(विराम)

अब सम्पूर्ण क्लॉज़ २ लिया जाता है ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक का अङ्ग बना ।

(विराम)

क्लॉज २ ए, श्री बजमोहनलाल शर्मा ।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : I move that after clause 2, add a fresh clause 2A as below:

"3. Act to over ride other laws.—Save as otherwise expressly provided in this Act, the provisions of this Act and of the rules and orders made there under shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law and rules for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any law or usage. agreement, settlement, grant, sanad or any decree or decree of any court or other authority."

Sir, this is a most necessary amendment which should be made and unless yon accept it, there may be so many laws and rulings of courts which might come against the provisions of this Act. It is, therefore, necessary that these provisions must be there as a safeguard and I would request the Hon'ble. Revenue Minister to accept this amendment in his own interest.

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एमेंडमेंट माननीय सदस्य ने पेश किया है उसको मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ के बाद क्लॉज़ २ ए जोड़ने का जो संशोधन श्री बृजमोहनलाल शर्मा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया और क्लॉज़ २ ए विधेयक का अङ्ग बना ।

(विराम)

क्लॉज ३, श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा ।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : I move Sir, that in line 5, the words or any class of such estates' be deleted.

This is also a consequential amendment in view of the amended definition of zamindar and Biswedar.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो संशोधन

Page No.40

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इसके ऊपर है, जिसमें पहला संशोधन यह है : Substitute "as soon as may be" by "within two months."

'As soon as may be' के स्थान पर मैंने लिखा है "within two months after the commencement of this Act." क्योंकि इस प्रकार की भावना देखने में आई है कि कानून बना देते हैं लेकिन वह कब से कानून काम में आयेगा और कब से लागू किया जायगा यह नहीं होता है तो उसमें बहुत विलम्ब हो जाता है, जैसी कि जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन के बारे में भावना प्रदर्शित की गई कि इसको शीघ्रातिशीघ्र लागू कर देना चाहिए था। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब किया जाय तो अनुचित होगा। सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजने का रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की तरफ से प्रस्ताव आया था तो उसके विरोध में माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के विचार प्रकट किये थे। मैं यहां यही निवेदन करना चाहता हूं कि 'एज़ सून एज़' जो रखा है तो हमारी भावना साफ इससे प्रकट होती है कि इसको शीघ्र ही लागू करना चाहिए। लेकिन जब तक कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रखते हैं तब तक 'एज़ सून एज़' के अन्तर्गत इस प्रकार से देरी की जा सकती है जो कि हमें कई बार देखने को मिली है। इसलिए मैं चाहता हूँ इस प्रकार के एम्बीगुअस शब्द नहीं हों जिनसे भावना स्पष्ट नहीं होती है, जिससे स्पेसिफिक समय का निर्धारण नहीं हो, और इससे हम मंत्री और सरकार के हाथ में पॉवर्स दे रहे हैं कि इस प्रकार से जब मन चाहे समय में लागू करें। इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि 'एज़ सून एज़' की जगह 'Within two months' कर दिया जाय। जैसे ही वह आता है तो दो महीने के अन्दर नोटिफाइ होकर लागू होना चाहिए।

दूसरा मेरा जो संशोधइ इसी क्लॉज़ पर है वह यह है : Delete "or in any area thereof specified in Notification" occuriug after the words "in the State" तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जब आप राजस्थान के अन्दर जमींदारी उन्मूलन कर रहे हैं और यह उन्मूलन आज से ७ वर्ष पहले हो जाना चाहिए था और शायद उससे पूर्व ही हो जाना चाहिए था। लेकिन जब जागीरदारी का राजस्थान में उन्मूलन हो गया और दूसरे प्रकार के मुआवजे खत्म कर दिये गये, लेकिन जमींदारों के साथ किसी प्रकार का पक्षपात चल रहा है और उन्मूलन में देरी लग रही है, और उसके कारण जो प्रकट में नजर आते हैं वे न जाने क्या हैं ? यदि एबोलिशन किया जाय और जमींदारों के पास जो लैंड है वह वापिस ली जाय तो वह एक साथ ही ली जाय। इसमें यह भावना नहीं रहनी चाहिये कि एक एरिया में पहले लेंगे और दूसरे एरिया में बाद में लेंगे, तो यह विभेद की भावना नहीं रहनी चाहिये। जब राजस्थान में जमींदारी एबोलिशन कर रहे हैं तो यह कानून सारी जमींदारियों पर एक सा लागू होना चाहिये। यदि एक साथ नहीं लेंगे तो यह नीति विभेदात्मक होगी और पक्षपातपूर्ण नीति होगी। इस पक्षपात और विभेद को मिटाने के लिये मैंने यह लिखा है : Delete "or in any area thereof specified in Notification" occuring after the words in "the State" आप नोटिफिकेशन निकालेंगे कि इन इन एरियाज़ में यह पहले लागू होगा, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिये यह कि हिम्मत के साथ यह घोषित करें कि

Page No.41

(श्री दयाकृष्ण विजय)

राजस्थान में जहां भी जमींदारी है वह वापिस ले रहे हैं। इस बात की आवश्यकता नहीं है कि इस एरिया में पहले लागू करेंगे और इसमें बाद में, बल्कि सारे राजस्थान में एक साथ लागू करेंगे। इसलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट किया है कि "as soon as may be" should be substituted by "within two months" मेरे तीसरे क्लॉज में एक और संशोधन है "Sub-clauses (2), (3) and (4) may be deleted."

यह भी रिमूव करना चाहिये। इसमें लिखा है: "Different dates may be fixed for such abolition and vesting of different classes of zamindari in the State."

यह जो दूसरा क्लॉज़ है उसमें भी यही पक्षपात की बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा। इसमें विभेद और पक्षपात साफ दिखाई दे जाता है। "Different dates may be fixed for such abolition" यहां जमींदारी उन्मूलन के लिये अलग अलग तारीखें मुकर्रर की जायंगी; कोटा में फलां तारीख होगी, भरतपुर में फलां तारीख होगी और बीकानेर में फलां तारीख होगी। इसलिये यदि समय का प्रोविज़न रहेगा तो पक्षपात किया जा सकेगा। यदि आप चाहते हैं कि जमींदारी उन्मूलन काफी तेजी से हो क्योंकि इसमें काफी देरी पहले ही लग गई है और जो सात साल पहले हो जाना चाहिये था वह अब तक नहीं हुआ है और यह बात लोगों को असह्य हो रही है तो इसमें तारीख की बात नहीं आनी चाहिये कि फलां तारीख को होगा या ५ साल बाद होगा। तो यह ठीक नहीं है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि डेट मुकर्रर न हो। मैं समझता हूँ, इससे हम राज्य सरकार को बहुत बड़ी शक्ति दे रहे हैं, वह चाहे तो किसी के साथ पक्षपात कर सकती है। इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि यह क्लॉज़ खत्म होना चाहिये।

मैं तीसरे क्लॉज़ पर विचार प्रकट करूं उससे पहले चौथे क्लॉज़ पर भी कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। वह यह है: "The State Government may, by notification in the Official Gazette, vary any date appointed under sub section (1) at any time before such date." एक जगह आप कहते हैं कि हम डिफ्रेन्ट डेट्स रखेंगे और फिर चौथे में इसी से सम्बन्धित बात है। यह क्लॉज़ कहता है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो इसकी डेट्स में फिर परिवर्तन कर सकती है। राज्य सरकार अपने हाथ में इतनी शक्ति लेना चाहती है कि जब वह चाहे तभी खत्म हो सके। यह इस प्रकार का विभेदात्मक और पक्षपातपूर्ण क्लॉज़ है कि इसे डिलीट करना चाहिये वरना हम कह सकते हैं कि जमींदारी उन्मूलन विधेयक के अन्तर्गत जो भावना काम कर रही है वह पक्षपात से भरी हुई है और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इसे खत्म नहीं करना चाहते हैं और किसी न किसी रूप में इसको बनाये रखना चाहते हैं।

क्लॉज़ ३ के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सब क्लॉज़ेज़(२और४) एक से हैं। डिफ्रेन्ट डेट रखने और बदलने की बात है, दोनों में एक ही बात है। ३ में डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेशन को रेफर किया गया है: "...classification...may be made according to size or income......" जब हम दूसरे सेक्शन को नहीं रखते हैं क्योंकि सारे सदस्यों की इसी प्रकार की राय है, क्योंकि वह सेक्शन पक्षपातपूर्ण और विभेदपूर्ण है तो फिर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सब-क्लॉज़ (३) को भी रखने की आवश्यकता नहीं रहती, जिसमें क्लेरिफिकेशन करना पड़े कि फलां फलां तारीख को फलां फलां एरिया में लागू होगा; इस प्रकार की डिफ्रेन्ट डेट्स नहीं रहनी चाहिये। जब कि हमारी यह भावना है कि डिफ्रेन्ट डेट्स और एरिया न हो तो इस क्लॉज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती। उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ में मेरे २ अमेन्डमेंट्स हैं उनको स्वीकार करना चाहिये और सब-क्लॉज़ेज़ (२),(३) और(४) को रिमूव करना चाहिये ताकि वास्तव में हम काम कर सकें और जमींदारी उन्मूलन की मंशा को पूरा कर सकें।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय·······

श्री उपाध्यक्ष : You have got an amendment on sub-clauses (2) and (4),

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा संशोधन सब-क्लॉज़ेज़ (२) और (४) को हटाने के लिये है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार अलग अलग तारीख को जमीं-दारी समाप्त करना चाहती है। शायद उनकी मंशा यह है कि हजार से दस हजार तक की जमींदारी इतने दिनों में समाप्त की जाय और ५०० रुपये तक की जमींदारी इतने दिनों में खत्म करे, यह उपयुक्त नहीं है क्योंकि आप जागीरदारी समाप्त कर चुके हैं तो जो थोड़ा सा इलाका रह गया है उसमें असंतोष बढ़ रहा है। पिछली बार जब मैं अपने दोस्तों से मिला था तो वे पूछ रहे थे कि आप जमींदारी कब खत्म करना चाहते हैं। यह क्लॉज़ तारीख को बढ़ाने वाला है। इससे लोगों को आप पर शक होता है कि आप इसे खत्म करना नहीं चाहते हैं बल्कि आप इसे टालना चाहते हैं। इसलिये उपयुक्त है कि हम एक तारीख मुकर्रर कर दें। अलग अलग तारीख मुकर्रर करने की कोई आव-श्यकता नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त है कि तारीख बदलने की की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जमींदारी एबोलिशन के लिये तारीख फिक्स कर दीजिये, डेट्स डिफ्रेन्ट करने के बजाय एक साथ कर दीजिये। इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट रखा है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move the amendment that in clause 3, part (1), the comma and words "or any class......State Government" be substituted by the words "in the State so as to complete the work of abolition and acquisition within six months from the date of the commencement of this Act." यहां जो शब्द हैं उनमें से हमने 'एनी क्लॉज़ेज़ ऑफ एस्टेट' को डिलीट किया और बाकी का मोडिफिकेशन किया है। इसका मतलब यह होता है कि पर्टिकुलर टार्गेट डेट तय कर देते हैं, जिस तारीख से अमल में आयगा उसके ६ महीने के अन्दर कम्पलीट करेंगे। इसके पहले जो दो-तीन सदस्यों ने अमेंडमेंट मूव किये हैं उनका भी समावेश इसमें होता है। इसलिये निवेदन है कि इस अमेंडमेंट को मंजूर किया जाय।

मेरा दूसरा अमेंडमेंट सब-क्लॉज़ (४) में 'Sub-clause (4) may be deleted' है इस क्लॉज़ में गवर्नमेंट को अधिकार दिया है कि एक दफा एबोलिशन और एक्वीजिशन की तारीख मुकर्रर करने के बाद उस तारीख के कम्पलीट होने से पहले गवर्नमेंट वेरी करना

(श्री पी० के० चौधरी)

चाहे, न मालूम कितने समय के लिये, तो कर सकती है। लेटिट्यूड दिया जाता है कि जब चाहे तब वेरी कर सकती है। मान लीजिये यह नोटिस निकाल दिया कि इस तारीख से साल भर के बाद या ६ महीने के बाद एक्वायर कर लेंगे। लेकिन साल भर होने से पहले, ११ महीने के पहले उस तारीख को एक्सटेन्ड कर सकते हैं, इसको बार बार वेरी कर सकते हैं। इसलिये सब-क्लॉज़ (४) जो है, उसको डिलीट कर दिया जाय। यह सरल अमेंडमेंट है। मैं समझता हूं मंत्रीजी इसे मंजूर कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

Sub-clause (1) : "Delete the words, or in any area thereof specified in the Notification' from the 5th and 6th lines".

Sub-clause (2) : "Delete the words 'or according to different areas of the State' from third and fourth lines".

Sub-clause (4) : "Delete the sub-clause."

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रकार के संशोधन इस सदन में मूव किए जा चुके हैं, मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने इस पर प्रकाश भी डाला है। कुछ ऐसा लगता है कि जमींदारी अबॉलिशन के प्रश्न को लेकर सदन के माननीय सदस्यों के हृदय में इस बात का गुमान होता जा रहा है कि जिस प्रकार की भाषा में यह विधेयक पेश किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू करना नहीं चाहती। अब तक यहां तीन संशोधन पेश किये हैं उनमें मुख्य बात यह है कि हमारी सरकार जमींदारी अबॉलिशन में जमींदारों को केटेगराइज़ करने के लिए किस प्रकार का मापदंड अख्तियार करती है। हमारे यहां जागीरदारों का रिज़म्पशन हुआ उसमें एक सिद्धांत सामने रखा गया कि जिन जिन जागीरदारों का सैटलमेंट हो चुका है उन जागीरों को इन्कम ग्रूप के बेसिस पर रिज़्यूम किया जायगा। सबसे पहले बड़ी बड़ी जागीरें, जो लाख से ऊपर की थी खत्म हुई, उसके बाद ५० हजार की खत्म हुईं, फिर २० हजार की खत्म हुईं और इस तरह इन्कम ग्रूप के बेसिस पर जागीरें खत्म होते होते अब एक रुपये तक की जागीरें खत्म हो गई हैं। हमने इस केटगराइज़ेशन से अनुभव प्राप्त किये हैं और उन अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह एक प्रकार का तरीका था, जिस तरीके के आधार पर सरकार इस आक्षेप से बच सकती है कि अमुक जागीरदार के प्रति, जागीरदारों की क्लास के प्रति सरकार किसी प्रकार का पक्षपात करती है। अब कुछ ऐसा लगता है कि जिस समय जागीर रिज़म्पशन एक्ट बना, उस वक्त जो भावना थी, वह भावना अब हमारी राज्य सरकार की नहीं रही या राज्य सरकार में इस प्रकार की हिम्मत आ गई है कि अगर सरकार के ऊपर इस प्रकार का कोई लांछन भी लगाये कि सरकार अमुक क्लास के जागीरदारों या बिस्वेदारों के प्रति पक्षपात का व्यवहार रखती है तो सरकार उस बात को सुनने और सहन करने के लिए तैयार है।

आज खुशी मुझे इस बात की थी कि हमारे भूतपूर्व अजमेर राज्य के भूतपूर्व राजस्व मंत्री तथा राजस्थान के राजस्व मन्त्री में

Page No.44

(श्री भैरोंसिंह)

वाक्युद्ध हुआ और जमींदारी अबॉलिशन बिल के ड्राफ्टिंग को लेकर भूतपूर्व अजमेर राज्य के भूतपूर्व राजस्व मन्त्री की विजय हुई। माननीय उपाध्यक्ष, इस विजय का श्रेय उनको दिया जाय, मैं ऐसा नहीं समझता, लेकिन इसका श्रेय यदि राजस्थान सरकार के ला डिपार्टमेंट को दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, जिन्होंने काफी मेहनत करके इस प्रकार का ड्राफ्टिंग पेश किया और अजमेर में जमींदारी अबॉलिशन हो रहा है उसको ध्यान में नहीं रखा और प्रकार का ड्राफ्टिंग रखने के बाद सदन के माननीय सदस्यों को मौका दिया कि वे बतायें कि इस बिल के ड्राफ्टिंग में कहां कहां खामियां हैं ? मैंने जैसा पहले कहा है हमारे राजस्व मन्त्रीजी ने उन चीजों को स्वीकार किया है। अब उसी प्रश्न को सामने रख कर हमें इस क्लॉज़ पर भी विचार करना पड़ेगा प्रश्न यह है कि हम जमींदारी अबॉलिशन पसन्द करते हैं; सदन यह चाहता है, जनता भी यह चाहती है कि जमींदारी अबालिशन से त्वरत काश्तकारों को राहत मिले, इसलिए अबॉलिशन जल्दी से जल्दी हो, सरकार भी आश्वासन देती है कि इनका अबालिशन जल्दी से जल्दी होगा, तो फिर किसी भी क्लॉज़ या कानून के अन्तर्गत रखा जाने वाला कोई प्रावधान यदि इस बात की ओर संकेत करता हो कि हमारी सरकार कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त करना चाहती है कि जिन अधिकारों का यदि दुरुपयोग हुआ तो उसके कारण जो हम आश्वासन देते हैं या जनता में जिस भावना का निर्माण करना चाहते हैं हम उस एटीट्यूड के विपरीत काम करेंगे। आज इस राजस्थान की विधान सभा में कोई व्यक्ति नहीं है जो इस बात को स्वीकार नहीं करता हो कि जमींदारी अबॉलिशन जितना जल्दी हो, उतना अच्छा है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया और उस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था मांगी कि एज़ सून एज पोसीबल, इसको हमें क्लासिफाई करना है। इसमें समय निर्धारित नहीं करते हैं तो उस समय मुमकिन है कि सरकार अधिक से अधिक समय का लाभ उठा कर दो महीने से आगे बढ़ जाय। लेकिन उससे भी गम्भीर बात है कि सरकार इन्कम ग्रुप के बेसिस पर जागीरदारी खत्म न करके एरियाज़ के आधार पर जागीरदारी खत्म करने की व्यवस्था कर सकती है। जमींदारी अबॉलिशन कमेटी थी, जिसके हमारे राजस्व मंत्री जी सभापति थे। उन्होंने राजस्थान की सर्वे करके, सारे राजस्थान का इन्सपेक्शन करके, सेटलमेंट और रेवेन्यू रिकॉर्ड का मुलाहिज़ा करके एक निचोड़ निकाला है कि राजस्थान में कितने प्रकार की जमींदारियां हैं, और कितने प्रकार के बिस्वेदार हैं, वे कहां कहां हैं और उनमें कितने कितने गांव हैं। इस प्रकार निचोड़ निकालने पर अब प्रश्न आता है कि हम इन जमींदारों को किस प्रकार खत्म करेंगे। एक प्रश्न आता है कि जो बड़े जमींदार हैं उनको पहले खत्म किया जाय और जो छोटे जमींदार हैं उनको मौका दिया जाय। लेकिन यह प्रश्न भी आज नहीं है, आज राजस्थान सरकार के पास अलग से जागीर डिपार्टमेंट है, अलग से जागीर कमिश्नर है और तीन असिस्टेण्ड कमिश्नर्स हैं, सारे राजस्थान में हर हिस्से में जागीर महकमे के कार्यालय हैं। इस स्थिति में वह परिस्थिति नहीं है जो जागीर रिजम्पशन एक्ट चालू करते वक्त में थी। उस समय न तो यह ऑर्गेनाइजेशन था, न यह व्यवस्था हो चुकी थी, जिसके अन्दर रिजम्पसन तरतीब से हो सकेगा। आज यह व्यवस्था है, हमारी सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

चाहे तो केवल एक इस प्रकार का प्रावधान लाये कि जिस दिन से यह कानून पास होगा, राजस्थान में सारी जमींदारी उस तारीख से खत्म हो जायंगी । सरकार इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखती है क्योंकि सरका· के सामने एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ आयेंगी और उनको सरपास करने के लिए सरकार अधिकार प्राप्त करना चाहती है, इस प्रकार के अधिकार चाहती है कि जिन अधिकारों के द्वारा कोई भी ऑफिसर इस सरकार का, इस सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति, अमुक स्थान के जमींदार या बिस्वेदार को बचाना चाहे तो रियायत करा सकता है कि यह जमींदारी उस समय पर खत्म नहीं होगी। मसलन गंगानगर के जमींदार का प्रश्न आता है, गंगानगर के लिए सरकार ने शुरू से नीति बना रखी है । पहले प्रश्न आता है सीलिंग का और अब दूसरा प्रश्न आ गया जमींदारी अबॉलिशन का । अगर यह कहा जाय कि भरतपुर, अलवर, सांभर के जो बापोतीदार हैं, गवर्नमेंट ने ये धारायें उनको बचाने के लिए जमींदारी अबॉलिशन बिल में रखी हैं, तो इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा । एक सीधा साधा क्वेश्चन है कि गंगानगर का जमींदार राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसको किसी प्रकार की नाराजी न हो । माननीय उपाध्यक्ष, गंगानगर के प्रश्न को ही लें, यदि हमारे राजनैतिक दल को पैसे की आवश्यकता है और यह बिल गंगानगर पर लागू कर दें तो इस बिल को लगाने के बाद वह नाराज हो जायगा और राजनैतिक दल को फीडिंग करना बन्द कर देगा तो राजनैतिक दल के जल्दी खत्म होने के आसार बनते हैं । इस स्थिति में यह लगता है कि हमारी सरकार उन लोगों के साथ रियायत करने के लिए प्रोविजन रखना चाहती है कि इस प्रकार के स्टेप उठा सके, जिसके अन्तर्गत धौलपुर की जमींदारी का अबालिशन कर दे, अलवर की जमींदारी को खत्म कर दे, सांभर के बापोतीदार को अबोलिश कर दें, लेकिन जिनको नाराज करने से दिल में डर है, जिनको नाराज करने से डिसएडवान्टेज महसूस करते हैं, वह भावना दिल में काम करती है और उन लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहती है । यह एक स्वाभाविक बात है । लेकिन यहां प्रश्न राजनीति का नहीं है, प्रश्न उन काश्तकारों के हित का है जिनके अधिकारों का जमींदारों और बिश्वेदारों द्वारा कुठाराघात होता है । अगर राज्य सरकार एक तरफ राजनैतिक दृष्टिकोण को सामने रख कर और दूसरी ओर किसानों के हित को सामने रख कर तुलना करे तो मैं माननीय राजस्व मंत्री से तुलना का परिणाम पूछना चाहूंगा । मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार जमींदारों के पक्ष में काम करेगी, जबकि काश्तकारों के पक्ष में काम करना चाहिए, जो काश्त त्रस्त हैं इसका उत्तर मुझे नहीं देना चाहिए, हमारे राजस्व मन्त्री स्वयं देंगे । अगर उनका उत्तर हां है तो निश्चित रूप से मेरा संशोधन स्वीकार होगा, और अगर ना में उत्तर आया, तो यह स्पष्ट है कि काश्तकारों को वे जमींदारों और बिस्वेदारों की तुलना में महत्व नहीं देते। उस स्थिति में हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि भविष्य में चल कर जागीरदारों के हित को ध्यान में रख कर किसानों का अहित होता हुआ नजर आयेगा । ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि इसमें जो वर्ड्स हैं : "or in any area thereof specified in the Notification" इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया जाय । इसके बाद मेरा संशोधन सब क्लॉज़ (४) में है

(श्री भैरोंसिंह)

Delete the sub-clause जहां एरिया का प्रश्न आता है मेरे सामने जो मुश्किलात आ रही थी, वह मैंने पेश की है। अब सरकार का दृष्टिकोण दूसरा है। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने संशोधन द्वारा मांग की थी, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार का संशोधन पेश किया था, मेरा संशोधन भी उसी प्रकार का है। मैंने जिस तरह अर्ज किया कि एरिया के नाम पर किसी के साथ रियायत की जा सकती है। लेकिन सरकार की दूसरी बात समझ में नहीं आई। सरकार कहती है कि अमुक एरिया की जमींदारियां फलां तारीख को खत्म होंगी और उसका नोटिफिकेशन इश्यू हो गया, तारीख निश्चित हो गई उसके बाद सरकार चाहे तो उस तारीख को पोस्ट पोन कर सकती है और सरकार कह सकती है, माननीय राजस्व मंत्री कह सकते हैं। इन शब्दों से केवल इतना ही मतलब नहीं निकलता कि हम आगे की तारीख निश्चित करें। हम तकाजा भी कर सकते हैं, पर इस बिल में ड्राफ्टिंग है, जो कुछ प्रोपोज किया है। इससे लगता है कि सरकार तकाजा करने की ओर अग्रसर होती हुई नजर नहीं आती, इससे तो ऐसा लगता है कि सरकार इससे बचना चाहती है और इसके साथ ही सरकार अपने हाथ में छूट लेना चाहती है कि गंगानगर के जमींदार १० दिसम्बर, १९५८ को खत्म होंगे, इसका गजट में नोटिफिकेशन हो गया, जमींदारों में इससे तहलका मच गया, जमीनें गई, जमींदारी गई, कई प्रकार की आपत्तियां आयेंगी जमींदारों की तरफ से, क्योंकि जो इकोनोमिक स्टेटस बना हुआ है वह इस कानून के कारण डिस्टर्ब होगा और वे लोग कोशिश करेंगे कि सरकार के पास इस बात की कोशिश की जाय कि हमें दो महीने की छूट दी जाय ताकि दो महीने बाद जो फसल आने वाली है उसको तो हम खालें, या हमारी इस साल की इन्कम होने वाली है वह खा लें, अगर कैल्कुलेशन निकाला जाय तो एक रुपए का, दो रुपए का या हजार रुपए का प्रश्न नहीं है, यह लाखों रुपयों का प्रश्न है, उसको सरकार दूर कर सकती है, एक आॅर्डर से, और तारीख बदलने का अधिकार सरकार को मिल गया तो निश्चित तारीख को बदल सकती है। ट्रेजरी का लाभ उठाया जायगा सो तो उठाया जायगा ही, साथ ही इसका राजनैतिक लाभ भी उठाने की कोशिश करेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय उपाध्यक्ष, कि तारीख को बदलने का, जो तारीख निश्चित कर दी कि अमुक तारीख को अमुक केटेगरी की ज़मींदारियां खत्म होंगी, उसमें परिवर्तन करने का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं दिया जाना चाहिये। इसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया तो माननीय राजस्व मन्त्रीजी तो हालांकि यह कहेंगे कि हम लोग ईमानदार हैं, हमारी सरकार पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, पर दुनियां जो इस बात को कहती है, वह इस बात का संदेह कर सकती है कि इस तारीख को बदलने में भी छोटा मोटा घोटाला न हो जाय, जिसके कारण सरकार पर मोटा इल्जाम लगे, पहले लोगों को डराया-धमकाया जाय, इसके बाद रियायत देने का इसके कारण प्रलोभन न दिया जा सके, इसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हमारी सरकार को ऐसे अधिकार नहीं दिये जायं।

इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष, मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

(श्री आबिद अली, सभापति, पदासीन)

रियायत करना है तो और कई तरीके

Page No.47

(श्री भैरोंसिंह)

रियायत करने के होते हैं। कई जागीरदारों को मछली मारने का कम्पेन्सेशन दिया है, कई तरह के कम्पेन्सेशन दिए जाने के कागजात चालू कराये हैं, जिनकी इन्क्वायरी हो रही है, इसी तरह आप जमींदारों के साथ कर सकते हैं। राजस्थान विधान सभा का काम कानून पास करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना तो सरकार के हाथ में है। रियायत आपको करनी ही है तो इम्प्लीमेंटेशन में कर देवें, कम्पेन्सेशन किस तरह दिया जाय, इसमें कर दीजिये, पर कानून में ही रियायत का एटीच्यूड लेकर चलें और वह एटीच्यूड लोगों के लिए घातक हो तो राजस्थान विधान सभा इसको कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसलिए मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि मैंने दो संशोधन पेश किये हैं तथा कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने और भूतपूर्व अजमेर राज्य के भूतपूर्व मन्त्रीजी ने जो संशोधन रखे हैं, उनको सोच-विचार कर स्वीकार कर लें। भूतपूर्व अजमेर राज्य के भूतपूर्व मंत्रीजी से माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो शिकस्त खाई है, इससे उन्होंने एक अच्छा मूड बताया है कि सारी चीजें स्वीकार करने का, इसके लिए माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई दूंगा, और उन्हें भी बधाई दूंगा जिन्होंने यह शिकस्त दी है।

(श्री श्रीभानसिंह के बोलने हुहे खड़े होने पर)

श्री सभापति : Has the Hon. Member any amendment to move ?

(श्री नरेन्द्रसिंह के बोलने को खड़े होने पर)

श्री श्रीभानसिंह : I have my amendment to move, Sir.

श्री सभापति : The Hon. Member on my left (Rawal Shri Narendra Singh) will speak first and then you may move your amendment.

श्री श्रीभानसिंह : Sir, the amendments are to be moved first. After I have moved the Hon. Member can speak.

श्री दामोदरलाल व्यास : Amendments must be moved all atonce.

श्री सभापति : The amendments will be moved first and then there will be a debate.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय सभापति महोदय, मेरा अमेन्डमेंट है :
" Delete sub-clauses (2) and (4) "

यह क्लॉज़ ३ है इस पर वैसे और माननीय सदस्यों ने अमेन्डमेंट्स के जरिये काफी प्रकाश डाला है और मैं कुछ ज्यादा तो प्रकाश इस पर डाल नहीं सकता पर इतना जरूर कहूँगा कि जिस टाइम मैंने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिये मोशन मूव किया किया था तो मन्त्री महोदय ने कहा था कि हम इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करना चाहते हैं और यह मोशन देरी करने वाला है, वह इसकी प्रोग्रेस को चेक करना चाहता है। मगर मोशन प्रोग्रेस को चेक करता था या चैक नहीं करता था, वह प्रश्न अलग है मगर इसके अन्दर जो क्लॉज़ ३ है, वह जरूर जिस मन्शा से यह बिल लाया गया है उस मन्शा को पूरा नहीं करता।

क्लॉज़ ३ को देखा जाय तो डिफरेंट क्लॉजेज

Page No.48

(श्री श्रीमानसिंह)

डिफरेंट एरियाज,डिफरेंट डेट्स हैं,जब मर्जी आवे किसी क्लास से रिज्यूम करें या किसी क्लास को छोड़ दें, जब चाहे किसी एरिया में लागू कर दें, और न चाहें उस एरिया में लागू न करें, चाहे जिस तारीख को लागू कर सकते हैं और उस तारीख को जब चाहें बदल सकते हैं, तो मैं तो साफ कहूँगा कि माननीय मन्त्री महोदय यह कह देते कि ये व्यक्ति हैं, यह एरिया है, जिन पर उनकी मेहरबानी होने जायगी, इस बिल के बाद में और उनको हम माफ करेंगे, क्योंकि एरिया में लैंड, डेट नहीं आते, और कुछ नहीं आयेगा, आयेंगे पर्सन्स ही, जिन पर आप लागू नहीं करेंगे, उन पर्सन्स को आप बेनिफिट करेंगे, इन्टरमीजियेरीज को बेनिफिट करेंगे। ए० आई० सी० सी० के डाइरेक्टिव्स हैं कि लैंड रिफॉर्म्स को एक्सपीडाइट किया जाय, पर ऐसे क्लॉज़ रखते हैं कि जिनसे इस एक्ट को, इस एक्ट के सब्स्टेन्स को चैंज कर सकते हैं। अपने हाथ में इस तरह के पॉवर्स रखना चाहते हैं कि जहां खुश हुए वहां लागू नहीं किया, और जहां नाराज हुए वहां लागू कर दिया। एक चीज को आप मानते हैं कि राजस्थान में से जो जो जमींदारी बिस्वेदारी है उसको हटाना चाहते हैं और दूसरी तरफ मानते हैं कि काश्तकार को राइट्स देने हैं तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉजेज़ रखने का क्या मतलब है, यही कि क्लॉजेज़ का मिसयूज किया जाय, उन पर्सन्स के फेवर में मिसयूज किया जाय जिनको कहते आये हैं कि पेरेसाइट्स हैं। जहां तक कि भरतपुर का सवाल है, भरतपुर में सैटलमेंट हो गया है।

अलवर और भरतपुर का जहां तक प्रश्न है वहां पर सैटलमेंट हुआ है, वहां पर जितनी जमीन है उसका सैटलमेंट हुआ है। इसलिये जागीरदारों के जागीर रिजम्पशन के समय सैटलमेंट में जो रुकावटें आती थीं वे नहीं आतीं। जमींदारी का रेकर्ड मौजूद है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपको कोई रुकावट नहीं मालूम होती है और न सारी जमींदारी एरिया में लागू करने में दिक्कत आती है।

यदि डिफरेन्ट डेट्स और डिफरेन्ट प्लेसेज आदि जमींदारी को रिज्यूम करने के लिये डिफरेन्ट एरिया और क्लास हम रखेंगे तो एक दिक्कत होगी और आप देखेंगे कि जिस समय राजस्थान की बड़ी बड़ी जागीरें रिज्यूम हो रही थीं और उन सब जागीरों का नाम राजस्थान राजपत्र में निकलने जा रहा था तो राजस्थान के एक जागीरदार ने ऐसा किया कि किसी तरह से उनका नाम राजस्थान गजट में न आवे। उसने मेनुपुलेट किया और किसी तरह से मेन्योवर किया या प्रलोभन दिया या क्या किया, यह तो मुझे मालूम नहीं मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिन जागीरों को रिज्यूम करने में उनका नाम था वह किसी तरह राजपत्र में दूसरों के नाम के साथ साथ प्रकाशित नहीं हुआ। उसके बाद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट उनकी जागीर को रिज्यूम करने के बारे में निकलता है। तो उसी तरह से यदि 'डेट्स और एरिया' वगैरह हम रखेंगे तो यह आप एक ऐसा लेकुना छोड़ देंगे जिससे कि मनीड मेन हैं वे अपने रुपयों का दुरुपयोग करके जिस पर्पज के लिये यह कानून बनाया जा रहा है उस पर्पज को पूरा नहीं करने देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह कौनसा जागीरदार है जिसका नाम गजट में नहीं आया?

श्री श्रीभानसिंह : I am not here to name individuals, please.

मैं इतना बता सकता हूं कि वे जोधपुर के हैं, आप देख लीजिये। हम उन लोगों को इतनी एडवान्टेजियस पोजिशन में रखते हैं कि जो हमारा इसमें पर्पज है उसको डिफीट कर दें। कोई किसी को इशारा करदे कि यह जमींदारी अभी रिज्यूम नहीं होनी चाहिये। यह हो रही है। ऐसा कई स्थानों पर हुआ है, आपके जागीर के डॉक्युमेन्टों को भी फेब्रीकेट किया जा रहा है और वह आपके ऑफिसरों, तहसीलदारों आदि के इशारों से और राय से। किसी की जागीर रिज्यूम होनी चाहिये जब इस प्रकार का कानून आता है कि ५,०००) से ऊपर की जागीरों को रिज्यूम करने का ऑर्डर है तो उस अवसर पर सरकारी अधिकारी उसको ४९९९) की बता कर कह देते हैं कि यह ५,०००) के ऊपर वाले रूल्स की तहत में नहीं आती, इसलिए इसको रिज्यूम नहीं किया जाए। नेक्स्ट टाइम जब फिर ऑर्डर निकलता है कि ५,००) से ऊपर की जागीरें रिज्यूम की जाए तो उस समय उसको उससे कम कीमत की बता देते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो मैं यही निवेदन करूंगा कि हम इस कानून में इस प्रकार का लुकेना छोड़ देते हैं कि जिससे अधिकारी जितने रुपयों की जागीरों को हम रिज्यूम करते हैं उससे कम की बता कर उनको बचा लेते हैं। यदि हम किसी पर्टीकुलर एरिया की बात करें तो वे कह देते हैं कि यह उस एरिया में नहीं आती है। डेट में भी मेन्योवर कर सकते हैं। तो जिस तारीख से यह एक्ट लागू हो उसी तारीख से जमींदारी और बिस्वेदारी की चीज का नाम नहीं रहना चाहिये। इस एक्ट के लागू होते ही वह समाप्त हो जानी चाहिये और सभी स्थानों पर लागू हो जानी चाहिये। मैं नहीं समझता कि फिर कोई बात बाकी क्यों रहनी चाहिये। मैं मानता हूं कि उनके कम्पेन्सेशन आदि में देर हो सकती है, उसको होने दीजिये, जब हम हर एक चीज को इम्पलीमेन्ट करते हैं तो कई दिक्कतें नई नई आती हैं। वेस्टेड इन्ट्रेस्ट उसमें हार्डशिप क्रिएट करते ही हैं। मगर जहां एक तरफ मासेज गेन करता है और हमारी पॉलिसी भी यही है तो हमें इस प्रकार का क्लॉज नहीं रखनी चाहिये और जब लोग इसको इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं कि इस क्लॉज का वजह से वेस्टेड इन्ट्रेस्ट में बहुत बड़ा फायदा होगा और इससे माननीय मंत्री और दूसरे अधिकारियों पर भी इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं तो इस प्रकार के आरोपों को कम करने के लिए हमें इस प्रकार के कानून बनाने चाहिये जिससे किसी प्रकार के आरोपों की गुंजायश ही न रहे। हमें कम से कम इतना तो करना ही चाहिये कि जहां तक हो सके हम बिल्कुल ही जगह नहीं छोड़ें जिससे इस प्रकार के आरोप लगाये जा सकें। उस पर भी अगर कोई फायदा उठा लेता है तो जितना इवेन्चुअली कोई आदमी देख सकता है देख लेने के बाद भी अगर कोई रास्ता निकल आए तो यह एक दूसरी बात है। हमारी पॉलिसी से कोई करप्शन न फैले या कोई किसी प्रकार का फायदा न उठाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जिस रोज से यह एक्ट लागू होता है उसी दिन से जो लोग जमींदारी और बिस्वेदारी की डेफिनिशन में आते हैं वे लोग जमींदार और बिस्वेदार नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने ये सब बातें हाउस में आपके सामने रखी हैं और यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय सदस्य ने सब क्लॉजेज (२), (३) और

(श्री मदनसिंह)

(४) में संशोधन रखे हैं उनके सम्बन्ध में काफी बहस हो चुकी है और बहस के जरिये से मैं समझता हूं कि सदन के सामने जो पोइन्ट्स उन्होंने रखे उसके साथ साथ सब से बड़ा पोइन्ट उसके अन्तर्गत रह गया वह यह कि प्रजातन्त्र में क्या यह अच्छा है कि गवर्नमेंट इस तरह के अधिकार अपने पास रखे और पब्लिक की डिमान्ड को रोका जावे। यदि ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि ऐसा कानून आज के प्रजातन्त्र के युग में उचित नहीं है। आज जनता की आवाज है कि जमींदारी और जागीरदारी नहीं रहनी चाहिये। जब सौ बीघा जमीन रखने वाले जागीरदार की जागीरदारी समाप्त हो गई तो फिर यह जमींदारी क्यों रहनी चाहिए। इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे ताकि वहां से आने पर इसे पास किया जावे। कल इस पर बहस हुई कि जल्दी से जल्दी काश्तकारों को आराम मिलना चाहिये। मगर आजकल कानून ऐसे बनते हैं कि वे मिनिस्टरों के मनमाने कानून बनते हैं और जब मिनिस्टरों के मनमाने कानून बनते हैं तो जब चाहें तभी वे जमींदारी को समाप्त कर सकते हैं और वे लोग सदन की आज्ञा महज कहने मात्र के लिये लेते हैं। अगर ऐसी आदत पड़ गई तो वह समय भी नजदीक आने वाला है कि सारे राजस्थान में पांच वर्षों में एक ही दौर में जो कानून बनाना चाहें, पास कर लें और जो कुछ कानून गवर्नमेंट बनाएगी वह अपनी मर्जी आए जैसा बनायेगी तो सरकार मर्जी आवे वही कानून बनाए। सदन में फिर पूछने की जरूरत नहीं। इसलिये मैं तो कहता हूं कि जैसे जमींदारी और जागीरदारी एबोलिशन के लिये जनता ने कहा कि इसको एबोलिश कर देना चाहिये और सरकार ने जनता की आवाज पर इसे समाप्त कर दी। यदि इसमें सरकार ने मर्जी पर रख दिया कि जिस एरिया में जब चाहें गवर्नमेंट खत्म करे, जिस तारीख को चाहे समाप्त करे तो सरकार की खिलाफत करने वालों के एरियाज़ होंगे वे पहले समाप्त होंगे और सरकार उनको पहले समाप्त करेगी। इसलिये प्रजातन्त्र के युग में ऐसे अधिकार नहीं देने चाहिये। प्रजातंत्र में वे ही कानून अच्छे हैं जिनमें प्रजा की भावना को साथ लेकर सरकार चले। मुझे तो इस गवर्नमेंट से निश्चित समय पर काम होने की उम्मीद नहीं है, यह आशा नहीं है कि निश्चित समय में कोई काम समाप्त हो जाए। आज तक गवर्नमेंट ने कोई भी सीधी चीज नहीं की है। जब जागीरें खत्म हुई तो उसमें बहुत बड़े रीज़न्स हुए और सुप्रीम कोर्ट तक जो आर्ग्युमेंट्स हुए उनमें भी यह रखा गया था कि जागीरदार-जमींदारों को तकलीफ देते हैं और एक मनमाना हासिल लेते हैं। इसलिए एक व्यवस्था करने के लिए, एक इन्कम करने के लिए और एक तरह का लगान करने के लिए जागीरों को खत्म करना है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि जमींदारियां खत्म होने आई, मगर जागीरदारी अभी तक है जिनका कि अनसैटल्ड एरिया है। जिस तकलीफ को गवर्नमेंट मिटाना चाहती थी वह तकलीफ आज भी मौजूद है। असल में होना यह चाहिए था कि पहले अनसैटल्ड एरिया को खत्म करना चाहिए था क्योंकि सैटलमेंट होने के बाद में काश्तकारों को कोई तकलीफ नहीं रह जाती है। मैंने राजस्थान के कई बड़े बड़े नेताओं से पूछा कि इसकी क्या वजह है कि सेटल्ड एरिया के तो वे जागीरदार जो कि दो-दो बीघा के हैं वे खत्म हो गये हैं मगर अन्-

(श्री मदनसिंह)

सैटल्ड एरिया के लाख-लाख बीघा वाले भी खत्म नहीं हुए हैं। जिन तकलीफों की वजह से जमींदारी और जागीरदारी खत्म होनी चाहिए थी वह तो आज भी है। पहले क्या था कि सैटलमेंट नहीं था और जागीरदार आधा बांटा लिया करते थे वह आज अन्-सैटल्ड एरिया है और इस कारण आज भी वही की वही तकलीफ वहां जारी है। हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने वे ही धारायें रखी हैं जो कि जागीरी के टाइम में थीं कि एक जागीरदार लाख का था वह पहले खत्म हुआ और अनसैटल्ड वाला तीन लाख का भी जागीरदार है वह आज भी मौजूद है और सैटलमेंट का दो बीघे का भी कोई जागीरदार है वह खत्म है। मैं कहता हूँ कि क्या यह कोई न्याय है। पर एक मनमानी चीज हो रही है, मैं कहता हूँ कि यह उचित नहीं है। अगर जमींदारी आपको खत्म नहीं करनी है तो फिर इस बिल को लाने का आपका क्या मतलब है ? मेरा तो ख्याल है कि जब पब्लिक प्रेशर ऊपर पड़ता है तो गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी कानून पास करके यह दुनियां को बताती हैं कि आज राजस्थान के अन्दर ऐसे कानून बनते हैं कि १५ अगस्त के बाद में कोई भी जागीरदार का लड़का जागीरदार पैदा नहीं होगा। ऐसे बड़े बड़े भाषण दिये जाते हैं, मगर उनको यह पता नहीं है कि जागीरदार का तो दस वर्ष का लड़का भी मुकाबिला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तक जागीरी खत्म नहीं हो रही है इसके लिये में कहूँगा कि जनता के लिए यह धोखे-बाजी है, यह कह देना कि हमारे यहां जागीरदारी नहीं हैं जमींदारी नहीं है। एक कानून पास करके अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं और अपनी मर्जी से ही जागीरदारी चाहे जब खत्म करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा करने के बजाय तो अच्छा हो, एक रोज असेम्बली को बुलाकर पांच वर्ष के सारे कानूनों का अधिकार ले लिया जाये, बाकी रही हम सदस्यों की बात तो हम जैसे आते हैं वैसे ही आ जाया करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर साहब इस बात का एक भी जवाब दे दें कि अन्-सैटल्ड जागीरें एक लाख की आज भी मौजूद हैं और सैटल्ड जागीरें दो बीघा की भी नहीं हैं। हां, इसके लिए वे एक दलील दे सकते हैं कि हमें कम्पेन्सेशन ज्यादा देना पड़ता है तो मैं कहूँगा कि आपने जब जागीरदारी खत्म की तो उसके साथ २ यह भी हो जाता है कि जो कम्पेन्सेशन सैटल्ड रेट से हुआ है उसी रेट से अनसैटल्ड एरिया की जागीरों के भी कम्पेन्सेशन दे दिये जाते। यह तो वही बात बड़े रावले और छोटे रावले की है। जैसा की जोधपुर में कहते हैं (अश्रव्य)।

ये कोई राज्य करने के तरीके हैं। इस-लिये मैं तो समझता हूं, मैं यह शब्द तो नहीं कह सकता कि इस तरह यह मजाक हो रही है, लेकिन यह जरूर कह सकता हूँ कि यह कानून की और सरकार की मजाक जरूर हो रही है। आप ऐसा कानून बनाते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर साहब तसल्ली से जवाब दे दें कि एक बीघा का जागीरदारी अगर कोई सैटल्ड एरिया का है उसको तो खत्म कर दिया जाय और लाख का भी जागीरदार अनसैटल्ड में है वह मौजूद है और उसके अन्दर काश्तकार आज भी दुखी हैं, जिनके साथ जुल्म आज भी हो रहा है, मैं कहता हूं कि इसका जवाब मन्त्री महोदय अच्छी तरह से नहीं दे सकते।

दूसरे जमींदारी के लिए ऐसी कौन सी नई चीज है जिसके लिए यह रखा जाये कि इनके दो तरीके क्या होंगे ? जब कि जागीर-

(श्री मदनसिंह)

दार सौ रुपये का भी खत्म हो गया है तो वही के वही सिस्टम से उसी तरीके से जागीरें खत्म हो जानी चाहिए तरीके की जागीरें खत्म कर दीं तो यह दो-तीन तरह की क्यों बचाकर रख ली हैं ? मैं आज देख रहा हूँ, इसका तो जबाब आज आठ-दस दिन से नहीं दिया गया है कि कौन सा तरीका बाकी रह गया है, कौन-सा कानून बाकी रह गया है जिसके लिए इतनी दिलाई होती है । इसलिए दोनों-तीनों क्लॉजेज यही मतलब रखते हैं कि जल्दी से जल्दी जमींदारी खत्म हो और इसके लिए एक निश्चित तारीख मुकर्रर हो कि इस डेट तक जमींदारी पूरी सरकार के हाथ में आ जायेगी और उसी दिन से काश्तकार जिसको ठीक तरह से आजादी मिलनी चाहिए थी वह आजादी इस तारीख को मिल जायेगी । अगर ऐसी डेट निश्चित रूप से मुकर्रर होती तो हम समझते कि यहां कानून वाकई में पास हुआ और वाकई में काश्तकार को विश्वास हुआ कि अमुक तारीख तक जमींदारी खत्म हो जायेगी । ऐसे तो मेरे ख्याल से पांच साल में भी खत्म नहीं होगी । जब कि तारीख निश्चित करना अपने हाथ में है तो शीघ्र ही यह तारीख निश्चित कर देनी चाहिए । अगर ऐसा ही होता रहा तो ६२ तक के चुनाव तक भी आप चाहेंगे तो जमींदारी खत्म नहीं होगी । नहीं तो यह तो हमें मालूम है कि पोलिटिकल मदद से और पैसे से यह गवर्नमेंट ६२ के इलेक्शन्स में फिर जीतकर आयेगी और यह लोगों के सामने रखेगी कि हमारे पास स्टॉफ नहीं था, हमारे पास कानून की खामियां थीं, हमारे पास जागीरदारों के ही मुआवजे देने को पैसे नहीं थे, तो जमींदारों को कहां से देते । मेरा कहना है कि रुपया तो उसी जमींदारी से आता है । आपको विदेशों से कहां रुपया मंगाना पड़ता है । जैसे कि एक लाख का जागीरदार है उसको आप पचास हजार का मुआवजा देते हैं तो एक साल में एक लाख की आय है इसलिए उसको तो मुआवजा उसी जागीर में से मिलता है । जमींदारों को भी रुपया देने की व्यवस्था होगी तो उनकी जमींदारी से इतना रुपया पैदा होता है कि एक बड़े जमींदार का रुपया दस छोटे छोटे जमींदारों को दिया जा सकता है और कम्पन्सेशन पे किया जा सकता हैं । कम्पेन्सेशन के पुराने रूल्स बने हुए हैं । जमींदारी को अब तक खत्म कर देना चाहिए था । मैं समझता हूँ कि उस समय ही अगर जमींदारी को इन्क्ल्युड कर लेते तो कोई हर्ज नहीं था । क्योंकि रेवेन्यु रिपोर्ट में लिखा है कि अलवर और भरतपुर के अन्दर रिज़म्पशन इसीलिए नहीं हुआ कि वहां जमींदारी और बिस्वेदारी है । यह तो उसी समय हो जानी चाहिए थी क्योंकि जागीरदारों के हक-हकूक हैं वैसे ही जमींदारों के हैं । इसलिए मैं कहता हूँ कि रेवेन्यु मिनिस्टर साहब इसको समझें और अपने वचन याद रखें । हम तो कहते हैं कि एक निश्चित तारीख कर दी जाये, ताकि काश्तकारों को मालूम हो जाये कि अमुक तारीख तक वे आजाद हो जायेंगे । जो एरियाज हैं वे भी अलग अलग न हों और आज ही घोषणा हो जाये कि यह कानून फलां तारीख तक लागू होगा । तो मैं समझता हूं कि जिस तरह का आज वातावरण है उससे ऐसा लगता है कि आज की सरकार को काश्तकारों से मोहब्बत नहीं रही है क्योंकि आज काश्तकार समझ रहे हैं कि काश्तकारों का इस सरकार से कोई लाभ होने वाला नहीं है और सरकार भी समझती है कि यह गरीब कौम है और यह न पैसे से मदद कर सकती है और न आवाज से, इसलिए जो अच्छे

(श्री मदनसिंह)

पूंजीपति हैं उनका साथ देना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए आज चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि यह जो सरकार है यह काश्तकारों के विरुद्ध हो चुकी है। जहाँ जहाँ चुनावों में गरीब काश्तकार खड़े हुए हैं वहां वहां सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उनको हराया है। अभी अभी रीसेन्टली दो इलेक्शन्स हुए हैं उनमें काश्तकारों के खिलाफ गवर्नमेन्ट ने पूरी शक्ति लगाकर उन गरीब काश्तकारों को हराया गया है और वहां पूंजीपति को जिताया गया है। अब ऐसा मालूम होता है कि सरकार पूंजीवाद की सरकार बनती जा रही है।.....

श्री सभापति : सब्जेक्ट पर बोलिये।

एक माननीय सदस्य : आप किसकी मदद के लिए गए थे।

श्री मदनसिंह : मैं जिसकी मदद के लिए गया था वह तो आज यहां श्रीभंवरलालजी मौजूद हैं, हमने काश्तकारों का साथ दिया था।

श्री सभापति : विषय पर बोलिये।

श्री मदनसिंह : हमने तो हमेशा काश्तकारों का साथ दिया और देते रहेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि जो काश्तकार विरोधी नीति है इसकी ठीक संभाल करें और यह परिचय दें कि आप काश्तकार के सच्चे हितैषी हैं; अन्यथा आपका जो कानून आ रहा है उसको सभी लोग समझ चुके हैं। यह काश्तकार विरोधी कानून है। इसलिए मैं समझता हूं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और महात्मा गांधी की वे बातें आपको याद रहें जिससे आपका कल्याण हो और उनकी भी आत्मा को शांति मिले।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (जोबनेर) : माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापति : आप किस सब-क्लॉज पर बोल रहे हैं ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : सभापति महोदय, श्रीमाधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य भैरोसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसी पर मैं अर्ज कर रहा हूँ।

मेरा निवेदन यह है कि जिस दिन इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का प्रश्न था उस दिन मैं काफी बोल चुका था, उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि उस दिन जो बातें विरोधी सदस्यों ने रखी थीं और उनका कहना यह था कि इस बिल को इसी सैशन में ले लिया जाय उस बात का उत्तर देते हुए राजस्व मंत्रीजी ने कहा था कि फौरन पॉइन्ट बाई पॉइन्ट इस बिल को लिया जायगा। मेरा यह निवेदन है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है इस पर दो दफा सोचने की आवश्यकता है। आज हम इस समय इस बिल को ले रहे हैं एक तो यह समय ऐसा आया है कि दीवाली की छुट्टियों में लोग जाने के लिये आतुर हो रहे हैं इसलिये इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अच्छी प्रकार से विचार नहीं हो पा रहा है। मैं सदन के सदस्य के नाते इतना जरूर निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में जब कि हम लोग काश्तकारों की ओर से भेजे हुए हैं और उन्हीं के लिये सदन में उपस्थित हैं तो वैसी स्थिति में हमारे ऊपर राजस्थान का ही नहीं, प्रत्युत सारे भारतवर्ष के हिस्से की नीति-निर्धारण का प्रश्न आता है, तो ऐसी स्थिति के अन्दर हमें ऐसे भाव-विगुम्फन करने हैं सीधे और सच्चे विचारों के साथ में। मैं इसके लिये माननीय मंत्री महोदय

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)
से निवेदन करूंगा कि ये ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनके लिये सच्ची और सीधी व्यवस्था का होना नितान्त आवश्यक है । आज जिस समय इस बिल पर विचार हो रहा है सदन में मंत्री महोदयों की भी उपस्थिति नहीं है, केवल एक मंत्री महोदय ही विराजमान है । जहां काश्तकारों की भलाई का प्रश्न आता हो वहां पर इतनी कम उपस्थिति यह बड़ी शोचनीय बात है । जब जागीरें और रियासतें ली गई थी एक रुपये से लेकर लाखों रुपयों तक की जागीरों को समाप्त किया, गया जिसको जागीरदारों ने शान्ति के साथ देश की भलाई के लिये मन्जूर किया । इसी तरह में हम नहीं चाहते कि राज्य के बीच और काश्तकारों के बीच जो जमींदार नाम की भींत पड़ी हुई है वह उसी प्रकार खड़ी रहे । मैं जागीरदार की बात कहकर यह नहीं कहना चाहता कि इसमें केवल राजपूत ही जागीरदार थे इसमें राजपूत के अलावा ब्राह्मण व प्रत्येक तबके के भी जागीरदार थे । ५०० रुपये की नीचे की जागीर का जो प्रश्न आया उसमें मैं मानता हूं कि सौ में से पचीस भी राजपूत नहीं होंगे, इसमें राजपूतों के अलावा बाकी की सब जातियां समाविष्ट हैं । ऐसे वक्त के अन्दर एक वृक्ष की दो डालियां हैं एक जागीदार और दूसरे जमींदार, उसके साथ में बिस्वेदार भी एक डाली थी । अब इन डालों में से एक जागीरदार नाम्नी डाली खत्म हो चुकी । भारत के अभ्युत्थान के लिये जागीरदारों ने, मैं केवल राजपूत जागीरदारों के लिये कह रहा हूँ त्याग किया और । उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी जागीरें छोड़ दीं । आज भारत को स्वाधीन हुए ११ वर्ष का समय हो गया इतने समय में हम यह नहीं चाहते कि जागीरदार और जमींदार या किसी प्रकार की काश्तकारों । के बीच में दीवार खड़ी रहे । जागीरदारी समाप्त हो चुकी उसके साथ ही जमींदारी भी खत्म हो जानी चाहिये थी । यह जो जागीरदारों के वास्ते कहा जाता है कि वह तो बालू की भींत थी उसको समाप्त कर दिया । इसके अलावा इस समय जिनका प्रश्न है वह फौलाद की भींत है । भारतवर्ष की जनता डेमोक्रेसी के हिसाब से इतनी जागृत हो चुकी है, ११ वर्ष की शिक्षा मिल चुकी है वे जानते हैं कि हम लोगों को किस प्रकार की खेती की जरूरत है । मैं इस सदन में सबसे वृद्ध सदस्य हूं इस नाते मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि आज जो चीज हम करने जा रहे हैं उसे बहुत पहले ही कर देना चाहिये था । हो सकता है आपने अगर इस काम में ढिलाई की तो केरल में जो स्थिति उपस्थित है वह स्थिति यहां भी उत्पन्न हो सकती है । यह काश्तकारों का सवाल है । इसे हमें तुरन्त करना ही चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : इसमें काश्तकारों का क्या प्रश्न है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : काश्तकारों का यह प्रश्न है कि राज्य के बीच में और जमींदारों के बीच में ये काश्तकार लोग जिस प्रकार दो पाटों के बीच में अनाज के घुन पिस जाते हैं उसी प्रकार काश्तकार लोग पिस रहे हैं...

श्री सोहनलाल भटनागर : इसको मिटाने के लिए ही तो यह बिल है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विषय पर ही बोलें ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जब सभापति महोदय, बीच में कोई प्रश्न पैदा कर देता है तो उसको भी जवाब देना ही पड़ता है । सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा था आज

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

काश्तकार की स्थिति दो पाटों के बीच जैसी हो रही है। इस बारे में जितना जल्दी इस मामले को सदन में लाया गया है उस पर ऐसा रुख मालूम पड़ता है कि जांच भले ही होवे इसको खत्म करके ही छोड़ना चाहिये। मुझे यह भय है यदि इस प्रकार से इस महत्व-पूर्ण चीज को लिया गया, जहां इस पर गंभीर विचार-विनिमय करके सोचने के प्रश्न को इस प्रकार जल्दी में तय करके भुलावे में डालने की कोशिश की गई, तो इस राजस्थान में ये पांच वर्ष खत्म होने से पहले ही कहीं केरल की स्थिति उत्पन्न न हो जाय। आप मेरे इस वृद्ध के शब्दों को याद रखना। हमारा तो केवल निवेदन करने का ही प्रश्न है; मानना न मानना आपका कर्त्तव्य है। बीसवीं शताब्दी का आधा हिस्सा खत्म हो चुका इसलिए दो तरह के जागीरदार रह नहीं सकते, यही मेरा निवेदन है।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): माननीय सभापति महोदय, जो अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य ने पेश किये हैं उन चारों अमेन्डमेन्ट्स से मैं इत्तफाक नहीं करता। कारण बहुत स्पष्ट है कि जब कि जमींदारी रिज़म्प्शन कानून बन रहा है उसके जरिये राजस्थान सरकार अधिकार देती है कि जमींदारी एबोलिश करें। उसके साथ में यह कहने का प्रश्न नहीं है कि इससे ली गई जमींदारी रिज्यूम समझ ली जायगी। यह वाजिब नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि उनके इस सुझाव के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत का भी ध्यान रखना चाहिए। खाली एक हुक्म लिख देने से या गज़ट में छापा कर देने से जमींदारी रिज्यूम नहीं होती। जमींदारी रिज्यूम करने के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ में उसके अलग अलग फिगर्स हैं उनको इकट्ठा करने की दिक्कत सरकार के सामने आती है।

बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भरतपुर की जमींदारी से तहड है। मैं इससे इनकार नहीं करता पर यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के पास में इस प्रकार का रिकोर्ड मुकम्मिल नहीं है कि जिससे पता लग सके कि कौन से जमींदारी और बिस्वेदार की कैसी आमदनी है और वाकई में वह कमाते है ?

दूसरी बात यहां बिहार की तरह से या दूसरे प्रान्तों की तरह से बड़ी बड़ी जमींदारियां नहीं हैं छोटी छोटी हजारों की तादाद में हैं इसलिये उनको रिज्यूम करने के लिये काफी मैटीरियल इकट्ठा करना पड़ेगा और इसमें समय लगना अनिवार्य है। इसलिये यह कहना कि कोई तारीख मुकर्रर कर दी जावे जिसके अन्दर अन्दर सारी जमींदारी एबोलिश कर दी जावे यह व्यावहारिक नहीं है। एक माननीय सदस्य ने तो अमेन्डमेन्ट भी पेश किया है कि दो महीने में सारी जमींदारी एबोलिश कर दी जावे और दूसरों ने ६ महीने की मियाद रक्खी है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार से अधिक इच्छा उनकी है और उनको यह शंका हो रही है कि सरकार देर करना चाहती है। ठीक है। ये सब बातें वे किस विचार से कहते हैं इसके बारे में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। पर एक...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह: सिर्फ युनिफोर्मिटी के उद्देश्य और विचार से कहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास: धन्यवाद है इसके लिये। वह किस तारीख से अमल में लाई जावेगी, यह सब हम अपनी एडमिनिस्टेटिव दिक्कतों को देखकर तय करेंगे। पर इन सबको बगैर सोचे-समझे यह कह देना कि...

Page No.56

(श्री दामोदरलाल व्यास)

श्री मदनसिंह : और कारण नहीं था इसके सिवाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास : दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य इसके लिये बहुत उत्सुक हैं । उन्होंने यह भी कहा कि जमींदारी उन्मूलन इसलिये नहीं किया जाय कि करना है बल्कि जनता की इच्छा है इसलिये जागीरदारी और जमींदारी खत्म की जाय ।

श्री मदनसिंह : जिस दिन जनता की यह इच्छा नही थी उस दिन नहीं कहा । आज इच्छा है, तब यह कह दिया ।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी) मैं इसको मान गया । आपकी जिस दिन इच्छा नहीं थी उस दिन आपने कह दिया कि जनता की इच्छा नहीं थी और अब आपकी इच्छा पर काबू नहीं रहा आपका, तो यह कह दिया । यह ठीक बात है । तो मैं यह कह रहा था कि सरकार की इच्छा किसी से भी कम नहीं है जमींदारी एबोलिशन करने के लिये । यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जितनी जल्दी की जानी चाहिये उतनी की जावेगी । जितनी जल्दी एबोलिशन की जानी चाहिये उतनी जल्दी की जावेगी । किसी तरह से सरकार की मंशा नहीं है कि किसी खास व्यक्ति या तबके को रियायत दी जावेगी या इससे अलग रक्खा जावेगा या नाजायज़ फायदा उसको दिया जावेगा । यह आपको गलत सूचना है ।

बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ हैं उनको हमें देखना है । उनकी कन्वीनियेन्स का सवाल है । अब इसमें इन्कम को हमें देखना होगा, उसका पता लगाने में समय लगाना होगा । बहुत से ऐसे मामले हो सकते हैं जो अनसैटल्ड भी हो सकते हैं । हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जागीरदारी एबोलिशन के साथ साथ वह सैटल्ड हुई है या नहीं, सैटलमेन्ट नहीं हुआ हो ऐसा भी हो सकता है । कहीं ऐसा भी हो सकता है जहां सही टेन्योर का पता नहीं लग सकता हो । इसलिये इन सब चीजों का पता लगाने करने के लिये तो आपको एग्जीक्यूटिव को समय देना पड़ेगा कि वे तरीका निश्चित करें, एरिया निश्चित करें और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स को देखते हुए उसे रिज़्यूम करें । तो यह कहना कि फौरन कर ली जावे, यह बिलकुल मुमकिन नही है । फिर एक महीना और दो महीने का तो सवाल ही नहीं है ।

अब दूसरी बात यह है कि जागीरदारी एबोलिशन एक्ट के अनुभव पर हमने सब सैक्शन ४ इसलिये किया है कि एक जमींदारी रिज़्यूम करने की तारीख़ मुकर्रर करके दुबारा चैन्ज कर सकते हैं । बहरहाल वह भी इसलिये रखी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स उसमें रहे । इससे यह मतलब न समझें कि जैसा कि बयाना से आये सदस्य ने बड़े जागीरदारों के उदाहरण पेश करके कहा और जब उनका नाम पूछा तो मजबूरी जाहिर की । पर हो सकता है उनके ध्यान में ऐसी बात हो । मैं यह नहीं कहना चाहता कि वे किसी गलत सूचना के आधार पर कह रहे हैं । पर जब तक वे बतावेंगे नहीं तब तक उसकी दुरुस्ती होना मुश्किल है । कैसे होगी फिर दुरुस्ती इसलिये यह कहना कि ऐसे जमीन्दार थे जागीरदार थे जिनका यह हो गया । इसके बिना पर कोई एक्शन पोज़ीटिवली ले सकें यह पोसिबल नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि स्ट्रिक्टली टाइट डाउन कर देना उचित नहीं होगा ।

श्री मदनसिंह : इसके बीच में गवर्नमेंट खत्म हो जावे, दूसरी आ जावे तो ?

(श्री दामोदरलाल व्यास)

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी आपकी गवर्नमेन्ट आने का सवाल ही नहीं है। फिर यह गवर्नमेन्ट तो जरूर रहेगी, हम न रहें, कोई न कोई तो रहेगा ही। इसलिये ये जो चार अमेन्डमेन्ट पेश किये हैं उनमें से एक से भी मैं सहमत नही हूँ। इसलिये निवेदन करूंगा कि या तो वे इन्हें वापिस ले लें, अन्यथा हाउस तो रिजेक्ट करेगा ही।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : हमारे राजस्व-मन्त्रीजी ने जिस प्रकार इन संशोधनों को अस्वीकार किया है मैं समझता हूँ कि सदन का कोई भी माननीय सदस्य उससे प्रभावित नहीं हुआ होगा। मैं समझता हूँ कि सब-क्लॉज़ (१) में जो संशोधन रक्खा गया है उसकी भावना यह नहीं थी। उसमें यह है कि दो महीने में डेट मुकर्रर कर दें : "As soon as may be after the commencement of this Act" जब एक्ट बन जावेगा तो उसके बाद "The State Government may by notification appoint a date for the abolition."'as soon as' में यह था कि पहले की जो तैयारी होनी चाहिये वह कर चुकने के बाद, दस्तखत हो जाने के बाद आप दो महीने का समय रख दें। इससे अबोलिशन से मतलब नहीं था। अब जो एक्ट आप करें वह भविष्य में ही हो सकता है। तो यह 'As soon as' से मतलब था इसके बिना अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितने आगे के समय के लिये करेंगे। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इसका उन्मूलन एक स्टेज पार हो जाने पर तो शीघ्र हो, सस्पेन्स में नहीं रहा जाय इसके लिये यह टाइम लिमिट कर देना बहुत आवश्यक है। इससे आपके काम में बाधा नहीं पड़ेगी। बल्कि आपकी जो मंशा है कि उन्मूलन जल्दी हो तो वह पूरी होगी। आपकी भावना भी है कि जल्दी से जल्दी इसका उन्मूलन हो तो इसके लिये आपको इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिये, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स का काफी ख्याल इसमें है। यह तो केवल इसलिये रक्खा है कि लोग सस्पेन्स में नहीं रहें। इसको अगर आप नहीं मानेंगे तो सस्पेन्स बना रहेगा। इसलिये यह स्पेसिफिक डेट घोषित कर दी जावे कि एक्ट के पास हो जाने के बाद दो महीनों के बाद घोषणा कर दें कि अमुक अमुक जमींदारी रिज्यूम कर ली जावेगी। जब तक निश्चित तिथि घोषित नहीं की जाती तब तक दिलों में बैठा हुआ शक निश्चित रूप से काम करेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको मान लिया जावे।

दूसरा मेरा जो संशोधन है उसको भी शायद समझने में थोड़ी सी कमी रही है "Delete 'or in any area thereof specified in Notification'."मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया था कि राजस्थान के अन्दर जमींदारी और बिस्वेदारी ऐसी चीजें रह गई हैं कि जिनका उन्मूलन करें जिससे कि काश्तकार और राजस्थान सरकार के बीच में कोई मध्यस्थ न रहे। जागीरदारी उन्मूलन करने में कई कठिनाइयां सामने आई हैं उनको देखने से जितनी भी बातें और अनुभव मिलेंगे उसके लिए इस प्रकार का समय देना या इस प्रकार से बीच बीच में नोटिफिकेशन निकालें और उसके लिए एरियाज मुकर्रर करें, यह कोई वाजिब बात नहीं है। वैसे आपने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़, शासन की सुविधा की दृष्टि से इस प्रकार करना चाहते हैं। लेकिन आप उन लोगों से कहें कि सारे राजस्थान में जमींदारी और बिस्वेदारी को उन्मूलन करने का तय कर लिया है। लेकिन जैसा कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि

(श्री दयाकृष्ण विजय)
इस प्रकार के आंकड़े संग्रहीत किए हैं और उनके पास उसके पश्चात् उनके आधार पर इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार के आंकड़े नहीं हैं तो मैं कहता हूं कि जागीरदार, जमींदार और दूसरे बीच के मध्यस्थ वगैरह थे उनको समाप्त करने का कांग्रेस सरकार और वर्तमान सरकार का निश्चित मत था तो ११ साल के बीत जाने के बाद भी वे आंकड़े संकलित नहीं कर सके, तो इस प्रकार से आगे क्या अनुमान लगायें, और हमारी भावना में शंका नहीं करने का दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि ११ साल के बाद भी राजस्थान सरकार के पास ये आंकड़े नहीं हैं कि जमींदारी कितनी है, जमीन जमींदारी के अन्तर्गत कितनी है, जमीन जो बिस्वेदारों के पास है वह कौन सी क्लासिफिकेशन के अन्तर्गत आती है। उनके पास कितनी भूमि है और कितना लगान लेते हैं ? कितना कम्पेन्सेशन उनको देना पड़ेगा ? यदि ११ साल के बाद भी सरकार नहीं कर सकती तो मैं समझता हूं कि कानून के पास कर लेने के ११ वर्ष बाद तक भी यह लागू नहीं कर सकेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने संशोधन रखा है कि इसको २ महीने के अन्दर ले सकते हैं, लेकिन यह इस प्रकार बना है कि शायद इसमें समय लगेगा क्योंकि आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपके पास आंकड़े वगैरह नहीं हैं। लेकिन जब से आपने इसका मसविदा बनाया, जब से आपने इसका विचार किया है तब से इस प्रकार की कार्यवाही करते तो राजस्व मंत्रीजी के पास इस प्रकार के आंकड़े मौजूद होते। लेकिन मैं समझता हूं कि कार्य में वे देरी करना चाहते हैं। बिल बनाकर माननीय सदस्यों के पास भेजा है और उसके बाद हम प्रवर समिति में भिजवा देंगे, उसके बाद जब वहां से आयेगा उसके बाद में हाउस द्वारा पास किया जायगा, फिर छपेगा, तब आंकड़े मांगे जायेंगे और धीरे धीरे यह काम चलेगा। मैं समझता हूं कि यदि माननीय राजस्व मंत्रीजी की इस प्रकार की जिज्ञासा होती कि जल्दी से जमींदारी उन्मूलन हो तो आज तक आंकड़े संकलित कर लेते। लेकिन इस प्रकार की दलील देना कि एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से उसमें कन्वीनियेन्स नहीं है इस प्रकार से राजस्थान में सारी जमींदारी का एक साथ उन्मूलन कर सकें, मैं समझता हूं कि केवल यह बचने का तरीका है और कोई रास्ता नहीं है।

इसके अतिरिक्त सब क्लॉजेज़ (२), (३) और (४) उसके अन्दर से हटा दिए जांय। सब क्लॉज़ (५) को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक बात रेफर की गई है 'डट ऑफ वेस्टिंग, एक 'डेट' ऑफ वेस्टिंग, फिक्स होगी जिस दिन से सारी जमींदारी का उन्मूलन हो जायगा।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : On a point of order, Sir, it appears that the leader of the Jan Sangh party, the Hon. Member from Shri Madhopur has crossed the floor.

श्री सभापति : That is no point of order.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : He must be in his usual seat or it must be informed to the House that he has crossed the floor because he is sitting on the Treasury Benches.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Supposing you sit on the seat of a Minister, will you be a Minister ?

श्री श्रीभानसिंह : But he cannot sit on the seat of a Minister.

श्री मदनसिंह दांता : मैं समझता हूँ...

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय सभापति महोदय, यह अन्नेसेसरी पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है......

श्री सभापति : The Hon. Member may continue the debate.

श्री दयाकृष्ण विजय : (जारी) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब क्लॉज (५) के अन्दर एक 'डेट ऑफ वेस्टिंग' निश्चित करनी पड़ेगी जिस दिन से जमींदारी उन्मूलन होती है। इस प्रकार से 'डेट ऑफ वेस्टिंग पांचवीं सब क्लॉज के अन्दर रखी है तो आगे दूसरी कलॉज़ के अन्दर यह बात रखी है कि 'may fix different dates' तो 'may fix' जैसा कि मैंने कहा था और श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाया था कि कुछ ऐसे जमींदार हैं जिनका कि सरकार के अन्दर प्रभाव है उन लोगों को बचाये रखने की दृष्टि से और राजनैतिक लाभ उठाने की दृष्टि से हमारी राज्य सरकार जमींदारी उन्मूलन में यह देर लगा रही है। इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं तो उन बातों को बार बार दोहरायें, यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिफरेन्ट डेट्स रखना यह कोई बात नहीं है। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि अगर इस प्रकार से आंकड़े तैयार किये जा सकते तो यह डिफरेन्ट डेट्स नहीं होती और एक डेट इस प्रकार से मुकर्रर की जानी चाहिए कि जिस दिन से वह एबोलिश हो जायगी।

इसी सम्बन्ध में जो फोर्थ क्लाज है उसमें डिफरेन्ट डेट्स भी बेराई कर दी जायंगी। अलग अलग डेट्स उन्होंने रख दी हैं कि जिनकी तादाद इतने एकड़ की जमींदारी होगी, उसका इस तारीख से उन्मूलन कर दिया जायगा, और उससे कम इस तारीख से की जायगी और आवश्यकता पड़ी तो फिर भी इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति अपने पास रखी है, इस प्रकार की ताकत इनके पास रहेगी, इस प्रकार के अधिकार अपने पास रखें तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि आखिर जमींदारी कब उन्मूलन होगी और यह संयश सब लोगों के दिमाग में बना रहेगा और इसीलिए हमारी राजस्थान सरकार इसको पास नहीं कर रही है। इसलिए मेरे जो अमेन्डमेंट्स थे वे वजन रखते हैं। वजन ही नहीं रखते बल्कि यह समय की मांग है। काश्तकार और जमींदारों में संघर्ष छिड़ा हुआ है। वे कहते हैं कि हम जमींदारों को लगान नहीं देना चाहते, जैसा कि मेरे इलाके में हो रहा है कि किसान अपना मुआवजा जमीन का जमींदारों को नहीं दे रहे हैं और तहसील में जमा करवा रहे हैं, लेकिन आज की सरकार उन जमींदारों के साथ पक्षपात करके उन काश्तकारों को फिर से परेशान कर रही है और मजबूर कर रही है कि वे जमींदारों को जो कुछ भी लगान वगैरह है वह दे और वह हम जमा नहीं करेंगे। लेकिन काश्तकार इस बात पर जमा हुआ है कि हम जमींदार को पैसा नहीं देंगे। जहां इस प्रकार के झगड़े हैं वहां पर इस बात की आवश्यकता अनुभव करना चाहिए कि यह जमींदारी बिल जितना अधिक शीघ्र हो, पारित किया जाय। इस प्रकार से डिफरेन्ट डेट्स होती हैं और स्पेसिफिक नोटिफिकेशन की बात रखी जाय तो दूसरे के प्रति पक्षपात होगा और जो अन्याय करना चाहते हैं वह अन्याय नहीं होगा।

Page No.60

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ राजस्व मन्त्रीजी से कि वह फिर से विचार करें और मेरे संशोधनों को वापिस लेने का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय चेयरमैन महोदय, मेरे संशोधन का माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि मैं जमींदारी और बिस्वेदारी जल्दी ही समाप्त कराना चाहता हूँ अपने इलाके में। तो मैं समझता हूँ कि मुझे संशोधन के प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि......

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय,......

श्री सभापति : वापिस लेने का पहले तय हो जाय।

प्रश्न यह है कि राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल, १९५८ पर जो संशोधन श्री बहादुरसिंहजी ने पेश किया है उसको वापिस लेने की उनको आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं आशा तो यह करता था कि माननीय राजस्व मंत्रीजी पर सदन की बहस का कुछ प्रभाव पड़ेगा लेकिन...

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : उन पर असर पड़े भी तो आप नहीं पड़ने देंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उन पर असर इसलिए नहीं पड़ा कि मैंने आपका नामबीच में दो-तीन बार ले लिया था, उसी का विपरीत प्रभाव पड़ा है, वरना अब तक मंत्रीजी कुछ बातें स्वीकार करते आये थे लेकिन मैंने इस बात का संकेत किया कि अजमेर के भूतपूर्व राजस्व मंत्रीजी की विजय हो रही है, इस बात का कहना ही अपशकुन हो गया इसलिए जो बातें रखी गई उनको राजस्व मंत्रीजी ने अस्वीकार कर दिया। दोष आपका नाम लेने का है, मुझे ऐसा ख्याल नहीं था, भविष्य में मैं सावधान रहूँगा।

जिस तरह से मैंने कहा कि ऐसी उम्मेद रखता था कि या तो राजस्व मंत्रीजी इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण दलीलें देंगे जिसके आधार पर यहां पर जो संशोधन पेश किये गये हैं वे वापिस ले लिये जायेंगे। लेकिन उनका उत्तर तो बिल्कुल इस प्रकार का था जिस प्रकार का भाव इन सारी धाराओं से निकलता है। जो कुछ उन्होंने बातें बताई वे बातें पहले से ही इस बिल के इन क्लॉजेज़ में हैं। सबसे मोटी दलील जो माननीय राजस्व मंत्रीजी ने दी है वह एडमिनिस्ट्रेटिव डिफि-कल्टीज़ को सामने रखकर दी है। सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी हो सकती है। जब उन्होंने दो, तीन या चार बार एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज का नाम लिया तो मैंने इस जमींदारी एबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट को दुबारा जल्दी जल्दी में पढ़ा और उसके बाद फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि राजस्थान में जमीनदारियां सैटल्ड हैं यदि अनसैटल्ड हैं तो राजस्व मंत्रीजी मुझे इस

(श्री भैरोंसिंह)

विषय पर करेक्ट करेंगे। इस स्थिति में हमारे सामने स्पष्ट प्रमाण है या हमारे सामने स्पष्ट स्थिति है कि राजस्थान में कोई भी जमींदारी, बिस्वेदारी या बपोतीदारी या इस प्रकार की कोई दारी चाहे वह सूबेदारी ही हो, जो इस कानून के अन्तर्गत लाना चाहते हैं, वे सारी चीजें सैटल्ड हैं जिनका हम एबोलिशन कर सकते हैं तो जिनका एबोलिशन करना चाहते हैं वे सैटल्ड हैं। सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी आ सकती थी वह सैटलमेन्ट के कारण आ सकती थी, वह रिमूव हो चुकी है। मंत्रीजी यह कह सकते हैं और कहेंगे कि जागीर रिजेम्पशन के तहत हमने ऐसा प्रावधान रखा था और सरकार ने यह कहा था कि जो तारीख निश्चित करें उसमें सरकार हेरफेर कर सकती है और उसके लिए सबसे बड़ी दलील थी सैटलमेन्ट की। लेकिन जमींदारी के लिये सैटलमेन्ट का प्रश्न नहीं आता, कहीं अनसैटल्ड है तो भी इसका प्रश्न नहीं आता तो फिर कौनसा ऐसा होगा जिसमें हमें एक दफा निश्चित की गई तारीख में हेर फेर करने की स्थिति लानी पड़ेगी। प्रश्न है सिर्फ ३५४३ गांवों का। कुल राजस्थान में ३५४३ गांव ऐसे हैं जिनमें जमींदारी है। इसमें से बाकी के ११४६ हैं। जिन गांवों में जमींदारी है उनमें से ७२ पर्सेन्ट गांव अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में सैटलमेन्ट हो चुका है और इन जमदारों पर राजस्थान में जितना टिनेन्सी लेजिस्लेशन था वह कई अंशों में इन पर लागू हो चुका है। अब ११४६ गांवों का प्रश्न है इन्क्लुडिंग four villages of Ganganagar District- ११४६ गांव हैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में और १७८ गांव हैं बाकी पांच डिस्ट्रिक्ट्स में। राजस्थान में कुल जमींदारी है ३५४३ गांवों में और उन पर टिनेन्सी लेजिस्लेशन लागू है, सैटलमेन्ट हो चुका है, इन्कम का कोई वेरिएशन नहीं है, उनकी इन्कम क्या है जिसकी बेसिस पर कम्पेन्सेशन देना है वह बिल्कुल स्पष्ट है। तब इसके बाद में कौनसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी आ सकती है जिसको लेकर सरकार मजबूर हो जाय और तारीख में कोई परिवर्तन लाये। मैं समझता हूं उनकी दलील स्वयं के विपरीत है। वैंकटाचार कमेटी की रिपोर्ट में उल्लेख आया था, सन् ५१ में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा गया था कि जमींदारी और जागीरदारी को खत्म किया जाय। उसके बाद सन् ५२ में राजस्थान विधान सभा के प्रथम आम चुनाव से पहले सरकार के द्वारा एक ऑर्डिनेन्स इश्यु किया गया और जागीरदारी खत्म की थी और साथ साथ जमींदारी खत्म की थी। जमींदारों को किस प्रकार से कम्पेन्सेशन दिया जायगा। सन् ५२ में जितने एक्ट बने थे उनमें प्रोविजन है कि जमींदारी खत्म कर देंगे तो इसके बाद जब संशोधन आये ५३–५४ में उसके द्वारा जमींदारी को एक्सक्ल्यूड किया गया और जागीरदारी को रिज्यूम करने की व्यवस्था की गई। उस समय सदस्यों ने विरोध किया था। अब जो बात ५२ में चली थी, उसके बाद सन् ५४ में जिस पर वादविवाद हो चुका है, ५६ में जमींदारी एबोलिशन कमेटी अपोंइन्ट की है वह ५८ में रिपोर्ट पेश करती है। वह भी इस सिद्धान्त को स्वीकार करती है कि जमींदारी को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाय। प्लानिंग कमीशन सब राज्यों को निर्देशन देता है कि इन्टरमिडियरीज की व्यवस्था को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाय उसके बावजूद भी

(श्री भैरोंसिंह)

आज इस तरह की व्यवस्था की जाती है तो सरकार या राजस्व मंत्रीजी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ को सामने रख कर इस प्रकार की बात नामंजूर करने की बात करते हैं। यदि राजस्व मंत्रीजी को एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ का सामना आता है तो उसका एक भी उदाहरण विधान सभा के सामने रखते तो पता चलता है कि वास्तव में एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ हैं। लेकिन सभापति महोदय, जब इस प्रकार का कोई उल्लेख उनके भाषण में नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ के ऊपर जो संदेह माननीय सदस्यों को है उसकी पुष्टि होती है। माननीय सदस्यों को संदेह है कि जागीर रिज़म्प्शन जिस गति से चला उस गति से जमींदारी का एबोलिशन नहीं हो सकेगा और मैंने शंकाओं को कानूनी स्वरूप न देने के लिए इन संशोधनों द्वारा व्यवस्था की मांग की थी। अब दो बातों को लेकर सरकार समय और एरिया दोनों बातों को कानूनी रूप देकर अधिकार प्राप्त करेगी तो मैं आज विधान सभा में स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्रीजी यदि चाहें तो मेरी बात को कांट्राडिक्ट करें कि इसके अन्दर अलवर और भरतपुर की जमींदारी पहले खत्म की जायगी और गंगा नगर की जमींदारियों का बाद में नंबर आयगा। गंगानगर की जमींदारियों का नंबर आने में १५–२० दिन या दो-चार महीनों का ही अन्तर नहीं रहेगा बल्कि काफी अन्तर रहेगा। इसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये सरकार या राजनैतिक दल को विशेष लाभ नहीं मिलता है। आज राजस्व मंत्रीजी इस स्थिति में हों तो बता दें कि अलवर, भरतपुर और गंगानगर की जमींदारियां एक साथ खत्म होंगी तो मैं अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने को तैयार हूं। लेकिन इस बात में संदेह है। प्रचार इस बात का किया जा रहा है कि अलवर-भरतपुर में जमींदारी खत्म की जायगी, लेकिन गंगानगर की जमींदारियों में हाथ नहीं डाला जायगा। यदि इस रिपोर्ट को भी सभापति महोदय, ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय तो उन सदस्यों के प्रति जो इसके सदस्य रहे हैं, उनके सम्मान के लिये कहूँगा। अपने दिमाग से या किसी के इशारे पर इस बात की अवश्य कोशिश की है कि किसी न किसी प्रकार गंगा नगर के जमींदार को भरतपुर, अलवर के जमींदारों से अलग मानने की स्थिति पैदा कर दी जाय। हमारे माननीय राजस्व मंत्री ने दुनियां भर के आंकड़े इकट्ठे किए, उसके साथ ही कलेक्टर, गंगानगर को एग्जामिन किया और चेष्टा की है कि कोई रेकॉर्ड मिल जाय जिसके आधार पर गंगानगर के जमींदार को हम किसी प्रकार एक टिनेन्ट की शक्ल देकर उसको काश्तकार मान लें और बाकी लोगों को जमींदार मान लें, लेकिन हमारी राज्य सरकार को कोई ऐसा रेकॉर्ड नहीं मिल सका कि जिसके आधार पर वह गंगानगर के जमींदार को बचा सके। ऐसी स्थिति के अन्दर इस कानून को मजबूरी के साथ पेश कर रहे हैं, उस मजबूरी के अन्दर भी इस प्रकार व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मजबूरी के अन्दर भी उसको बचाया जा सके। और उनको बचाने का प्रोग्राम बनाते हैं और इस कानून में एक धारा आती है कि सरकार गजट नोटिफिकेशन के द्वारा डिफरेन्ट एरियाज़ के लिए डिफरेन्ट डेट्स तय कर सकती है। अगर माननीय राजस्व मंत्री डिफरेन्ट एरियाज़ के लिए डिफरेन्ट डेट्स तय करने की बात बता दें,

(श्री भैरोंसिंह)

मैं समझता हूँ, उसमें नहीं है। मैं निवेदन करूं कि राजस्थान का अधिकांश हिस्सा जागीर रिज़म्प्शन से प्रभावित था, यदि आप उसमें ऐसा करते कि जो भाग ज्यादा प्रभावित था उसमें जागीरदारी और खालसा एरिया को पहले खत्म करते क्योंकि विस्तृत कार्यक्रम की व्यवस्था करना मुमकिन नहीं था। अगर आप यह करते कि डिफरेन्ट एरियाज़ के लिए गजट नोटिफिकेशन के द्वारा डिफरेन्ट केटेगरीज़ के आधार पर जागीर रिज़म्प्शन करेंगे, लेकिन उसमें यह छोड़ दिया और जमींदारी एबोलिशन में इसकी आवश्यकता हो गई। उस आवश्यकता के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार उन लोगों को...

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir, this House was given to understand that the House is to be adjourned at 2-30 P. M.

श्री सभापति : Yes, after the clause 3 is passed.

श्री पी० के० चौधरी : My we discuss it next time, Sir.

श्री सभापति : After passing the clause the House will adjourn.

श्री श्रीभानसिंह : Then it means we shall sit upto 5.

श्री सभापति : As soon as clause 3 is passed the House will adjourn.

श्री भैरोंसिंह : तो जो कुछ माननीय राजस्व मंत्रीजी ने उत्तर दिया मैं समझता हूं वह मेरे लिए, सदन के लिए, किसी प्रकार संतोषजनक उत्तर नहीं कहा जा सकता। यदि सदन इन सारे जमींदारों को जल्दी से जल्दी समाप्त करने के मूड में है तो हमारे राजस्व मंत्री जी ने जो कुछ वायदे उनसे किए हैं और उन वायदों को पूरा करने के लिए यह व्यवस्था की है, तो उस व्यवस्था को एप्रीशिएट नहीं करता है तो मैंने जो संशोधन पेश किया है उस संशोधन का सदन के माननीय सदस्य समर्थन करें जिससे उनके वायदे पूरे न हों। यदि यह संशोधन पास करते हैं तो जमींदारों से त्रस्त जितने काश्तकार हैं वे काश्तकार सदन के सदस्यों को आशीर्वाद देंगे। उन किसानों के आशीर्वाद को प्राप्त करने की दृष्टि से मैं अपना संशोधन सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका अमेंडमेंट है एक।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : आपने मंजूर कर लिया था।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति, माननीय सदस्य कभी अध्यक्ष महोदय को एड्रेस नहीं करते हैं और बाला बाला बोलना शुरू करते हैं। बोलने से पहले वे चेअर को एड्रेस करें।

श्री सभापति : In future, he will maintain it.

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : माननीय सभापति, माननीय राजस्व मंत्री ने मेरा अमेंडमेंट स्वीकार कर लिया है। मैंने संशोधन दिया था : "or any class of such estates' be deleted."

जब कि उन्होंने बिस्वेदार और जमींदार को परिभाषा में संशोधन स्वीकार कर लिया है,

(श्री ब्रजमोहनलाल)

"any class of such estates" उससे यह सम्बन्ध रखता है, जिन वर्ड्स को निकालने का संशोधन रखा था, जब वह संशोधन स्वीकार हो गया है तो यह रिडन्डेन्ट हो जाता है। उस समय आपने फर्माया कि मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता।

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय...

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा और श्री दामोदरलाल व्यास के वार्तालाप करने पर)

(अल्पविराम)

श्री सभापति : Yes coutinue.

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, इस बिल में जिन शब्दों को डिलीट करने का अमेंडमेंट आया था और जो अमेंडमेंट मैंने प्रस्तुत किया है वह काफी इम्पोटेन्ट है। मेरे इस अमेंडमेंट का मकसद इतना है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जमींदारी और बिस्वेदारी खत्म की जाय। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि गवर्नमेंट का जो ओरीजिनल बिल है उसमें प्रोविजन रखा है उसमें यह अमेंडमेंट एक्सेप्ट करने के बाद हम ऐसा अधिकार देते हैं :

"The state Government may, by notification in the official Gazette, appoint a date for this Bill"

तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वीनियेन्स के लिए तारीख मुकर्रर करने का अधिकार दे दिया जाता है। उसके बाद हम चाहते हैं कि एक दफा तारीख मुकर्रर हो जाय, तो तारीख मुकर्रर हो जाने के बाद में ६ महीने के अन्दर एक्वीज़िशन या एबोलिशन हो जाना चाहिए, यह अमेंडमेंट है। दूसरा अमेंडमेंट है पार्ट ४ में, वह यह है कि एक दफा तारीख मुकर्रर होने के बाद उसको बार बार चैन्ज करने का अधिकार न रहे। यह अमेंडमेंट इसलिये पेश नहीं किया है कि हमने देखा है कि जागीर रिज़म्प्शन में क्या हुआ है, सीलिंग रिपोर्ट में क्या हुआ है; जैसा कि आपको मालूम है कि सीलिंग कमेटी १९५३ में अपॉइन्ट हुई, उसकी रिपोर्ट १९५८ में आई और न मालूम सीलिंग का लेजिस्लेशन कब पेश होगा। इसी तरह जागीरदारों के एबोलिशन का प्रश्न तय किया था चार साल पहले, पांच साल पहले और इस साल जाकर उसके रिज़म्प्शन का प्रश्न तय हुआ है। यह कहीं नहीं है कि कम्प्लीशन हो गया है या नहीं। इसलिये अगर इस प्रकार का लेटीच्यूड लेजिस्लेशन में छोड़ देंगे तो हो सकता है कि जैसा जागीरदारों के प्रश्न में हुआ, वैसा इसमें हो और इसमें भी चार-पांच साल और खिंच जायँ। दूसरी बात यह है कि जब जागीरदारी एबोलिशन एक्ट राजस्थान में लागू किया था, वह सारे राजस्थान में एक साथ फोर्स में आया था। उसमें किसी एरिया आदि का प्रश्न तय नहीं किया था कि भरतपुर में पहले होगा, उदयपुर में बाद में होगा, ऐसा तय नहीं किया था। सारे राजस्थान में एक तारीख से लागू किया था। जहां तक जमींदारी, बिस्वेदारी का सवाल है, हमारे यहां तीन डिस्ट्रिक्ट्स इससे अफेक्टेड हैं, भरतपुर, गंगानगर और अलवर। इसलिए ऐसा नहीं है कि सरकार यह काम सम्भाल नहीं पाये।

(श्री पी० के० चौधरी)

मैं इसलिए चाहता हूं कि एक तारीख को एक्ट लागू करेंगे । मेरा अमेन्डमेन्ट लाने का मतलब यह है कि एग्ज़ीक्युटिव के पास डिस्क्रिमिनेशन न रहे कि भरतपुर में आज लागू करें, अलवर में कल लागू करें और गंगानगर में ६ साल बाद लागू करें, ऐसा लेटीट्यूड छोड़ने के बाद रहता है : "to appoint the date from which this will take affect." अगर ऐसा लेटीट्यूड रहता है तो जैसा मंत्रीजी ने बताया कि डेट तय करने में ६ महीने की तारीख मुकर्रर कर दें, तो क्लॉज ४ में बार बार तारीख मुकर्रर करने का अधिकार नहीं रहता है । पार्ट (४) में लिखा है :

"The State Government may, by notif cation in the Official Gazette, very any date appointed under sub secction (1), at any time before such date."

कोई तारीख सब सेक्शन (१) के अनुसार गवर्नमेंट मुकर्रर करती है कि १ दिसम्बर, १६५६ में उसको अमल में लाना है, १ दिसम्बर, १६४६ से पहले उस डेट को चैन्ज करने का अधिकार रहता है तो डेट एक्सटेन्ड कर दी और फिर चाहें तो फिर कर सकते हैं । पार्ट (४) में कॉम्प्लीकेशन यह है कि जितनी बार भी गवर्नमेन्ट चाहेगी, उतनी दफा तारीख चैन्ज कर सकती है । मैं नहीं चाहता कि इसमें देरी हो । जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने इस बिल को इसी सैशन में रखा । जिस समय बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ उस समय इसे सिलेक्ट कमेटी में न भेज कर माननीय मंत्रीजी ने इस बिल को विचार करने के लिए इसी सैशन में रखा क्योंकि यह जरूरी था । मैं नहीं समझता कि जब इतनी अरजेन्सी के साथ इस प्रोब्लम को खत्म करना चाहते हैं तो क्या वजह है कि उसमें ऐसा लेटीट्यूड, ऐसा प्रोविजन रख लें जिसके द्वारा एक्जीक्युटिव मन चाहे जितना लेट कर सकता हैं । इसके पीछे क्या दलील है, मैं समझ नहीं पाता । पार्ट (४) को डिलीट करने में क्या दिक्कत हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइन्ट ऑफ व्यू से क्या दिक्कत हो सकती है ? एडमिनिस्ट्रेशन के लिये प्रोविजनं रखा है, सब-सेक्शन (१) में ;

"The State Govenrnment may by notification in the official Gazette, appoint a date for the abolition and acquistion of Zamindari and Biswedari estates or any class of such estates,in the state or in any area therecf Specified in the notification, and for their vesitingi in the State Government."

तो सारी परिस्थिति को देखकर डेट मुकर्रर करेंगे । इस बिल में यह कहीं नहीं कहा है कि आज बिल पास होता है तो कल तारीख मुकर्रर करें, सरकार उस पर विचार करके तारीख मुकर्रर कर सकती है ।

हम तो यह नहीं कहते कि इस बिल में साल, दो साल, तीन साल बाद की डेट मुकर्रर न करें पर हम तो यह कहते हैं कि एक दफा आपने डेट मुकर्रर कर दी "When you once appoint a date then you finish it." आप इसे नहीं करना चाहते, दुबारा डेट चैंज करना चाहते हैं, इससे हमें साफ सन्देह होता है कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है । अगर सीरियस होती तो डेट टार्गेट फ्लेक्सिबल नहीं होता । सरकार की तरफ से एक दफा अपोइन्टेड डेट है उससे आगे डेट मुकर्रर न करें । गवर्नमेंट सोच–विचार कर एक साल बाद, दो

(श्री पी० के० चौधरी)

साल बाद कोई भी डेट मुकर्रर कर दे, उसमें फिर चैंज नहीं होना चाहिये, जैसे आपने आज ७ नवम्बर, १६५८ को एक साल बाद की डेट ७ नवम्बर, १६५६ मुकर्रर की, तो उस पीरियड के अन्दर २ हो जाना चाहिये । साल दो साल तैयारी के भले ही आप ले लें, पर एक दफा मुकर्रर करने के बाद उस डेट को चेंज न किया जाय । पर सब क्लॉज़ (४) में रखा है उससे साफ जाहिर होता है कि आप बार बार डेट चैंज करना चाहते हैं । इसलिये अमेंडमेंट रखा है, इसकी अरजेंसी को करते हैं ।

श्री सभापति : You want to withdraw the amendment or you want to press it. ?

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw it.

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : श्रीमान, मैं भी अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं, पर दो शब्द जरूर कह देना चाहता हूँ । मैंने जो संशोधन रखा था उसके सम्बन्ध में श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे उनके लिये उनको धन्यवाद देता हूँ । उन्होंने जो कहा उसका असर हो गया है । इस सम्बन्ध में मिड समर नाइट ड्रीम के एक पात्र की याद आ जाती है जो यदि कोई आदमी चाय पीने जाता तो वह पात्र चुप-चाप आकर उस चाय की प्याली को बिखेर देता था । काम बिगाड़ देने के लिये जिस भाषा में उन्होंने कहा उसके लिये विशेष न कहते हुए यही कह देना चाहता हूं कि he has given me that on the subject.

एक महापुरुष ने कहा है कि एक व्यक्ति इस बात का दावा करे कि वह हर विषय का पारंगत है, हर विषय को ठीक तरह से समझता है तो यह उसकी गलत धारणा है ।

श्री भैरोंसिंह : So is the case with you.

श्री सभापति : Please confine you arguments.

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : मैंने यह रखा था कि और क्लॉज़ेज़ तो जमींदारी बिस्वेदारी के आ जाते हैं तो any class of such estates शामिल हो जाती हैं, राजस्थान में रखना चाहते हैं तो रिक्शा वालों को इसमें शामिल कर दें । वे परेशान हैं यदि इसको अमेंडमेंट में ले सकें, और कोई अवसर तो नहीं मिलेगा······

श्री भैरोंसिंह : रिक्शे वालों का सवाल बेमौके उठाया है, इससे रिक्शे वालों का नुकसान ही होगा, आपको पोपुलेरिटी नहीं मिलेगी ।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री श्रीभानसिंह (ब्याना) : माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जवाब दिया नहीं । अब असेम्बली में ऐसी प्रणाली पड़ गई है कि जवाब में कोई तथ्य के आर्ग्युमेंन्ट्स नहीं रखना । तथ्य और आर्ग्युमेंट्स जवाब में रखे जायं तो एक सदस्य अपने अमेंडमेंट को वापिस ले सकता है । जहां तक पार्लियामेंटरी परम्पराओं का और हैल्दी एटमोस्फियर का सवाल है, वहां मिनिस्टर्स जो अमेंडमेंट एक्सेप्ट न कर सकें, उसको अच्छी तरह स्टडी करके आते हैं । पर हमारे राजस्व मंत्रीजी ने दो-तीन चीज़ें सोच ली हैं ; एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स, मैरिट्स, किसी आदमी का लिस्ट में हजारवां नम्बर है और उसको लेना चाहते हैं

(श्री श्रीभानसिंह)

तो उसको सीनियोरिटी कम मैरिट्स से प्रोमोशन देते हैं, जहां सीनियर से सीनियर आदमी को नहीं लेना होता है तो उसको सीनियोरिटी कम मैरिट्स का नाम लेकर प्रोमोशन नहीं देते हैं। किसी चीज को नहीं लेना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कह देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स नहीं है, पर मेरी समझ में नहीं आता कि यहां क्या एडमिनस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स में डिफिकल्टी आयेगी? एक तरफ तो जागीरदार एबोलिशन कमेटी, जमींदारी एण्ड बिस्वेदारी एबोलिशन कमेटी, सीलिंग कमेटी और लैंड कमिशन अपोइन्ट किया हुआ है, अब भी क्या कोई फैक्ट्स ऐसे रह गये हैं कि जो आपको मालूम नहीं हैं, लैंड लेजिस्लेशन्स लेते जा रहे हैं और फैक्ट्स आपको मालूम नहीं हैं। तो जमींदारी एन्ड बिस्वेदारी एबोलिशन कमेटी को, लैंड रिफॉर्म्स कमेटी को और सीलिंग कमेटी को जो आपने टी०ए० डी०ए० दिया है, वह यों ही वेस्ट किया। उसने आपको फैक्ट्स फिगर्स तो दिये होंगे, डेटा कलेक्ट किया होगा, डेटा दिया होगा, जब कि एबोलिश करने की रिपोर्ट दी। जिस चीज के बारे में आपको मालूम नहीं तो उसे क्यों एबोलिश करने जा रहे हैं, कितने तरह की जमींदारी है, कितनी तरह की इस्तमुरारदारी है, कितनी तरह की बिस्वेदारी है। यह आपको मालूम नहीं है, then what are you abolishing ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कभी यह नहीं कहा कि कितनी तरह की जमींदारी है, कितनी तरह की बिस्वेदारी है, यह मुझे मालूम नहीं। मैंने यह कहा है कि डिटेल्स अवेलेबल नहीं हैं, कितनों के फिगर्स अवलेबल हैं, कितनों के नहीं हैं, that should not be misinterpreted like this.

बहुत से टेन्योर हैं, who claim to be a Zamindar; यह मैंने कहा है इसके लिये।

श्री श्रीभानसिंह : Have those tenants gone to the High Court or some other court.

श्री दमोदरलाल व्यास : Yes, their cases are pending in some courts.

श्री श्रीभानसिंह : In some courts:

तो माननीय चेयरमैन महोदय, मंत्री महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैंने यह नहीं कहा, पर कहा जरूर है कि किस तरह की जमींदारी है, कितने तरीके हैं.........

श्री दामोदरलाल व्यास: मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य इस बात को समझने की कोशिश करें कि कितनी तरह की जमींदारी है।

श्री श्रीभानसिंह : जिसको मिनिस्टर महोदय समझाने को तैयार होंगे, मैं समझ लूंगा कि इतनी ही तरह की जमींदारी है।

(हंसी)

आप इसमें समझते नहीं हैं। जमींदार है, उसके नीचे टिनेन्ट है, उस टिनेन्ट को राइट देना चाहते हैं। जनसंघ के लीडर ने यह आरोप लगाया था कि जयपुर में कश्मीरी हैं उनकी जागीर रिज्यूम नहीं की। जो अगर डेट फिक्स कर दी, उसको रिज्यूम कर लेते...

श्री सभापति : The Hon'ble member should confine his discussions towards the relevant Act.

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष, यहां तक कि जाति के नाम से खत्म हो गये।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री श्रीभानसिंह : इस तरह का केस है और मैं मिसाल दे रहा हूँ। जब आप डिफ्रेन्ट डेट्स, डिफ्रेन्ट इन्कम और डिफ्रेन्ट एरियाज़ की बात को रखेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे तो सारी जमींदारी व बिस्वेदारी समाप्त होगी नहीं और भ्रष्टाचार, पक्षपात आदि के आरोप जो इस समय आप पर लगते हैं, फिर आप पर ज्यादा लगेंगे और फिर आप उसको समाप्त नही कर सकेंगे क्योंकि इससे एडिमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ आपके सामने आवेंगी।

मैं समझता हूँ कि इसके लिए आपको भरतपुर, अलवर में कोई दिक्कत नही होगी। जामींदारी का रेकॉर्ड मौजूद है, टिनेन्सी कानून लागू है। आपको वहां लागू करने में क्या इनकन्वीनियेन्स हो सकती है ? इनकन्वीनियेन्स यदि आपको हो सकती है तो गंगानगर में हो सकती है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर यह कानून लास्ट में लागू होगा यदि हुआ भी तो।

एक माननीय सदस्य : यह कैसे कह सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : इसको राजस्व मन्त्री स्पष्ट कर दें कि गंगानगर में बाद में नहीं होगा, सबसे पहले होगा।

श्री सभापति : The Hon'ble member to continue the debate please.

श्री दामोदरलाल व्यास : I cannot anticipate.

श्री सभापति : The Hon'ble Member to cantinue the debate, Shri Shribhan Singh.

श्री श्रीभानसिंह : सभापति महोदय, यह कहना कि हम डिफ्रेन्ट एरियाज़, डिफ्रेन्ट डेट्स से लागू करेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता। हम कोई वार डिक्लेअर करने नहीं जा रहे हैं। भरतपुर में, अलवर में आपके रेकॉर्ड कम्पलीट हैं इसलिये वहां पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत और ऑब्जेक्शन एराइज़ नहीं होता, फिर वहां पर क्यों किसी प्रकार की डिले की जाय ? मगर इसका कोई जवाब नहीं दिया कि उनको क्या इनकन्वीनियेन्स है। उसका जवाब नहीं दिया और कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। कमेटी का फर्ज था, उसने अपना फर्ज पूरा किया है तो सब जगहों के टेन्योर वगैरह आपके सामने रखे हैं और जब बिल बनाया है तो उसकी रिकमन्डेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिये। डिफ्रेन्ट एरिया और डिफरेन्ट डेट्स आदि तो किसी व्यक्ति को तंग करने और ट्विस्ट करने के लिये हैं। मगर मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट किसी को भी तंग कर सकती है और ट्विस्ट कर सकती है। उसमें इस प्रकार की ताकत है और इसमें इसके लिये काफी गुंजायश है। मगर फिर भी माननीय सदस्य ने कहा है कि यह सब एक ही रोज़ में हो जावेगा, यह मुश्किल है। यह तो आगे देखा जावेगा, कि कितने रोज़ में करेंगे।

श्री सभापति : So you are withdrawing your amendment. Are you pressing or withdrawing ?

श्री श्रीभानसिंह : No, I am withdrawing.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल पर जो संशोधन क्लॉज ३ में श्री बृजमोहनलाल, श्री पी० के० चौधरी और

(श्री सभापति)

श्री श्रीमानसिंह ने रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री भैरोंसिंह : श्री बृजमोहनलालजी तो अपना अमेन्डमेंट वापिस नही ले रहे हैं ।

श्री बृजमोहनलाल : मैं अपना अमेन्ड मेंट वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : He has withdrawn it.

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री श्रीमानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ में जो अमेन्डमेंट श्री भैरोंसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे ।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह : Ayes have it, Sir.

श्री सभापति : So you claim a division ?

श्री भैरोंसिंह : Yes, Sir.

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल के क्लॉज़ ३ में जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

अमेंडमेंट गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल में जो अमेन्डमेंट क्लॉज ३ में श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

अमेन्डमेंट गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल के क्लॉज़ ३ को स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

सदन की कार्यवाही दिनाक १७ नवम्बर, १६५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है (तदनन्तर सदन की कार्यवाही ३-० बजे, १७ नवम्बर १६५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, ७ नवम्बर, १६५८)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	२३१०
श्री जी. एल. तिवारी, लेक्चरार, लोहिया कॉलेज, चूरू की नियुक्ति ।	
पानखा जंगल का ठेका ।	
नॉनगजटेड पुलिस कर्मचारी संघ के कॉन्स्टेबिल द्वारा भूख हड़ताल ।	
पशु मेला, सांचोर ।	
हिन्दुस्तान सॉल्ट (प्राइवेट)लिमिटेड, सांभर लेक ।	
जालौर जिले में पुलिस द्वारा चालान ।	
उदयपुर-कांकरोली रूट पर मोटर चलाने के पर्मिट ।	
कोटा बेराज ।	
किशनगंज रेन्ज के जंगल से चोरी ।	
सांचोर प्राइमरी स्कूल में अध्यापक व छात्रों की संख्या ।	
स्यालू फसल को क्षति ।	
जिला जालौर में ऑफिसर्स द्वारा चपरासियों से घरू कार्य करवाना ।	
पशु-चिकित्सा विभाग के डॉ० श्री रामचन्द्र की नियुक्ति ।	
ऑमागढ़ झालाना की खानों की रायल्टी ।	

	स्कम्भ
ट्रान्सपोर्ट सर्विस की कम्पलेन्ट बुक्स ।	
मुख्य मन्त्री के ऑफिस में टेलीप्रिन्टर मशीन ।	
पब्लिक प्रोसीक्यूटर की नियुक्ति ।	
सरदार शहर-बीदासर सर्विस ।	
डूंगरपुर जिले के शहीद परिवारों की सरकार द्वारा सहायता ।	
जिला सीकर में अपहरण और बलात्कार केसेज़ ।	
रूरल एरिया को लोहे के कोटे का वितरण ।	
राजस्थान नहर के उद्घाटन पर खर्चा ।	
तहसील रायपुर के तालाबों व बांधों की मरम्मत ।	
मेडता-पुष्कर रोड़ की मरम्मत ।	
सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के केश में शोर्टेज ।	
ग्राम फूंसरा का स्कूल भवन ।	
अल्प-काल सूचना प्रश्न	२२६६
श्री एन. माधवराव द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत राजस्थान वित्त जांच समिति प्रतिवेदन	
राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्पादन विधेयक १६५८ ।	२३६६
(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)	

Page No.71

स्कम्भ स्कम्भ

उपरोक्त विधेयक पर आज भी खण्डशः विचार जारी रहा।

खण्ड २ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया तथा खण्ड ३ बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

सोमवार, १७ नवम्बर, १९५८

का कार्य सूची।

१. राजस्थान दहेज नियन्त्रण विधेयक, १९५८।

(प्रवर समिति को)

२. राजस्थान मृत्युभोज प्रतिबन्ध विधेयक, १९५८।

अशासकीय संकल्प।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ४७८ का उत्तर देखिये)

No. 7 and 8.

Copy of a complaint lodged in the complaint Book of Bus No. RJZ 126 plying on Sardar Sahar-Bidasar route.
27/2/58 at 12.45 P.M.

I started from Sardar shahar to Ratangarh in Bus No. 126 RJZ. The passenger were in this more than 50 passengers, where ever this bus is pass for 35 seats. Out of the above mentioned passengers some were sitting on the roof and some were hanging with bus out side the main window. The main windows was open from Sardar sahar to Rattangarh. Two ladies were also sitting with the driver in his right hand is wrong side and other two police passengers were also travelled in the same bus without tickets as told by the conductor. The action should be taken accordingly and inform me on the following address given below:—

The behavier of both the man driver as well as chalis are very bae.

Sd/- H. Chanda.
House of Dr. Hari Chand Syal.
Arerian Street Patiala,
Copy to the Transport Officer,
for necessary.

———

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ४८३ का उत्तर देखिये)

तहसील रायपुर जिला पाली में टूटे हुये बांधों की सूची

१. लालापुरा भावडी
२. रावतसर
३. लखी सागर
४. धोलिया
५. सेन्दरा
६. कोट किराना
७. काला कोट
८. पाटन
९. रेलूडा
१०. सोडपुरा
११. त्रिरटिया
१२. रामदेव
१३. रपट कबूजा
१४. गुरिया
१५. लालपुरा
१६. सोलिया भाटा
१७. तीखली डटी
१८. गटा
१९. उजीराना
२०. भौमदा
२१. गोटालो की डटी
२२. दूजोडिया
२३. फूटिया
२४. टडपन पद
२५. रपट मेरू का नाका

Page No.74

२६. मलीया वाला

२७. नग वाला

२८. भीमा वेमी

२६. बोदी गटा

३०. टेडा का रेक

३१. कोरीया का नाला

३२. कुमारी की कोमाडी नाला

३३. सालपुरा नाला

————

परिशिष्ट ३

(प्रश्नकाल में न लिये जा सकने वाले सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

पशु-चिकित्सालय

४८७. श्री नारायणलाल (नीमकाथाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में सन् १९५७-५८ में कितने पशु-चिकित्सालय खोले गये ?

(ख) उनमें से सीकर जिले में कहां कहां कितने पशु-चिकित्सालय खोले गये ?

(ग) क्या उनमें दवा आदि का पूरा इन्तजाम है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) राजस्थान में सन् १९५७ में दस पशु-चिकित्सालय खोले गये तथा सन् १९५८ में छः पशु-चिकित्सालय खोले गये ।

(ख) उनमें से सीकर जिले में कोई पशु-चिकित्सालय नहीं खोला गया ।

(ग) पशु-चिकित्सालयों में दवाई आदि का पूर्ण रूप से प्रबन्ध है ।

प्रश्न

मल्टीपर्पज़ स्कूल, करौली के नये भवन के निर्माण में शिथिलता

४८८. श्री बृजेन्द्रपाल (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) मल्टीपर्पज स्कूल, करौली के नये भवन निर्माण में अब तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि भवन निर्माण कार्य शिथिलता से चल रहा है ?

उत्तर

१. सन् १९५७-५८ तक ५८,१६५ रु० खर्च हुआ है ।

२. निर्माण कार्य लगभग समाप्त हो चुका है ।

प्रश्न

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा रूस के प्रधान मंत्री की जयपुर यात्रा के अवसर पर पुस्तकों का मुद्रण

४८६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा रूस के प्रधान मंत्री मार्शल बुल्गानिन की जयपुर यात्रा के अवसर पर कुछ पुस्तकें छपवाई गयीं थीं ? यदि हां, तो कौन कौन सी पुस्तक किस किस भाषा में, किस किस प्रेस से छपवाई गयी और किस किस प्रेस को कितना कितना पेमेन्ट हुआ और ये पुस्तकें किस किस तारीख को प्राप्त हुईं ?

(२) क्या यह सही है कि कई पुस्तकें मार्शल बुल्गानिन की यात्रा के पश्चात् प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो ऐसे प्रेसों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? इस प्रेस से क्या एग्रीमेन्ट था ? उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे ?

उत्तर

१. सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय ने इस अवसर पर केवल एक पुस्तक (जयपुर) तीन भाषाओं रूसी, अंग्रेजी और हिन्दी में दिल्ली के युनिवर्सिटी प्रेस से छपवाई थी। इसके लिए ५,४०० रु० ८ आने ६ पाई प्रेस को चुकाया गया। जिस जिस तारीख को प्रतियां प्राप्त की गईं उनका विवरण निम्न प्रकार है।

पुस्तक का नाम	प्राप्ति सं०	संख्या
जयपुर (अंग्रेजी)	८-१२-५५	३००
	२८-६-५७	१७००
		२०००
जयपुर (हिन्दी)	८-१२-५५	३००
	२-४-५७	१७००
		२०००
जयपुर (रूसी)	८-१२-५५	१९०
	९-४-५७	५००
	१६-१२-५७	३१०
		१०००

२. यह सही नहीं है कि सब पुस्तकें उनकी यात्रा के पश्चात् प्राप्त हुई थीं। निम्न

प्रतियां यात्रा से पूर्व ही प्राप्त हो गई थीं, अतः प्रेस के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दी ३००

अंग्रेजी ३००

रूसी १६०

शेष प्रतियां समय समय पर बाद में प्राप्त की जाती रहीं । प्रेस से इस सम्बन्ध में कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं किया जाता ।

प्रश्न

कोथून-लालसोट सड़क का निर्माण

४६० (१६४ । ए. टी. एम.) श्री प्रभुलाल पुरोहित, एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर १२४ :—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोथून से लालसोट तक सड़क निर्माण का ठेका कब दिया गया था ?

(२) क्या उक्त सड़क के निर्माण में निश्चित अवधि से अधिक समय लग रहा है ?

(३) क्या लालसोट से १० मील के टुकड़े का निर्माण कार्य चालू है और कोथून से एक मील बन कर ही रुक गया है ?

(४) इस सड़क का ठेका किस सन् में किस व्यक्ति को दिया गया था ?

(५) उक्त विलम्ब करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या ठेकेदार को एक मील का ठेका दिया गया था ?

(७) यदि नहीं, तो काम क्यों नहीं चालू हो रहा है ?

(८) अब काम कब तक चालू हो जावेगा ?

उत्तर

१. मील १ से १३ तक २१ जून १९५६ को, मील १४ से १६ तक १२ सितम्बर ५५ को, मील १७ से २० तक १६ मई ५६ को, मील २२ से २३ तक ११ मार्च ५७ को, मील २४ से २६ तक २ नवम्बर ५५ को ।

२. जी हां ।

३. जी हां । जी नहीं, कार्य चालू है,

४. १९५६ ई० में । श्री जेठूसिंह हरखनारायण को ।

५. ठेकेदार की ओर से विलम्ब नहीं हुआ ।

६. जी नहीं।

७. प्रथम पाच मील का कार्य चालू है, बाकी के टेन्डर मांगे गये हैं.

८. प्रश्न नहीं उठता.

प्रश्न

डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन का समय समय पर जयपुर आना

४६१ (२३७ । सी. एम.) श्री शिवनाथसिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १५८:—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन का कार्यालय बीकानेर है तथा बीकानेर से समय समय पर कार्यालय के काम से उन्हें जयपुर आना पड़ता है ?

(ख) यदि हां, तो अगस्त सन् १९५८ को समाप्त होने वाले पिछले एक साल में डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन कितनी बार जयपुर आये तथा कुल मिला कर इस पूरे एक साल में कितने दिन इस कार्य के लिये बीकानेर से बाहर रहे ?

(ग) अगस्त सन् ५८ को समाप्त होने वाले पूरे एक साल में कुल रकम डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के जयपुर आने–जाने के कार्य में टी. ए. तथा डी. ए. के रूप में खर्च हुई ?

(घ) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन को बार बार विभागीय कार्यवश जयपुर आने में अपने कार्यालय के कार्य करने में बाधा पड़ती है ?

उत्तर

(क) जी हाँ ?

(ख) १५ बार जयपुर आये। कुल मिलाकर ५८ दिन विभागीय कार्य के लिये व १७ दिन हायर सेकन्डरी बोर्ड ऑफ एज्युकेशन की मीटिंग्ज़ में सम्मिलित होने के लिए जयपुर रहे ?

(ग) १८६० रुपये टी. ए. तथा डी. ए. के रूप में खर्च हुआ। बोर्ड की मीटिंग में सम्मिलित होने में आने–जाने का खर्चा बोर्ड द्वारा दिया गया ।

(घ) कुछ बाधा पड़ना स्वाभाविक है।

प्रश्न

जयपुर शहर में बच्चे उड़ाने के सिलसिले में साधुओं की गिरफ्तारियां

४६२ (२०६ । एच. एम.) श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ५६ :—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

Page No.79

(१) जयपुर शहर में बच्चे उड़ाने के सिलसिले में माह सितम्बर १६५८ में किस किस पुलिस स्टेशन पर कितने कितने साधु पकड़े गये ?

(२) अब इनमें से कितने गिरफ्तार हैं तथा ऐसे कितने साधु हैं जो छोड़े जा चुके हैं ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

प्रश्न

बारां जंगलात नर्सरी के लिये लोहे के तार की खरीद

४६३ (१६६।ए. टी. एम.) श्री भैरोंसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १४ : वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि गत वर्ष बारां के डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर ने बारां जंगलात नर्सरी के लिये लोहे के तार खरीदे थे ?

(ख) यदि हां, तो किस किस व्योपारी से कितना कितना ? यह खरीद किस प्रकार से की गई ?

(ग) माल कब कब और कितना कितना प्राप्त हुआ और उसकी कितनी कितनी कीमत कब कब दी गई ?

(घ) इस माल का वजन किस अधिकारी ने करवाया और माल प्राप्त करने का Certificate किस किस अधिकारी ने दिया ? इसमें बूंदी कितना माल भेजा गया ?

(ड.) क्या यह सही है कि तार के बण्डलों में आने वाली लकड़ी का वजन तोल के समय नहीं काटा गया और इस तरह ज्यादा paymant किया गया ?

(च) क्या इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की गई ? यदि हां, तो इस पर क्या action लिया गया ?

उत्तर

जी हां ।

श्री फखरुद्दीन फिदाहुसैन से ५३ मन १० सेर १२ छटांक, श्री गुलजारीलाल रावत से ५५ मन १६ सेर । टैंडर लेने के पश्चात् ।

१३-३-५८ को ५३ मन २० सेर १२ छटांक और ३०-३-५८ को ५५ मन १६ सेर प्राप्त हुआ। ता: २०-३-५८ को ३२६४) ६२ नये पैसे और ३१-३-५८ को ३३७६) ४६ नये पैसे दिये गए।

श्री फखरुद्दीन फिदाहुसैन से लिए गए माल का वजन डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर बारां श्री हरिश्चन्द गुप्ता और स्टोरकीपर श्री अबुल रशीद ने कराया और माल प्राप्त करने का सर्टिफिकेट दिया। श्री गुलजारीलाल रावत से लिए गए माल का वजन बारां में किसी ने नहीं करवाया। यह माल बूंदी भेजा गया जहां ८० बण्डल तार की डिलीवरी व प्राप्ति का सर्टिफिकेट श्री सूर्यनारायण फोरेस्टर बूंदी ने किया। डिलीवरी लेने के पहले किसी ने वजन नहीं कराया। ८० बण्डल तार बूंदी भेजा गया था जिसका वजन ५५ मन १६ सेर होता था।

प्रश्न

झुंझुनूं जिले के स्कूलों के लिए सामान की खरीद

४६४. (२३८।सी. एम.) श्री शिवनाथसिंह, एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर १५८ : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) झुंझुनू जिले में स्कूलों में दिए जाने वाले सामान की खरीद के लिए १६५८-५६ के वित्तीय वर्ष में कितनी धन-राशि मंजूर की गई है तथा उसमें से कितनी धन-राशि का सामान खरीद लिया गया है ?

(ख) उक्त सामान खरीदने के लिए किसको अधिकार दिया गया है ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सामान खरीदने के लिए टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे ?

(घ) क्या यह सही है कि सबसे नीची कीमत के टेन्डर मंजूर नहीं किये गये, बल्कि ऊंची कीमत वाले टेन्डर मंजूर किये गये ?

(ङ) क्या यह सही है कि टेन्डर मंजूर करने वाली कमेटी के कुछ सदस्यों ने टेन्डर की मंजूरी पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(क) ८५,००० रु० । सामान की दरें स्वीकृत हो चुकी हैं। अभी सामान नहीं खरीदा गया है ।

(ख) जिला निरीक्षक शिक्षणालय ।

(ग) जी हां ।

(घ) साधारणतया नीची कीमत वाले टेन्डर ही मंजूर किए गए हैं, परन्तु कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्वालिटी को देखते हुए ऊंची दर पर भी मंजूर की गई हैं।

Page No.81

(ङ) टेन्डर की एक वस्तु 'फावड़ा' पर केवल श्री उपनिरीक्षक शिक्षणालय के हस्ताक्षर नहीं हुए। फावड़ों का आईटम ही इन सूचियों में स्वीकृत नहीं किया गया है।

झालावाड़ जिले में भवन-निर्माण

४६५. (१७० ए.टी.एम.) श्री रामचन्द्र एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर १२६ : क्या सार्वजनिक निमाण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

झालावाड़ जिले के लिए वर्तमान बजट में किन किन भवन निर्माण के लिये कितना कितना धन निश्चित किया गया है ? इनमें से किस किस भवन का कार्य आरंभ हो गया है ? यदि नहीं हुआ है तो क्यों और क्या यह कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(१) सूची प्रस्तुत है।

झालावाड़ जिले के अन्तर्गत वर्ष १९५८ – ५९ में भवन निर्माण की सूची

क्र०सं०	नाम भवन.	रकम बजट	भवन जिसका कार्य चालू है.	जो इस वर्ष समाप्त हो सकेगा.	विशेष विवरण.
१.	कार्यालय रेन्जर तथा फोरेस्टर वन-विभाग, छींपा बड़	५०० रु०	कार्य चालू है	जी, हां	...
२.	,, ,, मनोहरथाना	२९०० रु०	,,	...	...
३.	,, ,, अकलेरा	१००० रु०	,,	...	...
४.	सब ट्रेजरी छींपा बड़ौद	१३०० रु०	,,	...	...
५.	तहसील छींपा बड़ौद	२५०० रु०	,,	...	...
६.	बार रूम तथा चेम्बर कार्यालय मुन्सिफ अकलेरा	६०० रु०	,,	...	...
७.	जैल अकलेरा	५४०० रु०	,,	...	...
८.	थाना करीयात	२५००० रु०	कार्य चालू नहीं हुआ	...	टेन्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं।
९.	अतिरिक्त स्थान राजकीय हाई स्कूल छींपा बड़ौद	५००० रु०	,,	...	टेन्डर आमन्त्रित किए गये। स्वीकृति विचाराधीन है।
१०.	ए. ए. हाई स्कूल भवन छींपा बड़ौद सेठ धन्नीलाल द्वारा दी गई	५००० रु०	,,	...	...

१	२	३	४	५	६
११.	तहसील बीज भंडार छीपा बड़ौद	६००० रु०	,,	...	टेन्डर आमन्त्रित किए गए। पर प्राप्त नहीं हुए। टेन्डर ऊंची दरों पर आये।
१२.	,, ,, अकलेरा	११६१५ रु०	,,	...	
१३.	,, ,, मनोहरथाना	११६१५ रु०	,,	....	गवर्नमेंट का निर्णय मांगा है।
१४.	ब्लॉक कार्य मनोहरथाना	४४००० रु०	,,	....	,,
१५.	कार्यालय मुन्सिफी भवानी मंडी	७०० रु०	कार्य चालू है.	आशा है यह कार्य इस वर्ष संपूर्ण हो सकेगा।	कार्य लगभग समाप्त हो चुका है।
१६.	जैन भवन भवानी मंडी	१३७०० रु०	,,	....	,,
१७.	थाना डग	३०,००० रु०	जी नहीं।	....	टेन्डर आमन्त्रित किए गए हैं।
१८.	थाना पीराव	३००० रु०	,,	....	,,
१९.	अतिरिक्त स्थान इन्टर कॉलेज झालावाड़	३०० रु०	कार्य चालू है।	इस वर्ष समाप्त होगा।	....
२०.	बाकी कार्य हाई स्कूल खानपुर	२६०० रु०	,,	....	....
२१.	अतिरिक्त स्थान गर्ल्स हाईस्कूल झालावाड़	१४००० रु०	,,	....	,,
२२.	अतिरिक्त स्थान इन्टर कॉलेज झालावाड़	११००० रु०	,,	....	,,

१	२	३	४	५	६
२३.	अतिरिक्त स्थान हाईस्कूल झालरापाटन	२३०० रु०	,,	....	,,
२४.	रसायनशाला हाईस्कूल झालावाड़	३२०० रु०	,,	....	कार्य समाप्त हो चुका।
२५.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खानपुर	५००० रु०	,,	....	टेन्डर आमन्त्रित किए गए, किन्तु ऊंची दरों पर प्राप्त हो रहे हैं।
२६.	वेटरनरी हॉस्पिटल झालावाड़	४००६० रु०	कार्य चालू है।	इस वर्ष समाप्त होने की आशा है।	....
२७.	ब्लॉक कार्य झालावाड़	३,४००० रु०	,,	,,	....
२८.	ब्लॉक कार्य खानपुर	४०,००० रु०	,,	,,	....

प्रश्न

ग्राम बस्सी के क्ले (Clay) के डिपोजिट्स को लीज पर लेने के लिए प्रार्थनापत्र

४६६. (२६३ । सी. एम.) श्री आनन्दसिंह कछवाहा, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ६ : क्या मन्त्री, खनिज विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम बस्सी, जिला जयपुर में क्ले के डिपोजिट्स को लीज़ पर लेने के लिए किसी व्यक्ति ने सन् १६५२ में प्रार्थनापत्र दिया था ?

(२) यदि हां, तो किस रेट पर व कितने क्षेत्र के लिए ?

(३) क्या अब वह क्षेत्र लीज पर दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(३) जी नहीं, क्योंकि क्ले का भण्डार इस विभाग की जानकारी में नहीं है ।

प्रश्न

तहसील किशनगढ़ व रूपनगढ़ में तालाबों की मरम्मत

४६७. (२०६ । एन. एम) श्री पुरुषोत्तमलाल, शर्मा एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १२६ : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ़ व रूपनगढ़ की तहसील में सिंचाई विभाग के तहत कितने तालाब हैं और क्या ये सब दुरुस्त हैं ?

(२) अगर नहीं तो इनकी दुरुस्ती कब तक करा दी जावेगी ?

उत्तर

(१) किशनगढ़ व रूपनगढ़ तहसीलों में अनुक्रम में १६ व २ बांध सिंचाई विभाग के अधीन हैं और सिवाय एक के बाकी सब दुरुस्त हैं ।

(२) साधारण मरम्मत आवश्यकतानुसार हर साल होती है । एक करण सागर तालाब जो कि नादुरुस्त है, इसे वित्तीय वर्ष में दुरुस्त करा दिया जायगा ।

चाकसू और आमेर तहसीलों के अध्यापकों का तबादला

४६८. (२७६ । सी. एम.) श्री प्रभुलाल पुरोहित, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२४ :-क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चाकसू और आमेर तहसील के इन्सपेक्टोरेट जयपुर वैस्ट के अधिकार में चले जाने से उक्त तहसीलों के कितने अध्यापक इन्सपेक्टोरेट जयपुर ईस्ट में रह गये ?

(२) क्या सरकार उक्त अलग अलग तहसीलों के अध्यापकों को उनके सर्किल में भेजने का विचार रखती है ?

(३) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) इसकी पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है।

(२) यदि कोई अध्यापक स्थानान्तर के लिए प्रार्थनापत्र देगा तो उस पर अवश्य विचार किया जायगा।

(३) स्थानान्तर सैशन के आरम्भ में किये जाते हैं। यदि समय पर स्थानान्तर के प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाएंगे तो उन पर विचार किया जायगा।

प्रश्न

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा गैर सरकारी दलों तथा व्यक्तियों के वक्तव्य प्रसारित

४६६ (२११। एच. एम.) श्री भैरोंसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १४ : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान, ने सन् १९५७–५८, ५८-५९ में किन किन गैर सरकारी दलों तथा व्यक्तियों के वक्तव्य प्रसारित किए तथा किन किन तारीखों में तथा क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि १८ फरवरी, सन् १९५८ को इस विभाग द्वारा श्रीनाथजी ठिकाना की Power of Attorney Holders की समिति के वाइस-चैयरमैन श्री कृष्णराज एम. डी. टाकरसी का प्रेस वक्तव्य प्रसारित करावाया गया ?

(ग) यदि हां, तो यह किसकी आज्ञा से प्रसारित किया गया ?

उत्तर

(क) सन् १९५७-५८ में तथा ५८-५९ में अभी तक गैर सरकारी व्यक्तियों का केवल यह ही वक्तव्य १८ फरवरी, १९५८ को प्रकाशित किया गया था, जिसका उल्लेख ४ में किया गया है।

(ख) सही है। क्योंकि स्थिति के स्पष्टीकरण के लिये वह आवश्यक समझा गया।

(ग) यह वक्तव्य पंचायत, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, की आज्ञा से प्रसारित किया गया था।

प्रश्न

चित्तौड़गढ़-कोटा रेलवे लाइन की योजना

५०० (३१५।सी. एम.) श्री सुगनचन्द जैन, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १६४ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी रेलवे लाइन की योजना राज्य सरकार द्वारा दी गई और कौन कौन सी लाइन केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर हुई है ?

(२) चित्तौड़गढ़-कोटा लाइन की योजना दी गई है या नहीं ? यदि दी गई है, तो मंजूर हुई या नहीं ?

उत्तर

१. राज्य सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २१ रेलवे लाइनों की योजना केन्द्रीय सरकार को दी गई है। सूची संलग्न है। मामला अब भी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

२. जी हां। चित्तौड़गढ़-कोटा लाइन की सर्वे रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार, रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है।

प्रश्न

ग्राम बूसो के श्री रामनिवास की जमीन का पुनर्ग्रहण

५०१ (१८८।ए. टी. एम.) श्री जगदीशप्रसाद माथुर, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ६५:—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

क्या यह सही है कि ग्राम बूसा, तहसील देसूरी के श्री रामनिवास की जमीन सरकार ने ली है ?

उत्तर

ग्राम बूसी तहसील देसूरी के श्री रामनिवास की कोई जमीन सरकार ने बीज उत्पादक फार्म के लिये नहीं ली।

प्रश्न

झालावाड़ जिले के उद्योग केन्द्रों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता

५०२ (३३५।सी. एम.) श्री रामचन्द्र एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२६ : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

झालावाड़ जिले में पिछले दस वर्ष में सभी प्रकार के कितने उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये और कितने धन की सहायता दी गई ?

उत्तर

कोई उद्योग केन्द्र स्थापित नहीं किया गया। ६६,२०० रुपये का ऋण उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु इस जिले में दिये गये हैं।

परिशिष्ट [२४६८-अ

(तारांकित प्रश्न संख्या ५०० से सम्बन्धित सूची)

Construcrion of new Railway Lines in Rajasthan recommended to Government of India in order of priority during the period of Second Five Year Plan.

1. Udaipur to Himmatnagar vide Rikhabdeo-Kharwara-Dungarpur.
2. Raniwara to Deesa (to get a direct link to Kandla).
3. Pilani to Loharu.
4. Conversion of present meter gauge into broad gauge line from Sawai-Madhopur to Jaipur.
5. Metar gauge loop line between Tonk and Chauth Ka Barwara meeting Sawai-Madhopur-Jaipur Broad gauge line at Chauth Ka Barwara.
6. Chittorgarh to Kotah.
7. Ratlam to Dungarpur via Banswara and Galiakot.
8. Ganganagar to Hindumal Kot (by broad gauge).
9. Toda Raisingh-Deoli-Bundi-Kotah.
10. Mandal-Banera-Shahpura-Jahajpur-Deoli.
11. Kosi (U.P.) Bharatpur via Kama-Deeg and Kumber (by broad gauge).
12. Sri Mathura to Gangapur via Karauli (District Sawai-Madhopur).
13. Raniwara to Sanchore.
14. Broad Gauge link from Jaipur to Sambher.
15. Shri Ganganagar-Sardar Shahar via Padampur and Suratgarh.
16. Ajmer to Merta city.
17. Sawai-Madhopur (Rajasthan) to Shivpur Kalan (M.B.)
18. Churu-Taranagar-Nohar via Sawa.
19. Bari Sadri to Neemuch via Chhoti Sadri.
20. Ujjain to Baran via Agra-Jhalawar.
21. Hanumangarh to Bhatinda (by broad gauge line).

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार दिनांक ७ नवम्बर, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२३१२	अन्तिम से १२	contarctor	contractor
२३१३	१४–१५	is not	this is not
"	२२	specific, is it	specific. Is it
२३१४	६	bring, it to your	bring, to your
"	१९	Govtment	Government
"	२१–२२	or her	order
२३१५	१३	knowlege	knowledge
"	१६	srder	order
२३१६	२	cainet	cabinet
"	९	that the when	that when
"	१८	arrangemennt	arrangement
"	२०	mlnister	minister
"	२१	sccretaries	secretaries
"	अन्तिम से७-८	circu stances	circumstance
२३१८	१३	have n	have no
२३१९	११	seperate	separate
२३२०	२	secetory	secretary
२३२२	८	टेडरों	टेन्डरों
२३३१	२०	tengieers	engineers
२३३६	१	श्रीं लक्ष्मीचन्द	श्री लक्ष्मीचन्द
२३३८	१०	अदमियों	आदमियों

१	२	३	४
२३४३	१०		To appeal
,,	१६	e replied	he replied
२३६३	शीर्ष	२२६३	२३६३
२३६८	,,	तारांकित प्रश्नोत्तर	अल्पकाल प्रश्नोत्तर
२३७०	अन्तिम से १२	move by	moved by
२३७२	१३	कॉम्प्रि हेन्सिव	कॉम्प्रिहेन्सिव
२३७३	२१	provid	provides :
,,	२७	Blswedar	Biswedar
२३७४	अन्तिम से १२	adaotation	adaptation
२३७६	३	वह	वहाँ
२३७८	१३	कोइस वाल	कोई सवाल
२३७६	१५	Intermedaries	Intermediaries.
,,	१८	Compelent	Competent
२३८१	४	अमेंडडेड	अमेंडेड
२३८२	११	con note	cannote
२३८३	२२	येश	पेश
,,	अन्तिम से २	as	say
२३८४	४	in order	In order
२३८५	५	(डी), (वी), (ई)	(डी), व (ई)
,,	अन्तिम से ११	Beswedar	Biswedar
२३८८	१४	फर	कर
२३६३	अन्तिम से ३	एक्वीजिशन	एक्विज़िशन
२३६६	१०	प्रायधान	प्रावधान
,,	६	आश्यासन	आश्वासन
२४००–२४०१	शीर्ष	७ नवेवर	७ नवम्बर
२४०२–२४०३	शी	७ नवबर, १६५८	७ नवम्बर, १६५८

१	२	३	४
२४०२	अन्तिम से ६	तुहे	हेतु
२४१२–२४१३	शीर्ष	७ नवब्र	७ नवम्बर
२४१६	अन्तिम से ११	जागीदार	जागीरदार
,,	अन्तिम	काश्तकारों । के	काश्तकारों के
२४१८	४	से तडड़	सैटिल्ड
,,	१०	कुमाते	क्या
२४२२	३	गवर्ननमेन्ट	गवर्नमेन्ट.
२४२४	शीर्ष	७ नवब्र	७ नवम्बर
२४२७	११	संयश	संशय
२४३०	१४	रिजेम्पशन	रिजम्पशन
२४३३	१८	ंगानगर	गंगानगर
२४३४	२२	my we !	why we
२४३६	अन्तिम	क्वीनियेन्स	कन्वीनियेन्स
२४४०–२४४१	शीर्ष	७ ५८ नवम्बर, ५८	७ नवम्बर, ५८
२४४१	अन्तिम से १०	आगयुमेंट्स	ऑग्युमेंट्स
२४४३	६	श्री दमोदरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
२४४८	अन्तिम से ६-७	द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत	द्वारा प्रस्तुत
,,	३	उत्पादन	उत्सादन
२४५१	२	का कार्यसूची	की कार्यसूची
२४५२	११	Sardor Sahar	Sardur Shahar
२४५२	अन्तिम से ६	bae	bad
२४५३	३	सची	सूची
२४६५	१६	र्सिचाई	सिंचाई